खण्ड-341, अंक-3
शुक्रवार, 25 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(15 जून, 1979 ई0)

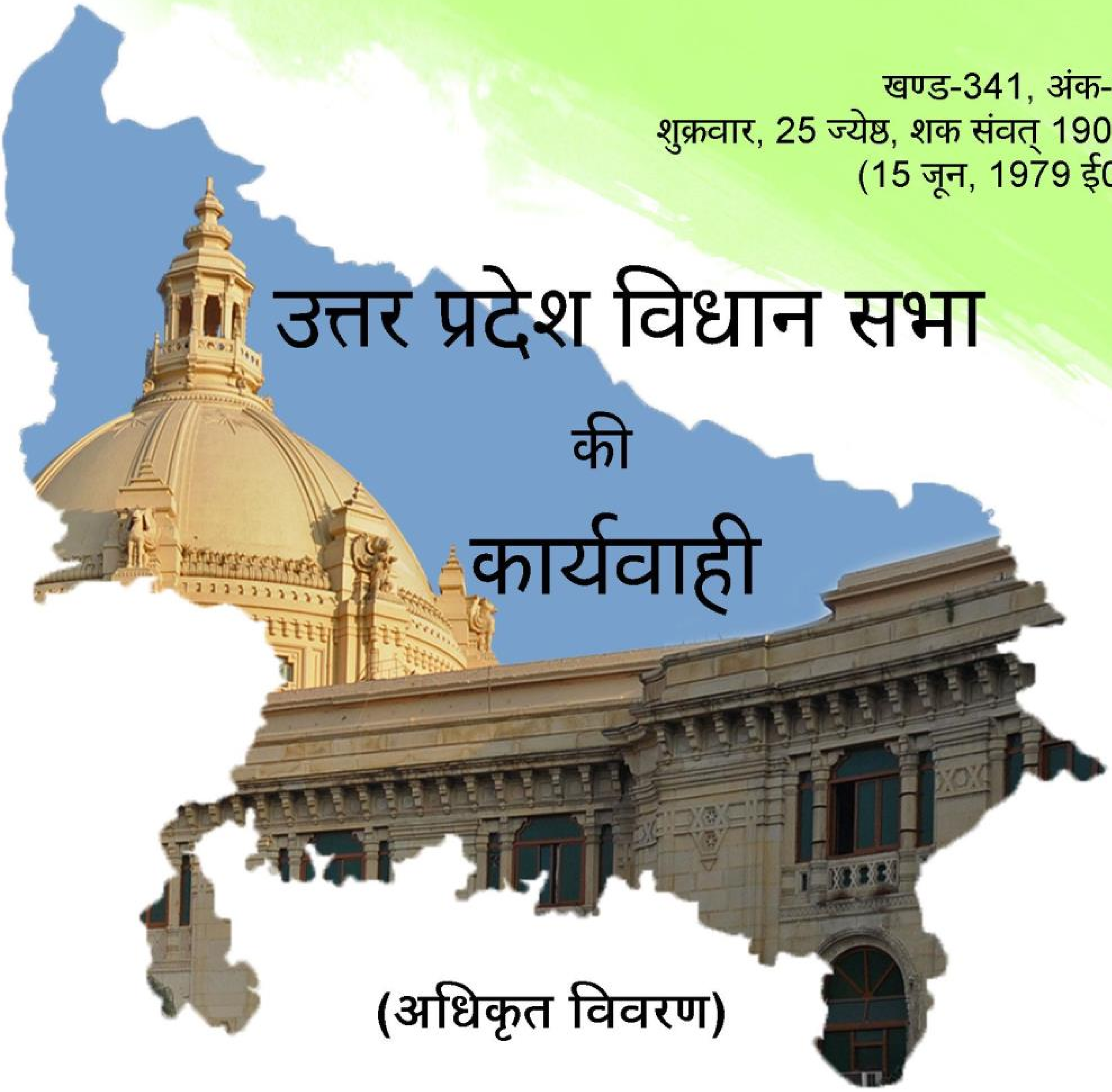

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 341 में 3 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	313–316
प्रश्नोत्तर	317–357
विविध विषय	357
जलालपुर, जनपद फैजाबाद के सिनेमा मालिकों द्वारा पांच-पांच शो चलाने तथा गुंडा गर्दी करवाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	357–358
कानपुर नगर में पेय जल संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	358
अयोध्या में महाकवि संत तुलसीदास द्वारा हस्त लिखित बाल काण्ड की प्रति की चोरी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	358–359
देवरिया–रुद्रपुर सड़क के निर्माण में लाखों रुपये के गोलमाल के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	359–362
ब्रज की प्राचीन संस्कृति की रक्षा हेतु एक सर्वेदल के गठन की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	362–363
हमीरपुर जनपद की राजकीय पौधशाला पौथिया बुजुर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	363–364
गाजीपुर जनपद में बाढ़ सहायतार्थ दी गई धनराशि में गड़बड़ी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	364
बांदा के लघु सिंचाई कर्मचारियों द्वारा कचहरी प्रांगण में अनशन के विषय को नियम 301 के अंतर्गत सदन के संज्ञान में लाना	365
रायबरेली जिले के डलमऊ क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	365–366
कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ में असिस्टेंट व असिस्टेंट कम कैशियर के पदों पर भर्ती हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों में विधि स्नातक अभ्यर्थियों को इंटरव्यू लेटर इश्यू न किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	366
फैजाबाद जनपद में जिला परिषद् द्वारा संचालित अस्पतालों में डाक्टरों की लापरवाही के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	366–367
देवरिया जनपद के जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध घपले की शिकायत के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	367
ग्राम करजनियां, जिला देवरिया में अग्निकांड के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	368

विषय	पृष्ठ-संख्या
ललितपुर जनपद में चल रही पिपरवासा पेय जल योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	368
गोला गोकरननाथ, जिला खीरी में बिजली के संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	369
मैनपुरी के ग्राम गढ़ी में श्री महेश चन्द्र शर्मा के घर पड़ी डकैती में सिपाही कोतवाल सिंह के शामिल होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	369–370
इलाहाबाद की तहसील हंडिया के अन्तर्गत विद्यावती यादव स्मारक महर्षि कृषि इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा अध्यापक श्री कृष्णपाल सिंह का जबरन इस्तीफा लिखवाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	370
कल दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंकने तथा नारे लगाने वाले व्यक्ति श्री मशहूर जाफरी को सपरिश्रम कारावास की सजा का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	370–374
केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा आकाशवाणी व समाचार पत्रों के समाचार में कथित सेंसर लगाने पर आपत्ति	375–378
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 1969–70 (सदन के पटल पर रखा गया)	378
पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन 1976–77 (सदन के पटल पर रखा गया)	378
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश के वार्षिक प्रतिवेदन 1975–76 (सदन के पटल पर रखा गया)	378
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	378
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979 (सदन के पटल पर रखी गयी)	378
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	379–380
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सप्तम संशोधन) नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी)	380
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अष्टम संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	381
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (दशम संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	381
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	381

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश मोटर वेंहिकिल्स (बारहवां संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	381
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गई)	381
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन की पटल पर रखी गई)	382
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	382
उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	382
किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे 1977 (सदन के पटल पर रखे गये)	382
उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे 1977 (सदन के पटल पर रखे गये)	382
उत्तर प्रदेश सप्तम बिधान सभा की लोक लेखा समिति (1978–79) का प्रथम प्रतिवेदन) (प्रस्तुत किया गया)	383
उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1978–79) का द्वितीय प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	383
मुख्य मंत्री, श्री बनारसीदास तथा स्वास्थ्य एवं आबकारी मंत्री, श्री रमाशंकर कौशिक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	383–386
सांस्कृतिक कार्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	386
गोरखपुर कोषागार में बन्द किया गया सोना और आभूषण के स्थान पर लोहा और नट बोल्ट पाये जाने के संबंध में अग्रेतर वक्तव्य	387–388
जिला सहकारी बैंक लि0, प्रतापगढ़ में उत्पन्न वैधानिक संकट तथा बैंक के अध्यक्ष द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग के संबंध में वक्तव्य	388–390
बांदा जनपद के अतर्रा कस्बे में दो नवयुवकों द्वारा आमरण अनशन किये जाने के संबंध में वक्तव्य	390
बस्ती जनपद के बभनान कस्बे के निवासी सरदार जसवीर सिंह की गोंडा के हाफिज-उल्ला आदि द्वारा उनकी दाढ़ी, मूंछ तथा सर के बाल कटवा देने से सरदारों में उत्पन्न क्षोभ एवं असंतोष के संबंध में वक्तव्य ..	391–392
गोपालपुर फार्म, जनपद मिर्जापुर की भूमि की नीलामी में अनियमिततायें के संबंध में वक्तव्य	392–393

विषय	पृष्ठ-संख्या
दिनांक 5 जून, 1979 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अनुपूरक प्रश्न के संबंध में शोधन वक्तव्य	393
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (तृतीय) विधेयक, 1978 की वापसी का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	393–394
उत्तर प्रदेश भमिहीन (भूमि का आवंटन) विधेयक, 1979 (पुरःस्थापित किया गया)	394
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना	394
प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 वापस लेने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	394–399
उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 (पारित)	399–410
बांदा जिले में कर्वी स्थित पाठा पेयजल योजना द्वारा पानी की पूर्ति न होने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	411–414
उन्नाव जिले की युवा जनता के महामन्त्री श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय की हत्या से नगर की जनता में रोष, क्षोभ एवं आतंक के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	415–416
सदन की कार्यवाही सही तरीके से रिकार्ड न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	416–417
मुरादाबाद जनपद में व्यापारियों के यहां पकड़े गये नियंत्रित कपड़े के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	417–418
उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	418
उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 1979 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	418–419
दि इंण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी को करोड़ों पये की कथित हानि के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा..	419–424
प्रदेश में गेहूं की खरीद व बोरों की अव्यवस्था के संबंध में वक्तव्य ..	424–433
सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	433
नत्थियां	434–438

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 15 जून, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—335

अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम, श्री
अनवार अहमद समदनी, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
उदयनाथ, श्री
उदयनारायण सिंह श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उमाकान्त बाजपेई, श्री (उर्फ भइया जी)
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काली चरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (बकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेशवर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री

गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह श्री
चन्द्रसेन सिंह श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री
जंग बहादुर सिंह पटेल, श्री
जंगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहरलाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
झामलाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्गविजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देव कुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्द राम, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह 'पुष्पवान', श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
प्रेमवती, श्रीमती
फजुलरहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास, श्री
बरफिया लाल जुवांठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलवीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
वसंत, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज, श्री

बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरपुर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल , श्री
मन्नी लाल , श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल दिवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन , श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द्र , ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीराम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
रघुबर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह,
राधव राम मिश्र, श्री
राजकिशोर तिवारी, श्री
राज नरायन. श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पान्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री

राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्श, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सरन सिंह, कुंवर
राम सागर, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पान्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
बीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शमशाद अहमद, श्री
शम्भूनाथ, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हर देव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरन यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिशचन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरि कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 15 जून, 1979

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

एक विधायक के विरुद्ध लोक आयुक्त की रिपोर्ट

**1—गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मंत्री को किसी विधायक के विरुद्ध लोकायुक्त द्वारा भेजी हुई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उसे सदन के पटल पर रखने की मुख्य मंत्री जी कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

जी हां, एक विधायक के विरुद्ध परिवाद पर लोक आयुक्त का प्रतिवेदन शासन को प्राप्त हुआ है। चूंकि लोक आयुक्त से प्राप्त प्रतिवेदन, उ0 प्र0 लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के प्राविधानों के अनुसार गोपनीय है, अतः लोक हित में उसे सदन के पटल पर रखना संभव नहीं है।

चीनी का परमिट सिस्टम तथा न्याय पंचायत स्तर पर चीनी का कोटा एलाट करने की कथित योजना—

**2—श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच), श्री पूरन चन्द्र (जिला अल्मोड़ा), श्री कृष्ण कुमार पालीवाल (जिला जालौन), तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

क्या खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार पुनः चीनी का परमिट सिस्टम लागू करने जा रही है तथा क्या यह भी सही है कि पहली जुलाई से न्याय पंचायत स्तर पर कोटे से चीनी उपलब्ध कराने के लिए फुटकर चीनी विक्रेताओं को सरकार दुकानें एलाट करने जा रही है ? यदि हां, तो इसके मुख्य-मुख्य क्या कारण हैं ? तथा बिना कन्ट्रोल खुले बाजार में चीनी नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध कराने में सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

खाद्य मन्त्री (श्री मलिखान सिंह)—

जी नहीं। भारत सरकार द्वारा चीनी की लेवी व्यवस्था समाप्त कर दिये जाने के कारण उत्पादन व जन-वितरण योजना के अन्तर्गत चीनी वितरण का प्रश्न नहीं उठता। खुले बाजार में चीनी का मूल्य नियंत्रित करने अथवा न करने का प्रश्न भी भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

श्री बाबू लाल वर्मा—

मान्यवर, मैं खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने एक नीति निर्धारित की है कि ग्रामीण अंचलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उपभोक्ता वस्तुओं के लिए उपभोक्ता भण्डार की ऐसी सरकारी दूकानें खोली जायेंगी, उपभोक्ता के लिए उसमें चीनी की बिक्री की जायगी अथवा नहीं?

श्री मलिखान सिंह—

मान्यवर, ऐसी अभी कोई नीति शासन के विचाराधीन नहीं है। जिस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने तय किया है, उसमें गेहूं, चावल, मोटा अनाज, तेल, मिट्टी का तेल, मोटा कपड़ा आदि है। जो माननीय सदस्य ने चीनी वितरण के सम्बन्ध में बात कही,

उसके सम्बन्ध में अभी भारत सरकार के द्वारा कुछ तय नहीं हुआ है। इसलिए इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चीनी पर से कंट्रोल हटाने के बाद चीनी मिलों की ओर से कहा गया है कि उन्हें घाटा हो रहा है, तो क्या चीनी पर दुबारा कंट्रोल लगाने के लिए चीनी मिलों पर कोई दबाव डाला जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो भारत सरकार से सम्बन्धित है।

श्री कृष्ण कुमार पालीवाल--

मान्यवर, जब कंट्रोल की दूकानों पर चीनी के वितरण की व्यवस्था थी, जो उनमें काफी भ्रष्टाचार था और उसी अनुभव के आधार पर प्रान्तीय सरकार ने इस पर से कंट्रोल हटा दिया था। क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उनमें फिर से भ्रष्टाचार न फैले, इसके सम्बन्ध में वह क्या उपाय करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, उस पर अभी नियंत्रण रहेगा और जांच होगी। जो कोई भष्टाचारी होगा, उसका लाइसेन्स कैंसिल किया जायगा, उसको बन्द किया जायगा।

श्री कृष्ण कुमार पालीवाल--

क्या ऐसे ही नियंत्रण रहेगा जैसा कि आपका नियंत्रण गेहूं पर है, किसान बुरी तरह से परेशान है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री बाबू लाल वर्मा--

माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत उपभोक्ता वस्तुओं के लिए उपभोक्ता भंडार 2000 की आबादी के गांव में खोलेंगे। क्या माननीय मंत्री जी नियंत्रित मूल्य पर गांव के लोगों को चीनी उपलब्ध करायेंगे क्योंकि गांव के लोग दूर रहते हैं और बाजार नहीं जा सकते, तो उन दूकानों पर चीनी उपलब्ध करा सकेंगे ?

श्री मलिखान सिंह--

जब भारत सरकार तय करेगी, उसके बाद तब हम इस पर विचार करेंगे।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ) --

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो आवश्यक वस्तु उपभोक्ता भंडार देहात मे खोले जायेंगे, उनमें दूकानदारों को अपने निजी तरीके से चीनी रखने की आज्ञा देंगे ?

श्री मलिखान सिंह --

दुकानदार बेचना चाहे तो कोई आपत्ति नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया) --

जो सूची भारत सरकार द्वारा भेजी गई है उसमें चीनी नहीं है, क्या प्रदेश सरकार भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करेगी कि चीनी भी उसमें सम्मिलित की जाय ?

श्री मलिखान सिंह--

जब भारत सरकार से बात होगी, तब विचार करेंगे।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर) ---

दो हजार की आबादी पर एक दुकान खुलेगी तो क्या पूरे प्रदेश का सर्वेक्षण करा लिया है और जुलाई तक सामान पहुंचा देंगे ?

श्री मलिखान सिंह---

सर्वेक्षण करा लिया है। लेकिन मान लीजिए एक हजार की आबादी है और बीच में नदी है तो भी खोल देंगे। पूरे प्रदेश में लगभग 3 हजार पर भी हो सकती है। सामान भारत सरकार से उपलब्ध होता रहेगा तो हम भेजते रहेंगे।

एक सदस्य---

सीमेन्ट नहीं मिल रही है, क्या इसकी व्यवस्था करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

चीनी की बात है, सीमेन्ट की बात नहीं है।

श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)---

क्या ये दुकानें कोआपरेटिव सोसाइटीज, और व्यक्तिगत आदमी भी चलायेंगे ?

श्री मलिखान सिंह---

कोआपरेटिव सोसाइटीज, उपभोक्ता संघ, भारतीय खाद्य निगम, राजनीतिक, मीसा बन्दी, बेकार ग्रेज्यूएट भी चलायेंगे। इनको लाइसेन्स देने में प्राथिकता देंगे।

स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर के प्रबन्ध तन्त्र का निलम्बन एवं निलम्बन आदेश की वापसी

**3---श्री रामजी (जिला आजमगढ़), राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर), श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर), श्री दिनेश चन्द्र रस्तोगी (जिला मुरादाबाद), श्री रेवती-रमण रस्तोगी (जिला कानपुर), श्री सुमेरचन्द्र गोयल (जिला सहारनपुर), श्री श्री नारायण (जिला देवरिया), श्री खान मोहम्मद आतिफ खान (जिला बहराइच) श्री अशफाक-अहमद खां, (जिला गोंडा) तथा श्री श्याम सुन्दर गुप्त---

क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश संख्या 2832-क। 15-78(11)3-8-73, (शिक्षा)-11 अनुभाग-1, दिनांक 16 मई, 1978 द्वारा स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर के प्रबन्ध तन्त्र को तत्काल निलम्बित करने एवं निलम्बन की अवधि में इस विद्यालय की सम्पत्ति तथा कार्यकलापों का प्रबन्ध जिला-धिकारी, गाजीपुर द्वारा किये जाने का आदेश जारी किया गया था ? यदि हां, तो उसका कार्यान्वियन हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री शिवानन्द नौटियाल) ---

जी हां। किन्तु अब उक्त शासनादेश वापस ले लिया गया है।

श्री श्रीनारायण---

मान्यवर, ई हम जानल चाहली .....

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा।

श्री श्रीनारायण--

आदेश वापस लेने का कारण जानना चाहूंगा।

श्री शिवानन्द नौटियाल --

पहले विश्वविद्यालय ने सिफारिश की थी कि सम्पूर्ण शिक्षा को सरकार के अधीन में ले लें इसमें इसकी जानकारी जब कर दी गयी तो विश्वविद्यालय की सिफारिश को नहीं माना गया इसलिए आदेश वापस ले लिया गया ।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि कौन-सी शिकायतें थीं जिनके आधार पर विश्वविद्यालय ने प्रबन्ध तंत्र को अधिग्रहण करने की सिफारिश की थी और सरकार ने जो आदेश को वापस लिया है वह किस आधार पर वापस लिया है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, इस विद्यालय मे काफी दिनों से झगड़ा चल रहा था। प्रबंध तंत्र ने जो उनकी नियमावली थी, उस नियमावली में कुछ परिवर्तन किया। विश्वविद्यालय ने उनकी आज्ञा नहीं दी और उन्होंने सिफारिश की कि इसके प्रबंध तंत्र को सरकार अपने अधीन कर ले। लेकिन जब विश्वविद्यालय से आख्या मांगी गई और यह देखा गया कि विश्वविद्यालय को इसके लिये कोई भी वैधानिक अधिकार नही था तो उसकी वापस लिया गया ।

श्री गोविंद सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल) --

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय के अन्दर गुटबन्दी है और एक गुट विशेष जो है वह इस विद्यालय के खिलाफ प्रचार कर रहा है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल --

जी हां।

श्री संगम लाल--

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हुं कि यह जो 16 तारीख को आदेश निलंबन का दिया गया था वह बाद में गलत पाया गया तो क्या उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की गई, जिसने गलत आदेश दिया ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, विश्वविद्यालय ने हमको सिफारिश की थी, विश्वविद्यालय आटोनामस है, उनकी सिफारिशों पर हम कोई कार्यवाही नहीं कर सकते, यही कारण है कि जो उन्होंन सिफारिशें की थीं हमने अमान्य कर दिया और उसको वापस कर दिया।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि इस विश्वविद्यालय में गुटबन्दी है, तो मैं जानना चाहता हूं कि उस गुटबंदी को दूर करने के लिए सरकार ने कौन से प्रयास किये हैं ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

अभी-अभी सरकार के संज्ञान में यह बात आयी है, इस पर कार्यवाही की जायगी।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि गाजीपुर के इस महाविद्यालय को अधिगृहण करने के लिए विश्वविद्यालय ने सिफारिशें की थी। तो क्या शिकायतों में और सिफारिशों में कालेज में व्याप्त कुछ वित्तीय अनियमितताओं की बात कही गई है ?

श्री शिवानन्द नौटियाल--

मान्यवर, वित्तीय मामलों के बारे में नहीं कहा गया है। मैंने पहले कहा था कि नियमावली में उन्हों ने परिवर्तन किया था। नियमावली में परिवर्तन करने के लिए मैनेजर और मैनेजिंग कमेटी पूर्ण रूप से सक्षम होती है। वित्तीय अनियमिततायें इस संबंध में प्रकाश में नही आयीं।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

पिछड़ा वर्ग, हरिजन एवं अल्पसंख्यक युवा छात्र संघर्ष समिति द्वारा अनशन एवं मांगें

*श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछड़ा वर्ग हरिजन एवं अल्पसंख्यक युवा छात्र संघर्ष समिति द्वारा अपनी कतिपय मांगोंके पूर्ति कराने हेतु उत्तर प्रदेश विधान सभा के सामने दिनांक 9 मई, 1979 से अनिश्चितकालीन और क्रमिक अनशन का कार्यक्रम चल रहा है? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और सरकार उनकी मांगों के पूर्ति के लिए क्या कर रही है?

राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री (श्री हरिकिशन श्रीवास्तव)--

पिछड़ा वर्ग हरिजन एवं अल्प संख्यक युवा छात्र संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजत अनशन 21 मई, 1979 को समाप्त हो गया है। उनके मांग पत्र के प्रत्येक बिन्दु पर स्थिति संलग्नक में दी हुई है।

(देखिए पृत्थी 'क' आगे पृष्ठ 434-436 पर)

ग्राम हाथी, जिला वाराणसी की ग्राम समाज की भूमि का कथित दान-पत्र

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि जनपद वाराणसी के ग्राम हाथी परगना कसवार सरकार की ग्राम समाज की 5 एकड़ जमीन (जिसमें दो तालाब भी हैं) के दान पत्र को, जो जयकरन शर्मा ट्रस्ट के नाम किया गया था, जिलाअधिकारी वाराणसी ने दिनांक 2 मार्च, 1979 को निरस्त कर दिया है? अगर हां, तो दानपत्र में क्या-क्या अनियमितताएं पायी गयी?

उप मुख्य मंत्री तथा राजस्व मन्त्री (श्री नारायण सिंह)--

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी इसको सही मानते है कि क्या यह सही है कि 1972 आर0डी0 पेज 292 में राजस्व परिषद के अनुसार ग्राम सभा भूमि का कोई दान-पत्र नहीं किया जा सकता और वह अवैध है तथा दान-पत्र के आधार पर न अभिलेखों में दाखिल खारिज होना चाहिए, न कब्जा दिया जाना चाहिए? तो उसके आधार पर जो दान-पत्र किया गया है उसको अवैध करार करते हुए जो भी कब्जा उस जमीन पर है उस कब्जे को खाली कराने का आदेश देंगे।

श्री नारायण सिंह--

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने 1972 आर0डी0 पेज 292 का जिक्र किया, उसकी रूलिंग है, उसको न मानने का सवाल पैदा ही नहीं होता। दूसरे आप यह चाहते हैं

श्री नारायन सिंह--

कि अगर किसी का उस भूमि पर कब्जा है तो उसको हटवाने में विश्वास दिलाता हूं कि उसको हटवाने की कोशिश की जायगी। तीसरे, जो आपने पूछा है, असल में ग्राम समाज किसी को कोई जमीन दान में नहीं दे सकता है। 198 के मातहत एलाट कर सकता है। दान का जो देना है वह अवैध है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में। क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि 2-3-79 को इस दान पत्र के निरस्तीकरण के लिये अतिरिक्त जिलाधिकारी (नगर) को कोई आवेदन-पत्र दिया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री नारायण सिंह--

2-3-79 को जजमेन्ट जो जिलाधिकारी ने दिया है उसमें तो सिर्फ यहां कहा है कि अगर किसी गांव समाज ने कोई जमीन दान की शक्ल में दी है तो वह अवैध है, उसकी कोई इम्पार्टेंस नहीं है, कोई अहमियत नहीं है।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि 2-3-79 को जिलाधिकारी ने जो अपना आदेश दिया उस पर क्या कार्यवाही की गयी? आपकी तरफ से, शासन की तरफ से जिला अधिकारी के आदेश पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री नारायण सिंह--

जिलाधिकारी का आदेश यही है कि वह अवैध माना गया। अगर किसी का इस भूमि पर कब्जा है तो उसका कब्जा हटाया जाय।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

कब्जा हटाया गया या नहीं। जिलाधिकारी ने जो कहा कि कब्जा है, हटाया जाय, उस कब्जे को हटाने के लिये क्या कायवाही की गयी, मान्यवर?

श्री नारायण सिंह--

माननीय सदस्य ने जवाब पूरा सुना नहीं। उसने कहा कि अगर कोई कब्जा है, तो वह हटाया जाये।

श्री शतरूद्र प्रकाश--

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि इस भूमि पर सार्वजनिक चिकित्सालय के नाम पर जमीन जो ली गयी उस पर किसी ने अपने ट्रस्ट से निजी इस्तेमाल के लिये अस्पताल बनाने की घोषणा की है, अस्पताल बना है इस तरह की कोई शिकायत माननीय मंत्री जी को मिली है? तो पूरे प्रकरण की जांच कराने के आदेश किसी उच्चाधिकारी को देंगे?

श्री नारायण सिंह--

जो माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पर किसी अस्पताल की बात है। इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। सिर्फ अभी 15-20 मिनट पहले जानकारी मिली है। आप जैसा चाहें ज्वाइन्ट डायरेक्टर से चाहें या और किसी से चाहें, जांच करा ली जायेगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

जवाइन्ट डाईरेक्टर से करा लें ।

श्री नारायण सिंह---

ठीक है ।

प्रदेश के प्रत्येक जिले से चार अनुसूचित जाति के खेतिहर मजदूरों को कृषि भूमि दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश

*. 3--श्री राम सागर (जिला बाराबंकी), श्री अशर्फी लाल यादव (जिला बाराबंकी) तथा श्री मसदूल हसन नोमानी (जिला बाराबंकी)--

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, 1979 में प्रदेश के 48 जिलों में प्रत्येक जिले के चार अनुसूचित जाति के खेतिहर मजदूरों को कृषि योग्य भूमि खरीद कर दिये जाने हेतु कोई शासनादेश जिलों को भेजा गया था ? यदि हां, तो उसका क्रियान्वयन कितने जिलों में हुआ ? यदि नहीं हुआ तो क्यों ?

नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री देवराम)---

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री राम सागर--

मान्यवर, 18 मई को मैंने प्रश्न पूछा था और मंत्री जी से बहुत अच्छी जानकारी चाही थी कि 48 जिलों में प्रत्येक जिले के चार अनुसूचित जाति के खेतिहर मजदूरों को कृषि योग्य भूमि खरीदकर दिये जाने हेतु जो शासन को आदेश भेजे गये हैं उन पर कार्यवाही कितने जिलों में हुई । जवाब है कि सूचना इकट्ठा की जा रही है । यह बहुत अफसोस की बात है । मैं जानना चाहता हूं कि वह शासनादेश क्या था और किन-किन जिलों के लिये था ?

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न के पहले भाग का जवाब दीजिए । दूसरे के लिये, वह तो सभी जिलों के लिये होगा । शासनादेश क्या था, इसका आप उत्तर दे दें । शासनादेश था या नहीं था, अगर था तो क्या था ?

श्री देवराम--

शासनादेश की प्रतिलिपि मेरे पास नही है । लेकिन मैं जवाब में ही निवेदन किया था कि सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष--

सूचना एकत्रित की जा रही है तो प्रश्न अभी समाप्त नहीं हुआ । अगले सत्र में आयेगा ।

श्री राम सागर--

यह जो पूछा है मैंने शासनादेश.....

श्री उपाध्यक्ष--

सूचना इकट्ठा की जा रही है । इससे स्पष्ट है कि कोई शासनादेश ऐसा है ।

.....(शोर).....

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)--

मान्यवर, सूचना नही है तो इस प्रश्न को स्थगित कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो विचाराधीन है, इसलिये स्थगित ही है। यह अगले सत्र में आयेगा।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, नियम के अन्तर्गत यह प्रश्न स्थगित नहीं हो सकता है चूंकि सदन एडजर्न होने जा रहा है। यह अगले सत्र में नहीं आये गा।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रश्न लम्बित माना जायगा। यह अगले सत्र में आयगा।

श्री मानसिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, मंत्री जी से आश्वासन दिलायें कि क्या हरिजनों के सम्बन्ध में ऐसा ही होता रहेगा ?

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, शासनादेश है कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष--

कह तो दिया कि है प्रश्न स्थगित हो गया इसलिये अब सब बातें एक साथ आ जायें गी।

लेखा परीक्षा अधिकारियों व ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के पदों पर पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थी

*4--श्री राम सजीवन (जिला बांदा) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि 22 फरवरी, 1979 को 16 जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायतों के पदों पर पदोन्नति ज्येष्ठ परीक्षकों के पद से की गई थी जिसमें अनुसूचित जाति एवं जन-जाति का एक भी अभ्यर्थी नहीं लिया गया था ? क्या यह भी सही है कि 26 अप्रैल, 1979 को बीस सीनियर आडिटरों की पदोन्नति में भी अनुसूचित जाति एवं जन-जाति का कोई अभ्यर्थी नहीं लिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह शासनादेश दिनांक 20 मार्च, 1974 का स्पष्ट उल्लंघन नहीं है ?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

यह सत्य है कि शासनादेश संख्या आडिट-669/दस-311 (4)/69, दिनांक 22-2-79 द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों के पद पर 16 ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों की पदोन्नति की गयी थी जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति का कोई ज्येष्ठ लेखा परीक्षक नहीं था क्योंकि पात्रता सूची में कोई अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी ही नहीं था।

यह भी सत्य है कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी के आदेश संख्या सी-20/ए0 3-जन। पदोन्नति /स/ दिनांक 26-4-79 द्वारा ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों के 20 पदों पर लेखा परीक्षकों की पदोन्नति की गयी थी जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति का कोई अभ्यर्थी नहीं था। चयन के लिये बनाई गई लेखा परीक्षकों की पात्रता सूची में एक अभ्यर्थी अनुसूचित जाति का था परन्तु चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया।

इन दोनों चयनों में लिये गये निर्णय से शासनादेश संख्या 15/5/73/रा0एकी0, दिनांक 20 मार्च, 1974 के प्राविधानों का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस शासनादेश के सम्बन्ध में विधिक राय यह है कि रिक्ति के अनुसार जितने अभ्यर्थियों का नाम पात्रता सूची में हो उन्हीं में ज्येष्ठता क्रम में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का नाम हो तो उनके नाम पर विचार किया जाना चाहिये अन्यथा यदि पात्रता सूची के अभ्यर्थियों से वे कनिष्ट हों तो उनके नामों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री राम सजीवन--

मान्यवर, क्या मंत्री जी को जानकारी है कि शासनादेश 20 मार्च, 1974 के अनुसार पात्रता सूची भी तीन होनी चाहिये--अलग-अलग। उस शासनादेश में साफ है कि सामान्य अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के अभ्यर्थियों का चुनाव, उनकी अलग-अलग बनायी सूची से किया जायेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो शासनादेश मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया था उसमें क्या पात्रता सूची अलग-अलग तीन बनायी गयी थीं ? यदि नहीं बनायी गयी थी, तो उसके उल्लंघन के लिये कौन अधिक दोषी है ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, यह शब्दावली का अर्थ समझने में गड़बड़ी हो गई है। पात्रता सूची एक ही बनेगी लेकिन जो सूचियां बनकर आयेंगी, जब उनका चयन होगा तब अलग-अलग सूचियों के अनुसार लोगों का चयन होगा।

श्री ऊदल--

मान्यवर, वित्त मंत्री जी ने 1974 की जिस राजाज्ञा का हवाला दिया उसकी दो लाइन मैं आपकी आज्ञा से पढ़ रहा हूं--"तदुपरान्त निर्धारित संख्या के सामान्य अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति एवं जन-जाति के अभ्यर्थियों का चुनाव अलग-अलग बनायी गयी उनकी सूचियों से अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर किया जायगा।" राजाज्ञा के नम्बर 2 में यह है। क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि तीनों की अलग-अलग जो सूची बनाई गई उसमें कितने सामान्य अभ्यर्थी थे, कितने हरिजन थे और कितने हरिजन जन-जाति के थे ?

श्री मधुकर दिघे--

माननीय ऊदल जी का प्रश्न इसलिये नहीं उठता है कि पात्रता सूची अलग-अलग बनाने की बात नहीं है। इसमें यह है कि "तदुपरान्त निर्धारित संख्या तक सामान्य अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों का चुनाव अलग-अलग बनायी गयी उनकी सूचियों से अनुपयुक्त को छोड़ते हुए ज्येष्ठता के आधार पर किया जायगा।" जब पात्रता सूची बनाई जाती है तो कामन सूची बनती है लेकिन पात्रता सूची में जो लोग आ जाते हैं, समझ लीजिए कि 20 की सूची बनी तो इसमें 15 सामान्य अभ्यर्थियों की एक सूची बनी और 5 अनुसूचित जाति। अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थियों की सूची बनी, जब यह पात्रता सूची में आ गये तो जब चयन होगा तो 15 का अलग होगा और 5 का अलग होगा। पात्रता सूची कामन ही बनेगी।

श्री शम्भूनाथ (जिला जौनपुर)--

माननीय मंत्री महोदय, जैसा आपने कहा कि सूची एक साथ है लेकिन शासन का आदेश अगर आप देखें तो उसमें क्लीयर लिखा है कि अनुसूचित जाति की जो पात्रता सूची बनेगी वह अलग बनेगी। जो आपको समझाया गया है वह गलत समझाया गया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि शासनादेश का आप पुनः अवलोकन कीजिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, यह एक सूची बनी हुई है, इसमें 101 के बाद शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स की सूची बनाई गई है, एक नम्बर से जनरल कास्ट की बनाई गई है और शिड्यूल कास्ट को बाद में रखा गया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस अनियमितता के खिलाफ रिप्रेजेन्टेशन कई विधायकों और शिड्यूल कास्ट इम्प्लाइज के, आपके यहां विचाराधीन हैं, जो आपका बनाया हुआ नियम है, उसके अन्तर्गत यदि कोई अधिकारी जानबूझ कर नियम की अवहेलना करे तो क्या आप उसकी जांच करके उस अधिकारी के खिलाफ नियमानुसार उचित कार्यवाही दण्डित करने के लिये, करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, इसका जवाब तो मैं स्पष्ट कर चुका हूं। पात्रता सूची और चयन की सूची अलग-अलग चीज है।

श्री शम्भूनाथ ––

हाउस में नियम के विपरीत इनके अधिकारियों ने अपनी गलती को छिपाने के लिये ऐसा समझाया है ।

श्री मधुकर दिघे––

मान्यवर, जैसे एक पात्रता सूची बनी है, अगर 550–1200 में चयन करना है. . . . 350 से लेकर 700 तक पहले ज्येष्ठता के अनुसार पात्रता सूची बनेगी और पात्रता सूची में अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग आ जायेंगे तो चयन करते समय उनको प्राथमिकता दी जायेगी इस जी0ओ0 के अनुसार । इसलिए जो माननीय सदस्य ने कहा है वह ठीक नहीं कहा है । इतना मैं जरूर आश्वासन दे दूं कि इस इन्टरप्रिटेशन के सिलसिले में अगर कुछ कर्मचारियों से माननीय सदस्यों का मतभेद हो तो अगर वह चाहें, इसकी जांच करा लेंगे। विधिक राय अगर चाहें तो एडवोकेड जनरल से राय ले लेंगे ।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट (जिला इटावा)––

माननीय मंत्री जी की बात सुनने से लगा कि वह अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके इस हाउस को गुमराह कर रहे हैं । इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि आप डाक्टर लोहिया के अनुयायी हैं और यह बात कह कर उनकी छीछालीदर कर रहे हैं । मेरा कहना यह है कि एक बार सौ लोगों का चयन कर लिया जिसमें से 25 शिड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं और जब अंकों के कम्पेरिजन किया तो जो 25 अनसूचित जाति के थे उनके मार्क्स ऊंचे थे । यदि माननीय मंत्री जी का दिल और दिमाग साफ है और अधिकारियों की गलती को वह छिपाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं मैं यह जानना चाहता हूं एक अनुसूचित जाति के ऊंचे नम्बर पाने वाले अभ्यर्थियों की लिस्ट जनरल कास्ट वाली लिस्ट से सेपरेट. . .

श्री उपाध्यक्ष––

इसका जवाब तो दे दिया. . . .

श्री गौरीशंकर एडवोकेट––

नहीं दिया । सवाल दूसरा है । 20 स्थान में से 5 स्थान अनुसूचित जाति, जन जाति को मिलेंगे इस आधार पर पदोन्नति के लिए चयन किया जाता है ।

श्री ऊदल––

आपकी आज्ञा से जिस जी0ओ0 का मैंने और आपने हवाला दिया है उसके पैरा 2 की ऊपर वाली लाइन पढ़ दे रहा हूं, "जो अभ्यर्थी ज्येष्ठता पर आधारित उक्त पदोन्नति के लिए सर्वथा पात्र एवं अर्ह तथा अनुपयुक्त न पाया जायगा उसको आरक्षण की सीमा तक चुन लिया जायगा । विभाग में होने वाली कुल रिक्तियों की संख्या सामान्य अभ्यर्थियों तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के अनुसार निर्धारित की जायगी" आरक्षण विभाग में 18 प्रतिशत है मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि यह जो सूची बनाई गयी है उसमें बहुत से सीनियर हैं । एक को तो मैं जानता हूं । नाम ले लेता हूं इसलिए कि आप कार्यवाही करेंगे । राम आधार राम ज्येष्ठ लेखा परीक्षक जोनपुर जो सब से सीनियर मोस्ट है, उसका नाम था । उसका नाम लेखा परीक्षक अधिकारी के यहां हरिजन होने की वजह से काटा गया । क्या इसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मधुकर दिघे––

इसको मैं देख लूंगा।

श्री राम सजीवन—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह जो राजाज्ञा है इसकी व्याख्या तोड़ मरोड़ कर की जाय, ऐसा हम लोग महसूस करते हैं क्योंकि चयन करते समय जो पात्रता सूची है उसे आपने अलग-अलग कर दिया है। पात्रता सूची अलग और चयन सूची अलग। इसी भ्रम से पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पात्रता सूची बनाते समय हरिजनों को उचित प्रतिनिधित्व प्रमोशन में देने के लिए आपने तीन सूचियां अलग-अलग क्यों नहीं बनाई ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसका उत्तर दे दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि माननीय सदस्यों को इसके बारे में शक हो तो वह पुनः जांच करने के लिये तैयार हैं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

क्या मंत्री महोदय बतलायेंगे कि यह जो लिस्ट हमारे हाथ में है इसमें 100 नम्बर के बाद 101 शुरू होता है। जन-जाति की अलग लिस्ट होनी चाहिये। अगर यह अलग लिस्ट नहीं होगी तो ऊपर से मान लिया 10 ले लिया. इधर से बिलकुल नहीं आया तो इनका हक छिन जायगा। तो क्या आप इस गलती को दुबारा ठीक करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो आश्वासन दे चुके हैं अगर कोई शक की बात है तो पुनः जांच करा लेंगे।

श्री ऊदल—

मुख्य लेखापरीक्षाधिकारी जब तक उस पद पर रहेंगे हरिजनों के साथ अन्याय होता रहेगा। मैं इसके विरोध में 5 मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(श्री ऊदल तथा श्री राम सजीवन सदन त्याग कर चले गये)

श्री हरि केवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

पिछड़ी जाति और हरिजनों से अलग रखी जाती है। आपातकालीन समय में दर्जनों हत्यायें कराई गयी। पिछड़ी जाति के कोटे को समाप्त किया जा रहा है। सदन में सवाल आया है तो माननीय मंत्री जी उस पर परदा डालने का प्रयास कर रहे हैं। जो सूची बनाई गयी है उसे मंत्री जी निरस्त करके पुनः जांच कराने का आश्वासन देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने इजाजत नहीं दी।

श्री मान सिंह आजाद—

सदन में हरिजनों के साथ ज्यादती हो रही है। जो अधिकारी ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री गौरीशंकर एडवोकेट—

मंत्री जी अधिकारियों के साथ मिल गये हैं। मैं इस व्यवस्था के खिलाफ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री गौरीशंकर एडवोकेट सदन त्याग कर चले गये।)

अल्प संख्यक आयोग का प्रतिवेदन एवं संस्तुतियां

*5—श्री केशरी नाथ त्रिपाठी (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित), श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य (जिला बदायूं) (अनुपस्थित) तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में श्री नसीर उल्ला बेग की अध्यक्षता में अल्प संख्यक आयोग गठित किया गया था, उसने अब तक कोई प्रतिवेदन शासन को दिया। यदि हां, तो वह क्या है ?

(राष्ट्रीय एकीकरण मंत्री) श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

जी हां। अल्प संख्यक आयोग ने अब तक शासन को दो प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं। इनमें मुसलमानों, ईसाइयों, सिक्खों और हरिजनों आदि अल्प संख्यकों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक समस्याओं से सम्बन्धित सुझाव एवं संस्तुतियां दी गई हैं। आयोग के प्रथम प्रतिवेदन (वर्ष 1974–75) को दिनांक 4-11-76 को सदन में रखा गया था। आयोग के द्वितीय प्रतिवेदन (वर्ष 1975–76) में निहित मुख्य-मुख्य संस्तुतियों का विवरण संलग्न है।†

हरिजन कल्याण विभाग के भूतपूर्व उप निर्देशक को लोक सेवा आयोग में प्राविधिक परामर्श दाता के पद पर कथित नियुक्ति

*6—श्री राम सिंह (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी किया यह सत्य है कि हरिजन कल्याण विभाग के किसी ऐसे भूतपूर्व उप निदेशक को लोक सेवा आयोग में प्राविधिक परामर्शदाता नियुक्त किया है जो भ्रष्टाचार के लिए बदनाम थे और जिनके विरुद्ध सतर्कता आयोग की जांच अब तक चल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अपनी संस्तुति निरस्त करेगी?

हरिजन समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती चन्द्रावती)—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

*7—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

[8-6-79 को तारांकित प्रश्न संख्या 10 द्वारा उत्तरित।]

दैनिक भत्ते के आगणन हेतु चतुर्थ श्रणी एवं अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के लिये भिन्न आधार

*8—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या जी-4-97-दस–601-70, दिनांक 12 फरवरी, 1974 जो यात्रा भत्ता की दरों से सम्बन्धित है में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के दैनिक भत्ते के आगणन हेतु वेतन को आधार बनाया गया है ? यदि हां, तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के दैनिक भत्ते के आगणन में वेतन क्रम तथा नियत वेतन का माप-दण्ड रखने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उपरोक्त कर्मचारियों की भांति चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता देने के प्रश्न पर विचार करेगी यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे—

(क) शासनादेश संख्या सामान्य 4–953/दस—601-70, दिनांक 16 जुलाई, 1973 के द्वारा दैनिक भत्ता के प्रयोजन हेतु सरकारी कर्मचारियों का विभिन्न श्रेणियों में विभाजन व उप विभाजन इस प्रकार किया गया है—

---

†छापी नहीं गयी।

श्रेणी		वेतन
1—प्रथम श्रेणी	..	रु0 999 से अधिक
2—द्वितीय श्रेणी—		
(क)		रु0 701 से रु0 999 के मध्य
(ख)		रु0 400 से रु0 700 के मध्य
3—तृतीय श्रेणी—		
(क)	..	रु0 276 से रु0 399 के मध्य
(ख)	..	रु0 181 से रु0 275 के मध्य
4—चतुर्थ श्रेणी		वेतन मान रु0 165–215 व रु0 170–225 में वेतन पाने वाले, तथा रु0 200 प्रतिमास तक नियत वेतन पाने वाले समस्त कर्मचारी तथा 180 रु0 प्रतिमास से अनधिक वेतन पाने वाले कर्मचारी।
		सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 12-2-74 के द्वारा उपरोक्त वर्गीकरण के आधार पर दैनिक भत्ते की दरें निर्धारित की गई।
(ख)		उपर्युक्त वर्गीकरण वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर नवीन वेतन-मान लागू करने के बाद किया गया था। इस सम्बन्ध में पर्याप्त विचारोपरान्त यह उचित समझा गया कि कर्मचारियों का वर्गीकरण नवीन वेतन-मानों में इस प्रकार पुनरीक्षित किया जाय कि यथासंभव प्रत्येक कर्मचारी उसी श्रेणी में बना रहे, जिस श्रेणी में वह नवीन वेतन-मान लागू होने से पूर्व था क्योंकि नवीन वेतन मान लागू करने का मंशा यह नहीं था कि कोई कर्मचारी नये वेतन-मान प्राप्त करने पर एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में चला जाय।
(ग)		अतः चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में वर्तमान व्यवस्था को बदलने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ के इन्टरमीडियेट कालेज, रानीगंज के हरिजन छात्रावास में अनधिकृत व्यक्ति

*9—श्री बाबूलाल सरोज (जिला प्रतापगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रतापगढ़ जनपद के इण्टरमीडिएट कालेज रानीगंज में कोई हरिजन छात्रावास है? यदि हां, तो उसमें कितने हरिजन छात्र रहते हैं? क्या यह सत्य है कि उस हरिजन छात्रावास में छात्रों को न रहने देकर उसी कालेज के अध्यापकगण कब्जा किये हैं तथा उसमें रहते हैं? यदि हां, तो उन अध्यापकों के नाम क्या-क्या ह? क्या सरकार उन अध्यापकों के विरुद्ध उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों को दन्डित करने की व्यवस्था करेंगी?

श्रीमती चन्द्रावती—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

हरिजनों के लिये विशेष अदालतों का गठन

*10—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री हरि केवल प्रसाद, श्री रवीन्द्र सिंह, (जिला गोरखपुर) श्री दुक्खी प्रसाद (जिला गोरखपुर) तथा श्री गौरीशंकर एडवोकेट —

क्या सरकार कृपया बताएगी कि केन्द्रीय सरकार ने हाल में ही प्रदेश की सरकार को यह निर्देश दिया है कि वह प्रदेश में हरिजनों से सम्बन्धित मामलों का निबटारा करने हेतु विशेष अदालतों का गठन करे ? यदि हां, तो क्या प्रदेशीय सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है ? यदि हां, तो इसका क्रियान्वयन कब से होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

जी नहीं। केन्द्रीय सरकार से इस प्रकार का कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। बल्कि यह कहा गया है कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति क उन व्यक्तियों, जो भारतीय दण्ड संहिता या नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के Victims हों, को पूर्ण संरक्षण प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विशेष न्यायालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में विचार कर लिया जाय।

इस सम्बन्ध में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मंत्री जी ने उत्तर दिया है वह परस्पर विरोधी है। सारे प्रदेश में हरिजनों पर आक्रमण हो रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है और न्याय मिलने में देर लग रही है। उनक अन्दर हीनता तथा अरक्षा की भावना पैदा हो गयी है और उत्तर यह दे रहे हैं कि शासन ने अन्तिम निर्णय नही लिया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि निर्णय न लेने में शासन की क्या दिक्कत है ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे उत्तर में विरोधाभास है तो उस सदर्भ में मुझे यह कहना है कि भारत सरकार का कोई निदेश इस प्रकार को नहीं आया।

आपका प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भारत सरकार ने ऐसा निर्देश दिया है। मान्यवर ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। बहुत से पत्र भारत सरकार से आया करते हैं नीति से सम्बन्धित पत्र भी आते हैं। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उसे पढ़ दूं...

श्री उपाध्यक्ष—

आप उसका सारांश बता दें, पूरा पत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

उसका सारांश यह है कि बहुत से ऐसे मुकदमें हैं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों पर चल रहे हैं उनके निस्तारण में विलम्ब हो रहा है। इसलिये ऐसी व्यवस्था की जाय कि उनका निस्तारण जल्दी हो सके। यही इस पत्र का सारांश है और शासन इस पर विचार कर रहा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

मान्यवर, मेरा स्पष्ट सवाल है। जो मंत्री जी ने बताया है वह सारांश नहीं है तो और क्या है..... (शोर)

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया सदन में शांति रखें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

केन्द्रीय सरकार को यह तथ्य मालूम है कि उत्तर प्रदेश में हरिजनों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, मुकदमें हो रहे हैं और जगह-जगह इस सम्बन्ध में आन्दोलन हो रहे हैं। इसीलिये उन्होंने प्रदेशीय सरकार को लिखा है कि उनके मामले का तुरन्त निस्तारण हो। अतः मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने जो पत्र भेजा है, वह निर्देश नहीं है तो और क्या है? क्या यह उपदेश है? यदि निर्देश है तो उसका परिपालन सरकार ने क्यों नहीं किया है?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

यह निर्देश नहीं है, यह परामर्श है मान्यवर, यह पत्र 28 मार्च, 1979 को वहां से चला है और हमारे विभाग में 2-4-79 को आया है। इसमें 2/3 बातें और लिखी हैं जिनके बारे में कहा गया है कि हाई कोर्ट से भी कन्सल्ट कर लिया जाय। इसमें शासन की तरफ से किसी तरह की ढिलाई नहीं है। अप्रैल में हमें यह प्राप्त हुआ है और हमने हाई कोर्ट से परामर्श भी करना है। शासन इस पर विचार कर रहा है।

श्री देव बहादुर सिंह--

माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि उनको केन्द्रीय सरकार को कोई पत्र मिला है जिसमें हरिजनों पर हो रहे अत्याचार के शीघ्र निपटारे की बात कही गई है। प्रश्न यह है कि कोई विशेष अदालत बनाने के लिये सरकार विचार कर रही है कि इन हरिजनों पर हो रहे अत्याचार के केसेज वह देख सके..... (व्यवधान)

श्री शम्भूनाथ--

हरिजनों के खिलाफ तो इस हाउस में भी अत्याचार हो रहा है। उनके खिलाफ को हो रहा है, उसको सुनने वाला ही कोई नहीं। वहां की आप क्या बात कह रहे हैं, सदन में कोई उनकी नही सुनता है।

श्री देव बहादुर सिंह--

उत्तर प्रदेश के अन्दर हरिजनों पर जो अत्याचार हो रहा है, उनके केसेज जो जल्दी निपटाने के लिये क्या सरकार विशेष अदालत बनाने के लिये विचार कर रही है? यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जायेगी और नहीं, तो क्यों?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, जो एडवाइजरी कमेटी, सेन्ट्रल गवर्नमेंट से पत्र प्राप्त हुआ था उसका आशय यही है कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित मामले हैं उनके निस्तारण में विलम्ब हो रहा है और उनको किस प्रकार से जल्दी निपटाया जाय जिससे इस जाति के लोगों में यह विश्वास पैदा हो कि हमें जल्दी न्याय मिल रहा है और सही मिल रहा है।

उसी संबंध में इस पत्र के मिलते ही जानकारी की गई, कार्यवाही की जा रही है। जिसकी ओर संकेत मैंने पहले किया कि उच्च न्यायालय से इसमें परामर्श लेना है। यह सारी कार्यवाही की जा रही है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के संबंध में और उनकी समस्याओं के संबंध में जागरुकता देश में कुछ भी रही हो परन्तु यह शासन जागरुक है और जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी इरादा है उसको पूर्णरूप से लागू करने जा रहे हैं।

श्री देव बहादुर सिंह--

आपने मान्यवर, अनुमति दी थी, मैंने पूछा था कि विशेष अदालतों को बनाने के ऊपर सरकार विचार कर रही है; तो कब तक वह गठित हो जायेंगी? इसका जवाब हम चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, माननीय देवबहादुर सिंह पूछ रहे हैं कि यह कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

कोई समय नहीं बताया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कब तक निर्णय ले लेंगे ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

शीघ्र कार्यवाही होगी । समय नहीं बताया जा सकता है । आपका जो विशेष प्रश्न है उस संबंध मे मैं एक लाइन पढ़ देना चाहता हूं । आई बुड लाइक टुड्रा युवर अटेनशन . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश--

यह क्या पढ़ रहे हैं मान्यवर ? (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र सिंह--

मान्यवर, पत्र बड़ा नहीं है निश्चित रूप से महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये हैं वह पत्र पढ़ा दीजिये ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

मान्यवर, पत्र पढ़ने खड़ा हुआ तो टोक दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

पत्र अंग्रेजी में है और लम्बा होगा इसलिए मैंने आपसे कहा था कि सारांश बता दें ।

श्री रवीन्द्र सिंह--

पढ़ा दीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

पढ़वाने की इजाजत मैं नहीं देता ।

श्री मान सिंह आजाद--

पत्र को पटल पर रखवा दीजिये अभी समय काफी बाकी है 5 बजे तक ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, आप इसकी हिन्दी अनुवाद कराकर उसकी प्रतिलिपियां माननीय सदस्यों के पास भेज दीजिये ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

ठीक है ।

(अगला प्रश्न लेने पर)

श्री रवीन्द्र सिंह--

एक महत्वपूर्ण सवाल इसमें और करना है ।

श्री देवबहादुर सिंह--

एक सवाल करना चाहता हूं, जरूरी है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब नहीं, 10 मिनट का समय रह गया है और भी माननीय सदस्यों के सवाल लेने हैं। नत्थी (ग) प्रश्न।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

लखीमपुर खीरी में बाढ़ पीड़ितों को सहायता सामग्री का वितरण न होना

*1--श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि जनपद खीरी की तहसील लखीमपुर में बाढ़ पीड़ितों को वितरित किया जाने वाला 500 बोरा गेहूं, 500 कम्बल, 500 धोतियां 27 मार्च, 1979 तक वितरित नहीं की गयीं और जब 28 मार्च, 1979 को कमिश्नर लखनऊ मण्डल, लखनऊ न लखीमपुर जाकर उक्त घोटाला पकड़ा, तब रातों-रात काश्तकारों को सारी चीजों का वितरण कर दिया गया ? इस घोटाले से सम्बन्धित कौन-कौन से अधिकारी हैं और उनके खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री नारायण सिंह--

जनपद खीरी की तहसील लखीमपुर में बाढ़ पीड़ितों को वितरित किये जाने हेतु दिनांक 27 मार्च, 1979 तक केवल 300 कु0 गेहूं, 25 धोतियां, 13 कम्बल, 11 खेस व 40 पैकेट मिल्क पाउडर अवशेष थ। आयुक्त लखनऊ मंडल, लखनऊ ने तहसील लखीमपुर का निरीक्षण दिनांक 28-3-79 को नहीं बल्कि दिनांक 29-3-79 को किया था। निरीक्षण के समय मण्डलीय आयुक्त ने बाढ़ पीड़ितों को वितरित किये जाने वाली सामग्री के बारे में जांच कराई जिसके फलस्वरूप उक्त सामग्री वितरण हेतु अवशेष पाई गई। इस मामले में तहसीलदार सदर को उत्तरदायी पाया गया जिन्हें निलम्बित कर दिया गया है तथा जांच चल रही है। उक्त सामग्री का वितरण भी अप्रैल के प्रथम पक्ष में कर दिया गया है।

श्री नरेश चन्द्र--

मान्यवर, यह गंभीर मसला है। बाढ़ पीड़ितों को बांटने के लिए जो सामग्री गई थी, वह रख ली गई। मैं माननीय उप मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सामग्री वितरण के लिए कब भेजी गई थी और कब बांटी जानी चाहिये थी ? क्या इस संबंध में जिलाधीश, खीरी का कोई उत्तरदायित्व नहीं था ?

श्री नारायण सिंह--

मान्यवर, बदकिस्मती यह हुई कि यह सामग्री बहुत लेट भेजी गई। 16/17 मार्च को 300 क्विंटल गेहूं भेजा गया। यह 23 मार्च तक भेजा गया है। यह मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उत्तरदायी जरूर है।

श्री नरेश चन्द्र--

प्रश्न क उत्तर से मालूम हुआ कि तहसीलदार (सदर) उत्तरदायी पाया गया और उन्हें निलम्बित कर दिया गया। तहसीलदार एक छोटा अफसर था, उसको आपने निलम्बित कर दिया और जिलाधीश, खीरी के खिलाफ अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, जबकि उनके विरुद्ध पांच पेज का एक शिकायती पत्र मैंने माननीय उप मुख्य मंत्री जी को और बोर्ड आफ रेवेन्यू को भेजा है, आप बताएं कि उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री नारायण सिंह—

माननीय सदस्य का प्रश्न तो इससे अलग है। जिलाधीश के खिलाफ कोई प्रार्थना-पत्र दिया होगा, तो उसकी मुझे याद नहीं है। लेकिन इतना अवश्य है कि आपने जो कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के खिलाफ ऐक्शन लिया जाना चाहिए' तो मुझे अभी इसी में शंका है कि यह तहसीलदार क्या वाकई में गुनाहगार है या नहीं। क्योंकि वह सामान 16/17 मार्च को गया। मालूम पड़ताहै कि कमिश्नर मौके पर गये और उनसे उन्होंने पूछा कि बांट दिया गया, तो उन्होंने कहा कि बांट दिया। इसमें कोई चोरी की बात होती तो सामान वहां न मिलता। मुझे पूरी जानकारी यह नहीं है कि तहसीलदार दोषी हैं या नहीं। जिलाधीश का तो अभी प्रश्न ही नहीं है।

श्री राघवराम मिश्र (जिला खीरी)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सामान जो लखीमपुर खीरी जनपद में गया यह पूरे जिले के लिए गया या एक तहसील के लिए गया? और यदि पूरे जिले के लिए गया तो एक तहसील में इतने बड़े घोटाले को देखते हुए वह पूरे जिले में बाढ़ सहायता के बारे में जांच करायेंगे ?

श्री नारायण सिंह—

यह तो सीधी बात है, पूरे जिले के लिए गया होगा। यदि माननीय सदस्य जानकारी करायें कि फलां जगह गड़बड़ी है तो जरूर जांच करायेंगे।

श्री नरेश चन्द्र—

यह प्रश्न तो मैंने किया है और इस प्रश्न के साथ-साथ सामान्य प्रशासन के संबंध में तमाम तरह के आरोप उन पर लगाये गये हैं, तो क्या मंत्री जी ऐसे जिलाधीश को तुरन्त वहां से स्थानान्तरित करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी इजाजत नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इस तरह के आरोप और भी जिलों से आए होंगे, तो क्या वह इस पर विचार कर रहे हैं कि जो इस प्रकार का अनुदान आपत्तिकालीन अवस्था में भेजते हैं, तो उसके वितरण आदि में न केवल माल विभाग के, बल्कि क्षेत्रीय विकास के लोग और क्षेत्रीय प्रतिनिधि भी शामिल रहें, उन्हें भी सूचना रहे ?

श्री नारायण सिंह—

मैंने इस किस्म के आदेश अभी जारी कर दिये हैं कि जहां भी बाढ़ पीड़ित सहायता का सवाल पैदा होता है, उसमें हमारे माननीय सदस्यगण और एम0पी0 भी रहें, उन सबको बुलाकर उनके सामने ही वितरित किया जाए। ऐसी कोई नौबत आगे आती है तो उसे उनके सामने किया जाय।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, बाढ़ तो अक्टूबर और नवम्बर में आई किन्तु यह सहायता 23 मार्च तक भेजी जा रही है तो क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि बाढ़ आने के तत्काल बाद तुरन्त 1–2 महीने में यथाशीघ्र यथास्थिति सामान पहुंच जाए? और जो जिले के उच्चाधिकारी हैं उनकी भी रेस्पांसिबिलिटी फिक्स कर दी जाय कि सामान पहुंचने के एक महीने के अन्दर बांट दें ?

श्री नारायण सिंह—

माननीय ऊदल ने उचित सवाल पूछा है मैं उनकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना निवेदन करना चाहूंगा कि यह बाढ़ ऐसी चीज है कि जिसकी जानकारी हम को खुद नहीं होती है। अगर हमने कुछ सामान शुरू में भेज दिया अगर फिर बाढ़ आती है और स्थिति खराब होती है तो फिर रिपोर्ट देते हैं। उसके बाद यहां से भेजा जाता है।

श्री ऊदल—

मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब यह है कि बाढ़ तो वर्षा काल में आती है अक्तूबर तक ले लीजिये कभी कभी नवम्बर तक ले लीजिये सितम्बर अक्तूबर में बाढ़ आती है सामान आपका मार्च में पहुंच रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बाढ़ जब आती है तो जो सामान पहले दिया जाता है बाढ़ के आंकलन पर दिया जाता है, तुरन्त और तत्काल महीने दो महीने के अन्दर उसको भेज दिया जाय और अफसरों की जिम्मेदारी फिक्स कर दीजिये महीने दो महीने के अन्दर बाट दें। बाढ़ आयी सितम्बर में मार्च में भेज रहे हैं। साल भर के बाद इसका क्या औचित्य है? क्या सरकार इस प्रश्न पर आगे विचार करेगी जैसा मैंने सुझाव दिया?

श्री उपाध्यक्ष—

राजस्व मंत्री भविष्य में इस तरह के आदेश दें कि जैसे ही बाढ़ आये जो बाढ़ में राहत पहुंचाने का कार्य हो वह शीघ्रातिशीघ्र समाप्त हो जाय। कई महीने तक न चले एक दो महीने के अन्दर राहत कार्य समाप्त हो जाय।

श्री नारायण सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय पिछली बार जो इस प्रदेश में बाढ़ आयी 1924 से 1978 तक सब से दर्दनाक बाढ़ थी। तहसील में दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ गांव हैं सब में बाढ़ आती है तो जितने कर्मचारी तहसील और ब्लाक के हैं सबके सब दो चार दिन में सहायता कार्य नहीं कर पाते हैं, बाढ़ में आने जाने में परेशानी होती है। सवारियां नहीं जाती हैं। फिर जितना सामान होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लिखता है रेवेन्यु बोर्ड के पास रेवेन्यु बोर्ड सरकार के पास भेजता है, सरकार सैंक्शन करती है, तब जाता है। लम्बी प्रक्रिया होती है। मैंने इस बात के आदेश दिये हैं कि इस किस्म के वाकयात हों तो कार्यवाही बहुत जल्द से जल्द की जानी चाहिए।

चकिया फार्म, देवरिया की सीलिंग से निकाली गई भूमि के गलत आवंटन के कारण पट्टों का निरसन

*2—श्री राज मंगल तिवारी (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जनपद में चकिया फार्म की सीलिंग से निकली भूमि जो भूमिहीनों को पट्टे पर दी गयीथी उसमें गलत आवंटन के कारण कुल कितने पट्टे निरस्त हुए हैं तथा उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई, जो गलत भूमि को आवंटन किये थे? यदि हां, तो किसके-किसके विरुद्ध कार्यवाही हुई? यदि नहीं तो क्यों?

श्री नारायण सिंह—

कुल 15 पट्टे आयुक्त गोरखपुर मंडल, गोरखपुर द्वारा निरस्त किये गये जिनमें से 14 पट्टेदारों द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दाखिल की गयी थीं। दाखिल की गई रिट याचिकाओं में से 5 रिट याचिकाएं फरवरी, 1979 एवं 2 रिट याचिकाएं अप्रैल, 1979 में खारिज हो गई हैं तथा 7 रिट याचिकाएं अभी उच्च न्यायालय में लम्बित हैं। लम्बित रिट याचिकाओं से सम्बन्धित पट्टेदारों की भूमि को छोड़कर शेष अनियमित पट्टों क लिए उत्तरदायी कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री राजमंगल तिवारी--

म माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, मैंने प्रश्न किया था कि वह कौन-कौन से अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही हो रही है, आपने यह जवाब दिया कि उत्तरदायी कर्मचारियों अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के आदेश दे दिये गये ह, मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन कर्मचारियों के खिलाफ और यह आदेश कब दिये गये हैं, और उनके खिलाफ कौन सी कार्यवाही अब तक हुई है ?

श्री नारायण सिंह--

मैं माननीय तिवारी जी को जानकारी देना चाहता हूं कि यह मामला 1960 की सीलिंग का है। लेकिन 1960 में जमीन दी गयी, कौन-कौन अधिकारी राजस्व विभाग की तरफ से दिये गये थे, इसकी जानकारी की जाय कौन-कौन अधिकारी थे जब यह जानकारी आ जायगी तो आदेश दिया जायगा, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी। कार्यवाही करने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन जानकारी जिला प्रशासन से होगी कि कौन-कौन अधिकारी थे।

श्री राजमंगल तिवारी--

मान्यवर, यह आदेश कब दिये गये हैं ?

श्री नारायण सिंह--

तारीख तो मान्यवर, मालूम नहीं है।

तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव के बाढ़ पीड़ितों को भेजे गये गेहूं के वितरण के गोलमाल

*3--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

क्या राजस्व मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जनपद में तहसील सफीपुर के बाढ़ पीड़ितों को सहायतार्थ गत वर्ष भेजे गये गेहूं वितरण में भारी गोलमाल किया गया है और तहसीलदार सफीपुर ने एक ट्रक गेहूं गंगाघाट में बिकवा दिया ? यदि हां, तो क्या सरकार इस गम्भीर मामले की जांच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराने की कृपा करेगी ?

श्री नारायण सिंह--

उन्नाव जिले के बाढ़ पीड़ितों के निःशुल्क वितरण हेतु शासन द्वारा आवंटित कुल 900 मी0 टन गेहूं में से जिलाधिकारी उन्नाव ने तहसील सफीपुर को 475 मी0 टन गेहूं आवंटित किया था। प्राप्त सूचना के अनुसार यह 207 ग्रामों में 1,24,210 व्यक्तियों को वितरित किया गया किन्तु खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत गेहूं के वितरण के संबंध में तहसीलदार सफीपुर द्वारा गोलमाल किये जाने की एक शिकायत साप्ताहिक पैगाम दिनांक 22-3-79 में प्रकाशित हुई तथा माननीय सदस्य से भी शिकायती पत्र दिनांक 16-5-79 प्राप्त हुआ है। प्राप्त सूचना के अनुसार यह शिकायत राजस्व विभाग द्वारा निःशुल्क वितरण हेतु दिये गये उक्त गेहूं से ही सम्बन्धित है जिसकी जांच परगनाधिकारी द्वारा कराई जा रही है। परगनाधिकारी की जांच आख्या प्राप्त होने पर ही यथास्थिति आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

[दिनांक 15 जून, 1979 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

गोरखपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान

*1--श्री बाबू लाल विद्यार्थी (जिला गोरखपुर)--

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि गोरखपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा कितनी और किन-किन स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है ?

नोटः--नियम 38(2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

क्या विभाग ने यह सुनिश्चित करा लिया है कि यह संस्थायें सही रूप में कार्य कर रही हैं तथा यह संस्थायें एक ही व्यक्ति या संस्था द्वारा संचालित नहीं हैं ?

श्री देवराग--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला देवरिया के ग्राम कालविन के भूमिहीन हरिजनों को आवंटित भूमि पर अनधिकृत व्यक्ति का कब्जा

*2--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी--

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद के तहसील देवरिया के अन्तर्गत ग्राम कालविन के भूमिहीन हरिजनों को हरिजन आबादी की जमीन का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त जमीन पर एक शातिर व्यक्ति का कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री नारायण सिंह--

जनपद देवरिया की तहसील देवरिया के अन्तर्गत ग्राम कालविन के हरिजनों को आबादी की जमीन का आवंटन किया गया है। आवंटित भूमि के केवल 0.21 डी0 क्षेत्रफल पर एक व्यक्ति का अनधिकृत कब्जा था जिसके कारण सात आवंटियों को आवंटित भूमि का कब्जा नहीं मिल सका था। अब तहसीलदार द्वारा थानाध्यक्ष की सहायता से सीमांकन कराकर आवंटियों को कब्जा दखल करा दिया गया है। इस समय सभी आवंटी, आवंटित भूमि पर छप्पर आदि डालकर काबिज ह ।

*3--श्री नेम सिंह चौहान--

(7वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

कायमगंज, फर्रुखाबाद के ग्राम भगौतीपुर में स्कूल के लिये छोड़ी गई भूमि की ग्राम प्रधान को बिक्री

*4--श्री गिरीशचन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद), तथा श्री झामलाल अहरवार (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगें कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि फर्रुखाबाद जनपद के तहसील कायमगंज में ग्राम भगौतीपुर और रायपुर राजस्व विभाग में अलग-अलग ग्राम हैं और भगौतीपुर में 70 प्रतिशत से अधिक हरिजन रहते हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें यह भी सूचना मिली है कि ग्राम भगौतीपुर वासियों ने चकबन्दी में 89, डिसमिल भूमि अपने ग्राम में प्राइमरी स्कूल के लिए छुड़वाई थी जिसे ग्राम प्रधान ने जो स्वयं नेशनल इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य भी थे भूमि को पहले नेशनल कालेज क नाम पट्टा किया और फिर प्रधान ने स्वयं अपन नाम कम कीमत पर खरीद लिया ? क्या हरिजन ग्राम की भूमि को हड़पने की इस प्रक्रिया की जांच करवाई गयी ? यदि हां, तो इस अनियमित कार्य में कौन-कौन दोषी पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज तहसील में भगौतीपुर व रायपुर खास दो अलग-अलग ग्राम हैं । यद्यपि इनकी ग्राम सभा एक ही है । ग्राम भगौतीपुर में लगभग 70 प्रतिशत हरिजन रहते हैं। ग्राम भगौतीपुर की 89 डिसमिल भूमि चकबन्दी क्रियाओं के दौरान स्कूल क नाम छोड़ी गई थी जिसे 1376 फसली में परगनाधिकारी के आदेश दिनांक 20-8-68 द्वारा बतौर सीरदार नेशनल इण्टर कालेज रायपुर के नाम अंकित कर दिया गया।

इसके बाद 1382 फसली में दाखिल खारिज के मुकदमा में परगनाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 29–8–74 द्वारा उक्त आराजी को बैनामा के आधार पर उपरोक्त स्कूल के नाम से खारिज करके श्री इमामुल हक शाह तत्कालीन गांव सभा प्रधान एवं प्रधानाचार्य, नेशनल इण्टर कालेज, रायपुर के नाम अंकित कर दिया। तत्पश्चात् 1384 फसली में हिबैनामा के आधार पर नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 27–4–77 से उक्त इमामुल हक शाह का नाम खारिज करके नशनल इण्टर कालेज रायपुर व सरवराकार सैय्यद मुरतजा मुससवी मैनेजर का नाम अंकित किया।

जांचोपरान्त उपरोक्त अनियमित कार्य के लिए दोषी पाये गये अधिकारियों में से एक परगनाधिकारी सेवा निवृत्त हो गए थे तथा एक परगनाधिकारी की मृत्यु हो गयी। संबंधित तहसीलदार स्थानान्तरित हो गए तथा नायब तहसीलदार ने त्याग पत्र दे दिया। अतः उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। संबंधित गांव सभा प्रधान की भी मृत्यु हो चुकी हैं।

रजिस्ट्रार सोसाइटीज लखनऊ में नैत्यिक श्रेणी लिपिकों की नियुक्ति

*5––श्री पूरन चन्द्र––

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि कार्यालय रजिस्ट्रार सोसाइटीज, लखनऊ में कितने नैत्यिक श्रेणी लिपिकों की नियुक्ति बिना सेवायोजन कार्यालय से नाम मंगाए अथवा बिना जिला चयन समिति के अभ्यर्थियों को बुलाए दिनांक 1 सितम्बर, 1978 से 30 अप्रैल, 1979 तक की गयी? यदि हां, तो क्यों? क्या नियुक्ति अधिकारी के प्रति सरकार कठोर कदम उठाएगी?

श्री मधुकर दिघे––

'अधीनस्थ कार्यालयों के मिनिस्टीरियल कर्मचारियों (सीधी भर्ती) की नियमावली, 1975, के अनुसार प्रत्येक कार्यालयाध्यक्ष के लिये यह आवश्यक है कि वह रिक्तियों की सूचना जिला चयन समिति के सचिव को प्रति वर्ष जुलाई में भेजे। रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा बिना जिला चयन समिति से नाम मंगाये कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है। चार नैत्यिक श्रेणी लिपिकों की रिक्तियों में जिला चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं कराये जा सके। अतः उक्त नियमावली के नियमों के अनुसार इन रिक्तियों को भरने हेतु चार तदर्थ नियुक्तियां विभागाध्यक्ष द्वारा की गई हैं।

उपर्युक्त परिस्थिति में नियुक्ति अधिकारी के विरुद्ध किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

*6––श्री बाबू लाल वर्मा, श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री रमेश चन्द्र, श्री तेजभान सिंह, श्री-नाथूराम शिक्षक, श्री भगवान सिंह, श्री देवेन्द्र शर्मा, श्री संगम लाल तथा श्री रेवती रमण रस्तोगी

(8वें शुक्रवार के लिए स्थगित।)

*7––श्री मन्जूर अहमद––

(8वें शुक्रवार के लिए स्थगित।)

ज्येष्ठ लेखा परीक्षक से लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थी

*8––श्री ऊदल––

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियों एवं पंचायत के 16 पदों पर दिनांक 23 फरवरी, 1979 को प्रोन्नति किया गया है? यदि हां,

तो उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 18 फीसदी रिजर्वेशन नहीं दिया गया है ? क्या इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री शंभूनाथ जी ने एक पत्र माननीय मंत्री, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग को दिनांक 19 मार्च, 1979 को लिखा है और एक पत्र आयुक्त, अनुसूचित जाति तथा जन-जाति को भी भेजा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मधुकर दिघे—

यह सत्य है कि शासनादेश संख्या आडिट–669/दस –311(4)/69 दिनांक 22–2–79 द्वारा जिला लेखा परीक्षा अधिकारियों, के पद पर 16 ज्येष्ठ लेखा परीक्षकों की पदोन्नति की गयी थी जिसमें अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति का कोई ज्येष्ठ लेखा परीक्षक नही था क्योकि पात्रता सूची में कोई अनुसूचितजाति का अभ्यर्थी ही नही था। 18 प्रतिशत आरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया। अनुसूचित जाति का एक ही अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध था जिसके नाम पर विचार नही किया गया क्योकि इस संबंध मे विधिक राय यह है कि रिक्ति के अनुसार जितने अभ्यर्थियों का नाम पात्रता सूची मे हों उन्ही में से ज्येष्ठताक्रम में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के नामों पर विचार किया जाना चाहिये किन्तु यदि पात्रता सूची में अभ्यर्थियों से वे कनिष्ठ हो, उनके नामों पर विचार नही किया जाना चाहिये।

उपर्युक्त के संबंध मे माननीय विधायक श्री शम्भू नाथ द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण विभाग को भेजे गये पत्र दिनांक 19–3–79 पर उपर्युक्त की पृष्टि भूमि पर विचार किया गया भविष्य में यदि पात्रता सूचि में यदि अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी उपलब्ध होगा तो आरक्षण के अनुपात मे सभी रिक्त पदों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाने पर ध्यान रखा जायेगा ।

ग्राम हन्ना बिनेका, तहसील मऊ, जिला बांदा में ग्राम समाज की बंजर भूमि का हरिजनों को पट्टा

*9—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेगें कि बांदा जिले में तहसील मऊ के ग्राम हन्ना बिनेका में गाटा नम्बर 56 रकबा 22 बीघा व गाटा नम्बर 45 रकबा 23 बीघा गांव समाज की बंजर भूमि है और वर्ष 1976 में इस भूमि के पट्टे हरिजनों के नाम किये गये है? क्या इन नम्बरों को 1359 फसली की खतौनी में हीरालाल पुत्र शिवराम व अम्बिका प्रसाद, पुत्र राम शिव लोचन के नाम दर्ज कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि खतौनी में फर्जी नाम दर्ज करने की फोर्जरी की गयी है क्या खतौनी को सील करके अग्रिम कार्यवाही रोकी जायेगी ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां संबंधित गाटा संख्या 56 व 45, जिनका रकबा क्रमशः 22 बीघा 4 बिस्वा, व 22 बीघा 9 बिस्वा था, ग्राम सभा के प्रस्ताव दिनांक 8–12–75 द्वारा 13 हरिजनों को पट्टे पर दिये गये हैं। 1359 फसली की खतौनी में उक्त गाटे बंजर के खाते में अंकित है तथा उनके विरूद्ध किसी नाम का इन्द्राज नही पाया जाता है। अतः खतौनी मे फर्जी नाम दर्ज किये जाने या खतौनी सील किये जाने का प्रश्न नही उठता ।

*10—श्री सत्य पाल सिंह यादव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

*11—श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

[8वें शुक्रवार के लिये स्थगित]

लाल पोषपाल सिंह स्मारक इन्टरकालेज, अचलपुर जिला एटा में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का आंशिक भुगतान

*12—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट (जिला एटा)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद एटा में लाल पोष पाल सिंह स्मारक इण्टर कालेज, अचलपुर में अनुसूचित जाति के इण्टर पास विद्यार्थियों को गत वर्ष सिर्फ 8 महीने की छात्रवृति का भुगतान किया गया है तथा शेष चार माह का भुगतान अब तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों और कब तक उनके शेष धन का भुगतान कर दिया जायेगा? क्या यह भी सही है कि अनुसूचित जाति के जो छात्र 11वीं कक्षा पास करके 12 वीं कक्षा में 1978–79 में आ चुके है उनको 11 वीं कक्षा की छात्रवृति भी नही दी गयी?

श्रीमती चन्द्रावती—

एटा जनपद के लाल पोष पाल सिंह स्मारक इण्टर कालेज, अचलपुर में अनुसूचित जाति के इंटर पास छात्रों के गत वर्ष की पूर्ण छात्र वृत्ति का भुगतान कर दिया गया है तथा अनुसूचित जाति के वह छात्र जो वर्ष 1978–79 में कक्षा 12 वीं में अध्ययन कर रहे हैं उन्हे भी नियमानुसार 11वीं कक्षा की छात्रवृत्ति का भुगतान किया जा चुका है।

*13–20—[नियम 47 (1) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण निरस्त।]

रजिस्ट्रार, फर्म सोसाइटीज एवं चिट्स लखनऊ में नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को तार देकर बुलाया जाना

*21—श्री पूरन चन्द्र—

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि क्या रजिस्ट्रार, सोसाइटीज, लखनऊ कार्यालय में किसी ऐसे अभ्यर्थी की 1978 में नियुक्ति की गयी जिसे आगरा से तार देकर बुलाया था? यदि हां, तो किन विशेष कारणों से?

श्री मधुकर दिघे—

जी नहीं। परन्तु 7 फरवरी, 79 को रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स द्वारा श्री सुभाष चन्द्र गुप्ता को तार देकर आगरा से नियुक्ति हेतु बुलाया गया था। इस विषय पर शासन को एक शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है, अतः उक्त पत्र के आधार पर श्री गुप्ता की नियुक्ति किये जाने के विशेष कारणों की जांच शासन द्वारा की जा रही है। जांच के बाद की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

*22—श्री नेम सिंह चौहान—

[7वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 21 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

प्रदेश के कोषागारों में कार्यरत कैश कर्मचारियों को प्रदत्त सुविधायें एवं कैश शाखा का पुनर्गठन

*23—श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)—

क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेगें कि प्रदेश क कोषागार में कार्यरत कैश कर्मचारियों को वे समस्त सुविधायें नही प्राप्त हैं जो अन्य राजकीय कर्मचारियों को प्राप्त हैं तथा उन्हे सरकारी कर्मचारी की संज्ञा में नही लिया जाता जबकि वे राजकीय कोष से निर्धारित वेतन में वेतन पाते हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री मधुकर दिघे—

कैश कर्मचारियों का सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार राज्य का सेवक माना गया है किन्तु विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तें भिन्न-भिन्न होती हैं और तद्-

नुसार सुविधायें प्रदान की जाती हैं। फलस्वरूप कैश शाखा के कर्मचारियों को उनकी सेवा संबंधी शर्तों के आधार पर सुविधायें स्वीकृत हैं एवं तुलना प्रासंगिक नहीं है।

*24—श्री अशोक बाजपेयी—

क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि निदेशक, कोषागार उ0प्र0 द्वारा कोषागारों की कैश शाखा के पुनर्गठन संबंधी बनायी गयी योजना जिसे महालेखाकार द्वारा भी अनुमोदित कर दिया गया था। अभी तक लागू नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे—

कोषागार में कैश शाखा के पुनर्गठन के मामले में विचार किया गया था किन्तु वर्तमान पुरानी प्रणाली में परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं को देखते हुए पुनर्गठित करने का निर्णय मई, 1976 में स्थगित कर दिया गया था।

*25—श्री मन्जूर अहमद—

[8वें शुक्रवार के लिए स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

दैवी आपदाओं से हुई क्षति की पूर्ति तथा राहत कार्य

1—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में आकस्मिक अग्निकांडों से हुई व्यक्तिगत सामूहिक क्षतिपूर्ति तथा राहत कार्य हेतु कितनी कितनी धनराशि जिला प्रशासन के किस-किस स्तर से स्वीकृत करने का प्राविधान है ?

श्री नारायण सिंह—

दैवी आपदाओं से हुई क्षति के लिए राजस्व विभाग द्वारा कोई व्यक्तिगत अथवा सामूहिक क्षति पूर्ति नहीं की गयी जाती। नियमों को प्रतिबन्ध के साथ राहत कार्य हेतु जिला स्तर पर धनराशि स्वीकृत करने का अधिकार निम्न प्रकार है :—

1—अहेतुक सहायता	जिलाधिकारी	सामान्य मामलों में 100 रु0 तक तथा मृतकों के मामले में 1000 रु0 तक प्रति मृतक के परिवार को स्वीकृत करने का अधिकार है।
2—गृह निर्माण अनुदान	जिलाधिकारी ..	कच्चे मकानों के लिये 300 रु0 तथा पक्के मकानों के लिये 400 रु0 तक अधिकार है।
3—तकावी	जिलाधिकारी ..	पूर्ण अधिकार।
	परगनाधिकारी ..	5,000 रु0 सीमा तक।
	डिप्टी प्रोजेक्ट अधिकारी	2,500 रु0 की सीमा तक।
	विकास खण्ड अधिकारी	
केवल ऐक्ट 12 के लिये		
	तहसीलदार	500 रु0 तक।
	नायब तहसीलदार	100 रु0 तक।
4—लगान तथा मालगुजारी का स्थगन	जिलाधिकारी	3 महीने तक।

मण्डलीय क्रीड़ा परिषद्, झांसी एवं जिला क्रीड़ा परिषदों की बैठकों में पारित प्रस्तावों का कार्यान्वयन एवं मंडल के जिलों को आवंटित धनराशि ।

2—श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

क्या खेल-कूद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1976–77, 1977–78 व 1978–79 में मंडलीय क्रीड़ा-परिषद्, झांसी व जिला क्रीड़ा परिषदों की बैठक किन-किन तिथियों में हुई और क्या-क्या प्रस्ताव पारित हुए ? क्या यह सत्य है कि पारित प्रस्तावों पर निदेशालय शासन ने कोई भी कार्यवाही नहीं की है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

मंडलीय क्रीड़ा परिषद् झांसी की बैठक वर्ष 1977–78 में क्रमशः 8–7–77 व 18–2–78 को सम्पन्न हुई थी। इन बैठकों में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए:—

1— 8–7–77 को हुई बैठक में पारित प्रस्ताव:—

1—मंडलीय एवं जिला क्रीड़ा परिषदों का गठन कराया जाना।

2—जनपद एवं मंडल स्तर पर सिविल सर्विसेज प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना तथा रीजनल सिविल सर्विसेज स्पोर्ट्स कन्ट्रोल बोर्ड का गठन किया जाना।

3—प्रत्येक जनपद में क्रीड़ांगन निर्माण की कार्यवाही को प्राथमिकता देना।

4—प्रत्येक जनपद में विभिन्न खेलों के संघों का गठन कराना तथा गठित संघों का सक्रिय बनाना।

2—18–2–78 की हुई बैठक में पारित प्रस्ताव:—

1—जनपदों में स्टेडियम निर्माण को प्रथम स्थान पर प्राथमिकता देना।

2—ध्यान चन्द स्टेडियम, झांसी का जीर्णोद्धार करने हेतु योजनाबद्ध कार्यवाही किया जाना।

3—मंडलीय सिविल सर्विसेज प्रतियोगिताओं को झांसी में सम्पन्न कराना।

4—जनपदों में खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करके प्रत्येक जनपद में खेल-कूद संघों का गठन कराना तथा गठित संघों का सक्रिय करना।

3— 9–11–76 को जिला क्रीड़ा परिषद झांसी की बैठक में पारित प्रस्ताव:—

1—एस0ए म0 इब्राहीम मेमोरियल रीजनल क्रिकेट टूर्नामेन्ट में जनपद से एक अच्छी टीम भेजी जाए।

2—जिला स्तर पर सिविल सर्विसेज के खेल-कूद प्रतियोगिताओं के लिये अधिक धन शासन द्वारा दिया जाए।

3— विभिन्न खेलों में जिला स्तरीय खेलों का आयोजन किया जाये तथा आवश्यक धन की पूर्ति के लिये उप खाद्य नियंत्रक से रु0 2,500 की व्यवस्था कराये जाने का परिषद् को आश्वासन दिया गया।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

3—श्री देव कुमार—

क्या खेल-कूद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1975–76, 1976–77, 1977–78 व 1978–79 में झांसी मण्डल के किन-किन जिलों को जनपदीय एवं मण्डलीय बालक/बालिकाओं की प्रतियोगिताओं के लिए धन आवंटित किया गया था और कितना-कितना ? क्या वर्ष 1979–80 में प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु धन आवंटित किया गया है ? यदि हां, तो कितना-कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

वर्ष 1975–76, 76–77, 77–78 व 78–79 में झांसी मंडल के जिलों को प्रतियोगिताओं के लिये धन का आवंटन नहीं किया गया, वरन् 1977–78 एवं 78–79 में क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, झांसी को जनपदों में प्रतियोगिताओं के लिये निम्न अनुसार धन आवंटित किया गया:—

	रु0
वर्ष 1977–78	
बालकों हेतु	8,300
बालिकाओं हेतु	4,500
वर्ष 1978–79	
बालकों हेतु	16,000
बालिकाओं हेतु	6,000

वर्ष 1975–76, 1976–77 में कोई क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी झांसी में न होने के कारण निदेशालय से प्रतियोगिताओं का व्यय पूरा किया गया है। वर्ष 1979–80 में प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु कोई धन नहीं आवंटित किया गया है। बजट प्रस्ताव पारित होने पर आवंटित किया जाएगा।

ग्राम पडमई, तहसील नरैनी, जिला बांदा को भूमिहीन हरिजनों को भूमि आवंटन की मांग

4—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा)—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद की तहसील नरैनी ग्राम पडमई भूमिहीन हरिजनों के पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का संलग्न पत्र भूमि पट्टों के सम्बन्ध में दिनांक 7 नवम्बर, 1978 का प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अभी भूमिहीन हरिजनों को पट्टा न मिलने का क्या कारण है ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां। उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत प्रकाशन न होने तथा बचत की भूमि सम्बन्धी मुकदमे न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण पट्टे नहीं हो सके हैं।

बांदा में खेल-कूद प्रशिक्षण शिविर लगाने के आदेश तथा मण्डलीय क्रीड़ा अधिकारी, झांसी के विरुद्ध दिया गया ज्ञापन

5—श्री राम सजीवन—

क्या खेल-कूद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 1975–76, 1976–77, 1977–78 व 1978–79 में शासन/खेलकूद निदेशालय उत्तर प्रदेश ने बांदा जनपद में तदर्थ प्रशिक्षकों

को छोड़कर कौन-कौन से खेलों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण शिविर हेतु आदेश दिये थे ? क्या यह सत्य है कि शासनादेश के बाद भी कोई प्रशिक्षक बांदा नहीं गया ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

वर्ष 1975–76, 76–77, 77–78 व 78–79 में बांदा में तदर्थ प्रशिक्षकों को छोड़कर अन्य प्रशिक्षकों से निम्न प्रशिक्षण शिविर निर्धारित थे:—

1975–76

बैडमिन्टन—7 मई से 6 जून, 1976 श्री पुष्प कुमार भंडारी, एन० आई० एस० प्रशिक्षक द्वारा प्रशिक्षण शिविर संचालित किया गया।

1976–77 शून्य।

1977–78

हाकी—15 से 29 दिसम्बर, 1977–श्री हैदर हुसैन, उप क्रीड़ाधिकारी (हाकी) द्वारा प्रशिक्षण शिविर संचालित किया गया।

1978–79

हाकी:—3 से 25 अक्तूबर, 1978—श्री हैदर हुसैन, उप क्रीड़ाधिकारी (हाकी) द्वारा प्रशिक्षण शिविर संचालित किया गया।

एथलेटिक्स—10 से 31 जनवरी, 1979—श्री मूल सिंह, उप क्रीड़ाधिकारी द्वारा संचालित नहीं हुआ।

वर्ष 1977–78 में हाकी शिविर 29 दिसम्बर, 1977 के बाद 15 दिन बढ़ाया गया था, परन्तु आदेश समय से न पहुंचने के कारण उप क्रीड़ाधिकारी शिविर स्थान छोड़ चुके थे।

उक्त में केवल 1978–79 में एथलेटिक्स प्रशिक्षण शिविर का आयोजन उप क्रीड़ाधिकारी के बांदा न पहुंचने के कारण न किया जा सका। जिसके लिये उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की गई है।

6—श्री राम सजीवन—

क्या खेल-कूद मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि तत्कालीन खेल-कूद मन्त्री व राज्य मन्त्री खेल-कूद (श्री रवीन्द्र किशोर शाही व श्री चन्द्र शेखर सिंह) को मण्डलीय क्रीड़ा अधिकारी, झांसी के विरुद्ध कोई ज्ञापन दिये गये थे ? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

जी हां,

प्राथमिक जांच कर ली गई है। जिससे क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, झांसी के विरुद्ध कुछ तथ्य सामने आये हैं, जिन पर विस्तृत जांच की जा रही है।

बांदा जनपद में मेलों के अवसर पर प्रस्तावित खेलकूद प्रतियोगिताओं का स्थगन एवं क्षेत्रीय खेलकूद कार्यालय, झांसी मंडल को आवंटित धनराशि का विवरण

7—श्री रामसजीवन—

क्या खेल-कूद मन्त्री बतायेंगे कृपया कि क्या यह सही है कि वर्ष 1978–79 में शासनादेश के अनुसार बांदा जनपद में प्रमुख मेलों के अवसर पर खेल-कूद प्रतियोगिताओं में आयोजन

की कोई योजना थी, किन्तु क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी, झांसी के असहयोग के कारण नहीं सम्पन्न हो सकी ? यदि हां, तो सरकार ने सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—,

1978–79 में बांदा में चित्रकूट में रामायण मेला के अवसर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना था, यह मेला अक्टूबर, 1978 में होना था, परन्तु वास्तव में मेला वर्ष 1978–79 में न होने के कारण वहां प्रतियोगिता का आयोजन न हो सका। इससे क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के असहयोग का कोई प्रश्न नहीं है और न हीं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही का प्रश्न उठता है।

8—श्री राम सजीवन—

क्या खेल-कूद मन्त्रीकृपया बतायेंगे कि झांसी मण्डल को वर्ष 1977–78 व 1978-79 व 1978–79 में किन-किन मदों में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई और किन-किन कार्यों में कितना-कितना धन व्यय किया गया और क्या यह सत्य है कि उक्त वर्षों में जनपदीय, मण्डलीय खेल-कूद प्रतियोगिताओं पर भी धन व्यय किया गया ? यदि हां, तो किन-किन खेलों पर ?

श्री हरी किशन श्रीवास्तव—

जी हां।

वर्ष 1977–78 व 1978–79 में क्षेत्रीय स्पोर्ट्स कार्यालय, झांसी को विभिन्न मदों में आवंटित की गई धनराशि का एवं व्यय का व्योरा निम्नलिखित है:—

झांसी मण्डल

क्रम-सं0	योजना का नाम	वर्ष 1977–78 बजट एलाटमेंट	वर्ष 1977–78 वास्तविक व्यय	वर्ष 1978–79 बजट एलाटमेंट	वर्ष 1978–79 वास्तविक व्यय
1	2	3	4	5	6
		रु0	रु0	रु0	रु0
1—	ग्रामीण क्षेत्रों में खेल-कूद केन्द्रों का विकास तथा शासकीय/अशासकीय स्कूलों में खेल-कूद केन्द्रों की स्थापना।	5,000	5,099.47	7,500	7,681.60
2—	क्लबों एवं क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं का आयोजन करने एवं खेल-कूद उपकरणों के क्रय हेतु अनुदान।	1,050	800.00	..	..
3—	भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता।	5,700	5,700	6,000	6,000

1	2	3	4	5	6
4	क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय	12,200	4,700.35	2,000	1085
5	खेल-कूद उपकरण, सामग्री एवं सम्पूर्ति ..	10,500	10,317.08	5,630	19,966.60
6	प्रशिक्षण शिविर पर व्यय	4,600	16,587.05	21,600	31,077.72
7	प्रतियोगिताओं का आयोजन	8,300	4,074.28	16,000	16,764.36
8	राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पूर्व प्रदेशीय टीमों का प्रशिक्षण पर व्यय।	2128	462	..	..
9	क्रीड़ांगनों का विकास ..	14,000	13,998.50	76,000	79,203.60
10	महिलाओं को खेल-कूद में प्रोत्साहित करने हेतु धन की व्यवस्था।	4,500	4,521.75	6,100	6,241.50
11	प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में खेल-कूद कार्यक्रमों का विकास।	..	..	105.000	10,499.08

यह सत्य है कि वर्ष 1977–78 व 1978–79 में केवल जनपदीय प्रतियोगिताओं पर भी धन व्यय किया गया। जिन प्रतियोगिताओं पर यह धनराशि व्यय की गई है उनके विवरण निम्नलिखित है—

वर्ष	जनपदीय प्रतियोगिताओं का नाम		व्यय की गई धनराशि
			रु0
1977–78	एक दिवसीय टे0 टे0 प्रतियोगिता	.. ..	40–00
	एक दिवसीय बैडमिन्टन प्रतियोगिता	.. ..	50–00
जून ..	ग्रीष्मकालीन बैडमिन्टन प्रतियोगता	.. ..	200–00
	,, टे0 टे0 प्रतियोगिता	.. ..	150–00
	,, एथलेटिक्स प्रतियोगिता	.. ..	500–00
जुलाई ..	एक दिवसीय टे0 टे0 प्रतियोगिता	.. ..	40–00
	एक दिवसीय बैडमिन्टन प्रतियोगिता	.. ..	50–00
अगस्त ..	5 कि0 मी0 क्रास कन्ट्री रेस	.. ..	350–00
	नाग पंचमी के अवसर पर दंगल	.. ..	500–00
अक्तूबर ..	2 अक्तूबर पर 20 कि0 मी0 वाक रेस	.. ..	400–00

1	2	3
		रु0
फरवरी ..	बालकों की जिम्नास्टिक प्रतियोगिता	400–00
	बालकों की एथलेटिक्स प्रतियोगिता	500–00
	बालकों की हाकी प्रतियोगिता	400–00
	बालकों की कबड्डी प्रतियोगिता	350–00
	बालकों की वालीबाल प्रतियोगिता	350–00
	बालकों की टी0 टी0 प्रतियोगिता	200–00
	बालकों की बैडमिन्टन प्रतियोगिता	200–00
1978–79		
जून ..	ग्रीष्मकालीन टे0 टे0 प्रतियोगिता	150–00
	ग्रीष्मकालीन बैडमिन्टन प्रतियोगिता	200–00
	ग्रीष्मकालीन जिमनास्टक प्रतियोगिता	400–00
	ग्रीष्मकालीन एथलेटिक्स प्रतियोगिता	500–00
जुलाई ..	एक दिवसीय टे0 टे0 प्रतियोगिता	40–00
	एक दिवसीय बैडमिन्टन प्रतियोगिता	50–00
अगस्त ..	झांसी नागपंचमी दंगल प्रतियोगिता	500–00
	उरई " "	
	झांसी 5 कि0 मी0 क्रास कन्ट्री रेस	350–00
	उरई 5 कि0 मी0 क्रास कन्ट्री रेस	350–00
अक्टूबर ..	झांसी जिला टे0 टे0 प्रतियोगिता	150–00
	जिला बैडमिन्टन प्रतियोगिता	200–00
	झांसी 2 अक्टूबर वाकरेस प्रतियोगिता	400–00
	उरई 2 अक्टूबर वाकरेस प्रतियोगिता	400–00
सितम्बर ..	जिला बालिका खो-खो प्रतियोगिता	350–00
	जिला बालिका कबड्डी प्रतियोगिता	350–00
	जिला बालिका वालीबाल प्रतियोगिता	350–00
	जिला बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता	500–00
	जिला बालिका हाकी प्रतियोगिता	400–00
	जिला बालिका जिमनास्टिक प्रतियोगिता ..	350–00
दिसम्बर ..	जिला जालौन वाराहीदेवी मेला प्रतियोगिता ..	3,500–00
जनवरी ..	झांसी 25 कि0 मी0 साइकिल रेस	500–00
	उरई 25 कि0 मी0 साइकिल रेस	500–00
फरवरी ..	झांसी जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता	200–00
	झांसी शिवरात्रि मेला प्रतियोगिता	3,500–00
	बहटा झांसी रंगपंचमी प्रतियोगिता मेला	3,500–00

बांदा की नरैनी तहसील में कुर्सी-बुनाई का भुगतान

9—श्री सुरेन्द्र पाल—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के तहसील नरैनी में बुनी गई कुर्सियों की बुनाई तहसीलदार द्वारा न देने के सम्बन्ध में श्री रसीद उल्ला खां के पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 15 दिसम्बर, 1978 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अभी तक बुनाई (मजदूरी) न देने का क्या कारण है ? क्या सरकार अविलम्ब बुनाई दिलायेगी?

श्री नारायण सिंह—

जी हां। कुर्सियों की बुनाई का भुगतान श्री रसीद उल्ला खां का दिनांक 7 दिसम्बर, 1978 का किया जा चुका है।

गोंडा जनपद की थारू विकास योजना

10—श्री बिन्दू लाल (जिला गोण्डा)—

क्या हरिजन समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा में जो थारू विकास योजना बनाई गई है उस योजना में क्या राजकीय हाई स्कूल भी खोलने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो किस स्थान पर और कब तक ?

श्रीमती चन्द्रावती—

गोन्डा जनपद की थारू विकास योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अतः प्रस्तावित हाई स्कूल के स्थान तथा खोलने के समय का प्रश्न नहीं उठता।

गोंडा जनपद के चकबन्दी योजना के अधीन गांवों का धारा 52 के अन्तर्गत प्रकाशन

11—श्री बिन्दू लाल—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोंडा में कौन-कौन से ऐसे गांव है जिसमें पांच वर्ष से अधिक समय से चकबन्दी चल रही है। इस सम्बन्ध में अभी तक धारा 52 का प्रकाशन नहीं हुआ है यदि हां, तो इतने समय तक प्रकाशन न होने का क्या कारण है ? इन गांवों में कब तक धारा 52 का प्रकाशन कर दिये जाने की संभावना है ?

श्री नारायण सिंह—

जनपद गोंडा में कुल 612 ऐसे ग्राम है जिनमें पांच वर्ष से अधिक समय से चकबन्दी चल रही है किन्तु उनका अभी तक जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत प्रकाशन नहीं किया जा सका है। इन ग्रामों की सूची मेरे कार्यालय में देखी जा सकती है।

उक्त ग्रामों का धारा 52 का प्रकाशन न किये जाने का मुख्य कारण विभिन्न स्तरों पर वादों का अवशेष रहना, कतिपय मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया जाना तथा सीलिंग एवं भूमि आवंटन सम्बन्धी मामलों का अनिस्तारित रहना बताया गया है।

प्राप्त संकेतों के अनुसार स्थूलरूप में उपरोक्त ग्रामों में से 462 ग्रामों में वर्ष 1979-80 में 113 ग्रामों में वर्ष 1980-81 में तथा शेष 37 ग्रामों में वर्ष 1981-82 में धारा 52 के अन्तर्गत अधिसूचना के प्रकाशन का लक्ष्य रखा गया है।

बदायूं में कतिपय महिलाओं की कथित निजी भूमि का आवंटन

12—श्री भगवान सिंह (जिला बदायूं)—

क्या राजस्व मन्त्री को जानकारी है कि जनपद बदायूं के ग्राम मचलई, तहसील बदायूं में आपातकालीन स्थिति के समय श्रीमती लौगथी बेवा चुन्नीलाल व श्रीमती छत्तर कुंवर बेवा भीम की निजी भूमि जिसके नम्बर, 215, 331, 346, व 416, अवैध तरीके से आवंटित

कर दी गई थी, मगर सरकार के आदेशानुसार लेखपाल और प्रधान को निलम्बित कर दिया गया है और आबंटन निरस्त कर दिया गया, मगर भूमि उन गरीब महिलाओं को वापस नहीं की गई ? यदि वापिस नहीं की गई, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

ग्राम मचलई, तहसील बदायूं के गाटा संख्या 215, 331, 346, 416 की भूमि वर्ष 1975 में अनुसूचित जाति के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों आदि को निःशुल्क आवास स्थल आवंटन हेतु अर्जित की गई थी, जिसमें श्रीमती लौंगथी अथवा श्रीमती छत्तर कुंवर का कोई स्वत्व नहीं था। केवल गाटा संख्या 346 पर श्रीमती छत्तर कुंवर का पति श्री भीम का नाम सहखातेदार के रूप में अंकित था। अध्याप्त भूमि का आवंटन 39 व्यक्तियों को किया गया। इस आवंटन के विरुद्ध एक शिकायत की जांच में 5 पट्टों में अनियमिततायें पाई गई तथा इनके निरस्तीकरण की कार्यवाही न्यायालय में विचाराधीन है। पट्टों को निरस्त करने के लिये शासन के कोई आदेश नहीं हैं। इन अनियमितताओं के लिये दोषी लेखपाल की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं तथा प्रधान को निलम्बित करके उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है। चूंकि अर्जित भूमि का आवंटन हो चुका है, अतः उसे भू-स्वामी को वापस करन का प्रश्न नहीं उठता है।

खीरी जनपद में थारू प्रोजेक्ट के लिये प्राप्त धन का उपयोग

13—श्री नरेश चन्द्र—

क्या हरिजन तथा समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी में थारू प्रोजेक्ट के नाम पर कितना पैसा वर्ष 1977–78, 1978–79 में दिया गया है ? उसमें से अब तक कितना पैसा खर्च हुआ और जो पैसा बचा हुआ है वह किस वजह से खर्च नहीं हो पाया है ?

श्रीमती चन्द्रावती—

जनपद खीरी में थारू जनजाति योजना पर वर्ष 1977–78 में रु0 35.19 लाख तथा 1978–79 में रु0 37.425 लाख दिया गया। वर्ष 1977–78 में रु0 3.950 लाख तथा 1978–79 में रु0 1545 लाख खर्च हुआ। वर्ष 1977–78 में रु0 4000 कम्पोस्ट गड्ढों का प्रचलन न होने के कारण समर्पित कर दिया गया। शेष 31.20 लाख रुपया विभागों/निगमों के निर्वतन पर कार्य हेतु रखे गये जो प्रगति पर हैं। इसी प्रकार वर्ष 1978–79 में 35.880 लाख रुपये की धनराशि योजना से संबंधित विभागों तथा निर्माण कार्य जिलाधिकारी द्वारा रखे गये हैं जिनका उपभोग प्रगति पर है।

आपातकाल में गोरखपुर में हरिजनों को भूमि आवंटन सम्बन्धी मुकदमें

14—श्रीमती शारदा देवी (जिला गोरखपुर)—

क्या यह सच है कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा के बाद 20–सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गोरखपुर जिले में अनुसूचित जातियों को भू-आवंटन से सम्बन्धित हरिजन बनाम हरिजन और हरिजन बनाम गांव समाज के कुल कितने मुकदमे चारों तहसीलों मे दायर किये गए थे ? कितनों का निपटारा हो गया है और कितने अभी विचाराधीन हैं ?

श्री नारायण सिंह—

आपात स्थिति की घोषणा के बाद 20–सूत्रीय कार्यक्रम में गोरखपुर जिले में अनुसूचित जातियों के भू-आवंटन से संबंधित हरिजन बनाम हरिजन और हरिजन बनाम गांव समाज के कुल 42 मुकदमें चारों तहसीलों के दायर हुए थे और उन सभी मुकदमों का निपटारा हो चुका है। कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है।

जनपद गोरखपुर में कार्यरत राजस्व अमीनों में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व

15—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर में कार्यरत राजस्व अमीनों की कितनी संख्या है ? क्या उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़े वर्ग का प्रतिशत पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

जनपद गोरखपुर में कुल 589 संग्रह अमीन कार्यरत हैं इनमें से स्थाई संग्रह अमीनों की संख्या 204 एवं पूर्ण वर्ष कालिक अमीनों की संख्या 102 तथा सीजनल अमीनों की संख्या 283 है। इससे सबंधित अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के अमीनों का विवरण निम्न प्रकार है :—

कुल कार्यरत अमीनों की संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	पिछड़ी जाति
204	16	..	38
102	20	..	21
283	30	..	51
योग 589	66	..	110

पिछड़े वर्ग का स्थान कोटे से अधिक है। अनुसूचित जाति में पूर्ण वर्ष कालिक नियुक्ति में स्थान पूर्ण कर लिया गया है, स्थायी अमीनों तथा सीजनल अमीनों में कोटा पूर्ण नहीं है। स्थायी अमीनों में जैसे जैसे स्थान रिक्त हो रहे हैं, स्थान पूर्ण किये जा रहे हैं। अस्थायी सीजनल अमीनों का कोटा पूरा करने के लिये परगनाधिकारी, सदर, बांस गांव तथा फरेंदा को जिलाधिकारी न आवश्यक निर्देश दे दिये हैं। अनुसूचित जनजाति से संबंधित कोई अभ्यर्थी इस जनपद में उपलब्ध नहीं हुआ जिसके कारण कोई नियुक्ति नहीं हुई।

ग्राम नौआ अव्वल, जिला गोरखपुर में बंजर एवं आबादी भूमि का भूमिहीनों में आवंटन

16—श्रीमती शारदा देवी—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर; तहसील सदर निर्वाचन क्षेत्र मुण्डेरा बाजार के ग्राम सभा नौवा अव्वल में कितनी जमीन बन्जर आबादी है ? क्या उन जमीनों को भूमिहीनों को बांटा गया और उन भूमिहीन हरिजनों का कब्जा शासन द्वारा अब तक कराया गया ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

गोरखपुर जिले की सदर तहसील के ग्राम नौआ अव्वल में 2–72 एकड़ बंजर और 8–85 एकड़ आबादी है। यह ग्राम चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत था और इसका रिकार्ड आपरेशन 1378 में फसली समाप्त हुआ था किन्तु यह पाया गया कि रिकार्ड आरेशन का काम ठीक ढंग से नहीं हुआ है और उसमें बहुत सी त्रुटियां हैं। गांव वालों ने इस गांव की पुनः चकबन्दी कराने की मांग की है। त्रुटियों को दूर करने हेतु छानबीन की जा रही है। गांव सभा ने जुलाई 1978 में भूमि आवंटन के लिये प्रस्ताव पारित किया था परन्तु उपर्युक्त परिस्थिति में बिना छानबीन पूरी हुए उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करना उचित नहीं समझा गया।

17—श्री बाबू लाल वर्मा, श्री औसान सिंह तथा श्री रामजी सिंह—

[7वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

वर्ष 1978 में सीतापुर जनपद को प्राप्त धनराशि एवं बाढ़ सहायता सामग्री का वितरण

18—श्री राम नारायण वर्मा (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सीतापुर जनपद को वर्ष 1978 की बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सहायता हेतु ऋण अनुदान तथा खाद्यान्न के रूप में कितना धन बांटा गया ? यह बटने वाला धन किन-किन तहसीलों में कितना-कितना बांटा गया ? क्या इसका विवरण सरकार सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री नारायण सिंह—

वर्ष 1978 की बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों को राहत देने हेतु जिला सीतापुर वितरित किए गए ऋण, अनुदान तथा खाद्यान्न का तहसीलवार विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 437 पर)

सीतापुर जनपद की शिक्षा संस्थाओं में दी गई छात्रवृत्तियां एवं हरिजन छात्रों को प्राप्त सहायता

19—श्री राम नरायन वर्मा—

क्या हरिजन कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1977–78, 1978–79 में सीतापुर जनपद के विभिन्न शिक्षा संस्थाओं के छात्रों को कितनी छात्रवृत्ति दी गयी ? कितन छात्रों की फीस माफ की गयी ? जिन लोगों को इस विभाग द्वारा सहायता दी गयी उनमें कितन छात्र हरिजन तथा पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित हैं ?

श्रीमती चन्द्रावती—

सीतापुर जनपद की विभिन्न शिक्षा संस्थाओं में वर्ष 1977–78, 1978–79 में जो छात्रवृत्तियां प्रदान की गयी हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है:—

वर्ष	छात्रवृत्ति की धनराशि	छात्रवृत्ति की सं0
1977–78	17,95,975	8714
1978–79	25,20,975	11027

इस विभाग द्वारा छात्रों की फीस मांफ नहीं की जाती है बल्कि शैक्षिक संस्थाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति एवं पिछड़ी जाति के शिक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति शैक्षिक संस्थाओं को की जाती है जिसका विवरण निम्नवत हैं:—

वर्ष	छात्र की सं0	जितने शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति की गयी
1977–78	8,572	
1978–79	11,555	

अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों की संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गयी, का वर्षवार विवरण निम्नवत है:—

वर्ष का नाम		1977–78	1978–79
अनुसूचित जाति	..	11,386	14,297
पिछड़ी जाति	..	1,110	4,645

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी सहकारी समितियां एवं पंचायतें, लखनऊ के नैनीताल क्षेत्र के कार्यालय के लिपिकों का स्थानान्तरण

20—श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या वित्त मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी, समितियां एवं पंचायतें, लखनऊ के शासनाधीन नैनीताल क्षेत्र में लिपिक पदों पर 10–15 वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों का प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण होता रहा है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मधुकर दिघे—

एक निश्चित अवधि तक एक ही स्थान पर रह लेने पर वहां से लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण सामान्य परिस्थितियों में किये जाने की नीति नहीं है। विभिन्न प्रशासनिक कारणों से अथवा कर्मचारियों की प्रार्थना-पत्र पर भले ही समय-समय पर लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण नैनीताल क्षेत्र में होते रहे हैं।

उपर्युक्त नीति के अनुसार उक्त क्षेत्र में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के सामान्य स्थानान्तरण की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री नारायण दत्त तिवारी, ज्येष्ठ लिपिक, लेखा कार्यालय जिला परीक्षा अधिकारी, नैनीताल का क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

21—श्री गोविन्दसिंह नेगी—

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ज्येष्ठ लिपिक श्री नारायणदत्त तिवारी, कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, नैनीताल ने श्री राम नेवाज सरोज क्षेत्रीय परीक्षा अधिकारी, नैनीताल के विरूद्ध आर्थिक उत्पीड़न तथा हिन्सात्मक आक्रमण सम्बन्धी शिकायती-पत्र दिनांक 27 फरवरी, 1978 मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां एवं पंचायत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजा था ? यदि हां, तो क्या उनकी जांच की गयी तथा सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मधुकर दिघे—

श्री नारायण दत्त तिवारी, ज्येष्ठ लिपिक, कार्यालय जिला लेखा परीक्षा अधिकारी, नैनीताल का मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी को सम्बोधित एक शिकायती-पत्र दिनांक 27-2-78 प्राप्त हुआ था जिसमें श्री राम नेवाज सरोज क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, नैनीताल के विरुद्ध श्री नारायणदत्त तिवारी को दिनांक 27–2–78 को गालियां देने, कुर्सी उठाकर गाली देते हुए लपकने, उनकी अलमारी का ताला तुड़वाकर उसमें रखे उनके अधिष्ठान सम्बन्धी कागजात व अदालती फाइलें तथा अलमारी में लिफाफे में रखे 127.56 रुपये अपने पास रख लेने के आरोप हैं।

इस सम्बन्ध में की गई जांच में श्री राम नेवाज सरोज, क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, नैनीताल के विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं पाये गये अतः श्री राम नेवाज सरोज,क्षेत्रीय लेखा परीक्षा अधिकारी, नैनीताल के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

22—श्री राम अधार—

[7 वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

कलेक्ट्रेट, बहराइच के आग से ध्वस्त भवन का पुनः निर्माण

23—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या शासन को यह ज्ञात है कि 9 मार्च, 1975 में बहराइच कलेक्ट्री कचहरी की बिल्डिग जल गयी थी और उसकी छतें गिर गयी लेकिन दीवारें सुरक्षित रह गयी ? यदि हां, तो उक्त बिल्डिग की सुरक्षित दीवार पर अब तक छत डलवाने की व्यवस्था न करने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि छत डलवाने के लिए जिलाधिकारी, बहराइच द्वारा इस्टीमेट भेजा गया है परन्तु अभी स्वीकार नहीं किया गया ?

श्री नारायण सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ?

तहसील सदर, गोरखपुर की गांव समाज, नई आबादी एवं बंजर भूमि हड़पने के संबंध में श्री सुरेन्द्र सिंह मजीठिया का पत्र

24—श्रीमती शारदा देवी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद गोरखपुर के तहसील सदर के श्री सुरेन्द्र सिंह मजेठिया द्वारा गांव समाज नई आबादी एवं बन्जर जमीन को हड़पने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा माह जनवरी सन् 1978 से अब तक कितने पत्र शासन को प्राप्त हुए हैं और इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायणसिंह—

श्री मजेठिया द्वारा गांव समाज, नई आबादी एवं बंजर भूमि को हड़पने के सम्बन्ध में 1978 से अब तक मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्त्ता महोदया का केवल एक पत्र दिनांक 27 अप्रैल, 1978 मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुआ था और इसकी एक प्रतिलिपि माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री को भी प्राप्त हुई थी । पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच परगनाधिकारी, गोरखपुर से कराई गई तथा सभी आरोप आधार रहित पाये गये । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

बलरामपुर के ग्राम रतनपुर में अग्निकांड से प्रभावित व्यक्तियों को सहायता

25—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी (जिला गोंडा)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रतनपुर, पोस्ट धवई तहसील बलरामपुर में वर्ष 1978 तथा 1979 में कितने घर एवं जानवर अराजक तत्वों द्वारा जला दिए गए हैं ? क्या इस सम्बन्ध में प्रभावित लोगों के प्रार्थना पत्र के साथ प्रश्नकर्त्ता का कोई पत्र भी मार्च के अन्तिम सप्ताह में माननीय मन्त्री को मिला है ? यदि हां, तो क्या क्षतिग्रस्त लोगों को सहायता पहुंचाने की कृपा करेंगे ? क्या जिन कर्मचारियों ने इसमें लापरवाही की, उनको भी दण्डित किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

प्रश्नगत ग्राम में कोई घर या जानवर अराजक तत्वों द्वारा नहीं जलाया गया है लेकिन माह दिसम्बर, 1978 में रात्रि के करीब बारह बजे अलाव से अचानक आग लग जाने से सात व्यक्तियों के घर तथा तीन मवेशियों के जल जाने की सूचना प्राप्त हुयी है।

प्रश्नकर्ता का एक पत्र दिनांक 25-3-79 जिसके साथ ग्राम रतनपुर के निवासियों का पत्र भी में था, प्राप्त हुआ है। उस पत्र में बीज, खाद तथा सिंचाई आदि की सहायता देने की मांग की गयी है जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। किसी कर्मचारी द्वारा इसमें लापरवाही बरतने की कोई रिपोर्ट नहीं है। अतः किसी को दन्डित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

ग्राम ममसी बुजुर्ग, जिला बांदा में ग्राम समाज की भूमि पर कथित अनधिकृत कब्जा

26—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव ममसी बुजुर्ग तहसील करवी, जिला बांदा में गांव समाज की कितनी जमीन के पट्टे विगत 4-5 माह पूर्व किए गए थे और क्या उन पट्टों की जमीनों की मौके पर पैमाइश करके कब्जा दिला दिया गया है? क्या यह भी सही है कि गांव समाज की अधिकांश जमीनों पर ग्राम प्रधान ने नाजायज अलिखित कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं की गयी?

श्री नारायण सिंह—

ग्राम ममसी बुजुर्ग में माह नवम्बर, 1978 में 200 बीघा 19 बिस्वा गांव सभा भूमि के 100 पट्टे दिये गये थे तथा आवंटित भूमि का कब्जा भी मौके पर नाप कर संबंधित आवंटियों को दे दिया गया है। गांव सभा की किसी भूमि पर प्रधान का अनधिकृत कब्जा नही है। अतः उक्त सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

आगरा जनपद के हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां

27—चन्द्रभान मौर्य (जिला आगरा)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978-79 आगरा जनपद मे हरिजन छात्रों के छात्रवृत्ति के कितने आवेदन प्राप्त हुए और कितना रुपया दिया गया और यदि नही दिया गया, तो क्यों? जिन अधिकारियों की लापरवाही से छात्रवृत्ति वितरित नहीं हो सकी, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी?

श्रीमती चन्द्रावती—

वर्ष 1978-79 मे आगरा जनपद में हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 11,052 आवेदन प्राप्त हुए इनमे से 6021 आवेदन पत्रों पर 25,68,000 रु0 स्वीकृत किया गया। शेष आवेदन-पत्र धन के अभाव के कारण अनिस्तारित रहे। इसमें किसी अधिकारी की लापरवाही नहीं रही। अब बकाया छात्रवृत्ति के भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

सहारनपुर जिले के कतिपय ग्रामों में अध्याप्त भूमि का आवंटन एवं कब्जा

28—श्री राम सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम तिवाया तथा खजूरी अकबरपुर, तहसील सहारनपुर, ग्राम चन्देना कोली, दुगचाडा तथा पहांसू, तहसील देवबन्द तथा ग्राम लण्डौरा, तहसील रुड़की, जिला सहारनपुर में भूमि अध्याप्त करने के बावजूद भी अभी तक आवंटित करके उन्हें कब्जा नहीं दिलाया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री नारायण सिंह—

ग्राम तिवाया, तहसील सहारनपुर में अध्याप्त की गयी भूमि के खसरा नं0 177 के सभी 19 आवंटियों को कब्जा दिला दिया गया है। खसरा नं0 37 की अर्जित भूमि के आवंटन की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि सभी पात्र व्यक्तियों को गांव सभा भूमि आवंटित की जा चुकी थी। शेष पात्र व्यक्तियों को ग्राम सभा की उपलब्ध भूमि आवंटित करके कब्जा दिया जा चुका है।

ग्राम खजूरी अकबरपुर, तहसील सहारनपुर में अजन की कार्यवाही के पश्चात अध्याप्त की गयी भूमि के आवंटन की आवश्यकता नहीं हुई क्योंकि सभी 176 पात्र व्यक्तियों को गांव सभा की भूमि आवंटित की जा चुकी है ।

ग्राम चन्देना कौली, तहसील देवबन्द में 3 बी अध्याप्त भूमि का आवंटन करके आवंटियों को कब्जा भी दिला दिया गया था किन्तु बाद में पुराने खातेदार ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया । अत: उनके विरुद्ध फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही चल रही है ।

ग्राम दुगचाढ़ा, तहसील देवबन्द में 1 बीघा 12 बिस्वा अध्याप्त भूमि का आवंटन कर दिया गया किन्तु आवंटियों को कब्जा दिलाते समय पुराने खातेदार ने फौजदारी कर दी जिसके लिए उनके विरुद्ध फौजदारी न्यायालय में कार्यवाही चल रही है ।

ग्राम पहांसू, तहसील देवबन्द में 4 बीघा 3 बिस्वा अर्जित भूमि का आवंटन करके आवंटियों को कब्जा दिलाया जा चुका है ।

ग्राम लण्ढौरा, तहसील रुड़की में 4 बीघा 10 बिस्वा अर्जित भूमि का आवंटन करके आवंटियों को कब्जा भी दिला दिया गया था किन्तु पुराने खातेदार ने जबरदस्ती इसे जोत लिया था। इस पर पुलिस सहायता से दिनांक 26-12-78 को पुन: आवंटियों को कब्जा दिला दिया गया है ।

करवी, बांदा में हरिजनों की भूमि पर अनधिकृत व्यक्तियों का कब्जा

29—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले में करवी तहसील के अन्तर्गत कितने गांवों में कितने हरिजनों की निजी काश्तकारी एवं पट्टे की भूमि पर असरदार व्यक्तियों द्वारा अनाधिकार कब्जा है और खतौनी में वर्ग 9 में अपना नाम दर्ज करा लिया है ? क्या ऐसे अनधिकार कब्जों को हटाने तथा हरिजनों को उत्पीड़न से बचाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

बांदा जिले की तहसील करवी में 410 ग्राम हैं अत: बिना विशेष सर्वेक्षण कराये यह बता पाना सम्भव नहीं है कि हरिजनों की निजी काश्तकारी की कितनी भूमि पर असरदार व्यक्तियों ने कब्जा करके वर्ग 9 दर्ज करा लिया है । भू अभिलेखों में जाति नहीं लिखी जाती है । वर्ष 1970 (1378 फसली) से खातेदारों को भूमि पर अनधिकार कब्जा लिखा जाना वर्जित है और यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य खातेदार की भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर लेत है तो उत्तर प्रदेश जमीन्दारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार सम्बन्धित खातेदार को बेदखली हेतु सक्षम न्यायालय में स्वयं वाद प्रस्तुत करना चाहिये । शासन द्वारा स्वय मे व (सू0 मोटो) बेदखल करने का कोई प्राविधान नहीं है ।

जहां तक हरिजनों को पट्टे पर दी गई गांव सभा भूमि का प्रश्न है, शासन द्वारा ऐसी भूमि पर हुए अनधिकृत कब्जों को बलपूर्वक हटाने और दोषी व्यक्तियों को दण्डित करने की व्यवस्था उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश अधिनियम की धारा 198-ए में की गई है ।

तहसील बिधूना, इटावा में भूमिहीन हरिजनों को आवंटित पट्टे एवं कब्जा

36—औसान सिंह (जिला इटावा)—

क्या राजस्व मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मार्च, 1979 तक इटावा जनपद की विधूना तहसील में कितने भूमिहीन हरिजनों को आवंटित किए गए तथा आवंटियों को कब्जा मिल चुका है ?

श्री नारायण सिंह—

इटावा जनपद की तहसील विधूना में मार्च, 1979 तक कुल 7,648 पट्टे भूमिहीन हरिजनों को आवंटित किये गये तथा सभी आवंटियों को कब्जा दिलाया जा चुका है।

बलिया जनपद के हरिजन एवं पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृतियां

31—श्री गौरी शंकर भैया तथा श्री राम गोविन (जिला बलिया)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बलिया जनपद में हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग में हरिजन एवं पिछड़ी जाति के कितने छात्रों ने छात्र-वृत्ति के लिये इस वर्ष आवेदन किया है ? उनमें से कितने छात्रों को अब तक सहायता दी जा चुकी है तथा बाकी को यह सहायता कब तक दे दी जायगी ?

श्रीमती चन्द्रावती—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

देवरिया जिले के कतिपय ग्रामों के चकों में संशोधन हेतु प्रार्थना-पत्र

32—श्री बांकेलाल तथा श्री बसन्त (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान व सदस्य, चकबन्दी कमेटी, ग्राम सभा रामपुर हिरामन सहायक चकबन्दी हल्का नं0 10 (दस) क्षेत्र शासपुर व चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र, देवरिया सदर, जिला देवरिया ने अपने ग्राम में आबादी व अन्य आवश्यक चकों में संशोधन हेतु कोई पत्र रजिस्टर्ड डाक सं0 5449, दिनांक 21 फरवरी, 1979 द्वारा राजस्वमंत्री को भेजा है ? यदि हां, तो उसपर क्या कार्यवाही की गयी और नहीं तो क्यों तथा यह भी बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान व सदस्यगण चकबन्दी कमेटी, ग्राम सभा, पिपरा मदन गोपाल; सहायक चकबन्दी हल्का नं0 10 (दस) चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र देवरिया सदर, जिला देवरिया ने अपने ग्राम के नन्दटोला में चक रोडों में सुधार एवं आवादी में संशोधन हेतु जो रजिस्टर्ड पत्र सं05448, दिनांक 21 फरवरी, 1979 को राजस्व मन्त्री को भेजा था, उस पर क्या कार्यवाही की गयी और नहीं, तो क्यों ?

श्री नारायण सिंह—

जी हां। ग्राम सभा रामपुर हिरामन के प्रधान व सदस्य चकबन्दी कमेटी का अपने ग्राम में आबादी के लिए आरक्षित भूमि व चकों में संशोधन विषयक दिनांक 21 फरवरी, 1979 का एक प्रार्थना पत्र शासन को प्राप्त हुआ। इस पत्र पर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा स्थानीय जांच कराये जाने पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई।

ग्राम सभा पिपरा मदनगोपाल के प्रधान व सदस्यगण चकबन्दी कमेटी का भी दिनांक 21 फरवरी, 1979 का एक प्रार्थनापत्र शासन को प्राप्त हुआ था। इस पर भी बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी द्वारा स्थानीय जांच कराये जाने पर ग्राम नन्दटोला के उत्तर-पूरब में स्थित मुख्य मार्ग बेलवाजार ग्राम की सरहद से आने वाली चक रोडों से मिलाने की आवश्यकता अनुभव हुई और इस हेतु नियमानुसार व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है।

तहसील करवी, जिला बांदा में हरिजनों की भूमि पर भूतपूर्व जमींदारों का अवैध कब्जा

33—श्री राम सजीवन—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जिले की करवी तहसील के परसौजा गांव के छोटा पुत्र बुधुआ चमार आदि कई हरिजन ने जिलाधिकारी, बांदा, कमिश्नर झांसी व चेयरमैन, राजस्व परिषद् को 21 जनवरी, 1979 को प्रार्थना पत्र भेजकर शिकायत की है

कि गांव के कुछ भूतपूर्व जमींदार 175 बीघा गांव समाज की जमीन, 78 बीघा शिवा के नाम की जमीन व 43 बीघा उदय प्रताप व करीब 42 बीघा लाला साहब, पुत्र लाल शिव दर्शन के फर्जी नामों की जमीनें तथा 124 बीघा अन्य फर्जी नामों की जमीनें अपने नाम दर्ज करा लिया है और उनपर नाजायज ढंग से कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री नारायण सिंह--

जी हां। प्रार्थना पत्र पर जांच कराये जाने पर यह विदित हुआ है कि श्री शिवकुमार सिंह पुत्र श्री रामअधीन सिंह निवासी ग्राम परसोजा ने ग्रामसमाज में निहित ग्राम परसोजा के 60 गाटा क्षेत्रफल 174 बीघा 4 बिस्वा भूमि पर अध्यापन के आधार पर उ0 प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 229-बी के अधीन वाद दायर किया था जो जुडीशियल आफिसर (माल) कर्वी द्वारा खारिज कर दिया गया था। जुडीशियल आफिसर के उक्त आदेश के विरुद्ध आयुक्त की न्यायालय में अपील की गई जो खारिज हो गई। अब वादी ने राजस्व परिषद में द्वितीय अपील दायर की है जिस पर न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 18 अप्रैल, 1975 द्वारा अपीलकर्ता को बेदखली रोकने व यथास्थिति (स्टेटस को) कायम रखने के आदेश दिए है अतः अपील का निर्णय होने तक कोई अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं है। श्री शिवा उर्फ शिवलाल, उदय प्रताप सिंह, श्रीमती सविताद्वी तथा लालासाहब पुत्र लाल सुदर्शन की भूमि क्रमशः 47बीघा 12 बिस्वा, 81बीघा 3बिस्वा, 41 बीघा 12बिस्वा 4 बिस्वांसी व 34 बीघा 16 बिस्वा 5 बिस्वांसी की बेनाम मानकर श्री शिवकुमार सिंह के खाते में छोड़कर उन्हें सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस दिया गया था किंतु नियत प्राधिकारी कर्वी ने अपने आदेश दिनांक 15 अगस्त, 1976 द्वारा सभी व्यक्तियों को अलग अलग खातेदार मानकर नोटिस वापस ले ली है। श्री शिव कुमार सिंह व महेश प्रताप सिंह व राज बहादुर सिंह पुत्रगण राम अधीन सिंह के नाम 1362 से 1386 फसली के बीच 7 मुकदमों में कुल 93 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज करने के आदेश हुये हैं। इस प्रकार उपरोक्त सभी इन्द्राज न्यायिक कार्यवाही से सम्बन्धित है।

विविध विषय

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)--

मेरा एक प्रश्न स्थगित कर दिया गया था। आज जो उत्तर दिया गया है बिल्कुल वैसा ही उत्तर है। मैंने निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में पूछा था।

श्री उपाध्यक्ष--

खाद्यान्न योजना के बारे में माननीय मंत्री जी का वक्तव्य है।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 303 उप खंड एक को देखें।

श्री उपाध्यक्ष--

उसको नियम 301 की सूचनाओं के बाद उठाइये। इसके अन्तर्गत काफी सूचनायें आयी हैं। जो बहुत आवश्यक थी उनको इजाजत दे दी है शेष सूचनाओं को कार्यवाही के लिये शासन के पास भेजे देंगे।

जलालपुर, जनपद फैजाबाद के सिनेमा मालिकों द्वारा पांच-पांच शो चलाने तथा गुन्डा गर्दी करवाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अपने निर्वाचन क्षेत्र जलालपुर जनपद फैजाबाद में दो सिनेमा हालों द्वारा प्रतिदिन पांच-पांच शो सिनेमा चलाने तथा सिनेमा मालिकों द्वारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[भगवती प्रसाद सिंह]

गुण्डे पाल रखना, जिसके कारण गुण्डई, गरीबी अराजकता एवं पैसे का अपव्यय की ओर इस लोक महत्व सूचना से माननीय सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, दोनों सिनेमा हाल मुख्य सड़क, अस्पताल एवं कालेज के बगल हैं तथा पांच-पांच शो चलाने के कारण गुण्डई को रोकने के लिए जो गुण्डे सिनेमा मालिकों द्वारा पाले गये है, उनके द्वारा आम जनता, कस्बे के औरतों, पुरुषों को रास्ता चलते छेड़ते रहते हैं तथा औरतों के साथ अभद्र व्यवहार तथा प्रतिदिन अपमानित किया करते हैं जिससे जनता में काफी असंतोष है।

मान्यवर, माननीय सदन के माध्यम से आप शासन को निर्देश दें कि सिनेमा हाल के अवैध रूप से पांच-पांच शो चलाने एवं पाले गये गुण्डों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़खानी एवं अभद्र व्यवहार को रोकने के लिये शासन तुरन्त प्रबन्ध करे। गुण्डों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट चलाने की भी प्रबल मांग करता हूं।

कानपुर नगर में पेय जल संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री बाबूराम शुक्ल (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, कानपुर महानगर के 20 लाख नागरिक आज की इस भीषण गर्मी में पेयजल के अभाव से त्रस्त हैं। नगर में कुछ मुहल्ले तो ऐसे हैं जहां पानी के प्रेशर की कमी के कारण घरों में लगे नलों में एक बूंद भी पानी नहीं आता परिणामस्वरूप लोगों को घड़े एवं बाल्टी लेकर सार्वजनिक नलों पर लाइन लगानी पड़ती है जहां अक्सर नल में बाल्टी कौन पहले लगाये, इस बात को लेकर झगड़े होते हैं तथा सिर फूटते हैं। वैसे तो सम्पूर्ण नगर में ही पेयजल का अभाव है किन्तु कुछ मोहल्ले ऐसे हैं जैसे—सदर बाजार क्षेत्र जाजमऊ, लालबंगला, खलासी लाइन, ग्वालटोली, शहर की सभी श्रमिक बस्तियां, जहां कि नलों में पानी नहीं के बराबर आता है। शहर में पेयजल के अभाव का एकमात्र कारण है कि भैरवघाट, कैनाल तथा बेनाझाबर में लगे हुए 24 वाटर पम्पिंग मशीनों में से केवल 15 काम कर रही है। जिसमें 50 मिलियन गैलन पेयजल सम्पूर्ति से घट कर केवल 36 मिलियन गैलन रह गये हैं।

अतः माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शासन के समक्ष निम्नलिखित सुझाव इस विश्वास के साथ प्रस्तुत करता हूं कि यदि शासन ने तद्नुसार कार्य किया तो कानपुर शहर के नागरिकों को पेयजल की समस्या का अस्थायी समाधान हो सकेगा।

1—नगर में 32 निर्माणाधीन ट्यूबवेल को युद्ध-स्तर पर पूरा किया जाय।

2—जो ट्यूबवेल जल संस्थान द्वारा पूरे बना दिये गये हैं उन्हें अविलम्ब बिजली कनेक्शन देकर चालू किया जाय।

3—सदर बाजार क्षेत्र को पेय जल सम्पूर्ति के लिए किराना सेवा समिति के सामने कैनाल पटरी पर बने ट्यूबवेल से जोड़ दिया जाय।

4—बैनाबाजार, भैरवघाट तथा कैनाल पम्पिंग स्टेशनों पर खराब पड़ी मशीनों को अविलम्ब ठीक कराया जाय।

शुद्ध पेयजल की सम्पूर्ति के लिये जिन क्षेत्रों में सीवर लाइन तथा वाटरपाइप लाइन एक साथ पड़ी है उन्हें खोद कर पुनः अलग-अलग डाला जाय।

अयोध्या में महाकवि संत तुलसीदास द्वारा हस्त लिखित बाल कांड की प्रति की चोरी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री जय शंकर पांडेय (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, मैं आपका ध्यान अयोध्या में महाकवि संत तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित बालकांड की प्रति चोरी हो जाने के बाद शासन द्वारा न प्राप्त किए जाने तथा एन्टीक्वीटीज एक्ट 1972 के अन्तर्गत उक्त दुर्लभ ग्रन्थ के पंजीकृत न होने के सम्बन्ध में आकर्षित करना चाहता हूं।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अयोध्या कोतवाली में जून वर्ष 1979 के प्रथम सप्ताह में मंदिर श्रवणकुंज, अयोध्या, फैजाबाद के महन्त द्वारा इस दुर्लभ ग्रन्थ के चोरी हो जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट लिखायी गयी थी। अभियुक्त जानकी प्रसाद ने एक प्रार्थना पत्र जिलाधिका ी, फैजाबाद को देकर यह स्वीकार किया था कि उक्त दुर्लभ ग्रन्थ उसके पास सुरक्षित है और उसे न्यायालय के समक्ष विधि कार्यवाही के अन्तर्गत प्रस्तुत करेगा। अभियुक्त द्वारा निश्चित तिथि के बाद उक्त ग्रन्थ को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया और यह तर्क लिया गया कि उक्त ग्रन्थ को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वह बाध्य नहीं है।

संत साहित्य के तमाम विद्वानों तथा अयोध्या के जन जीवन में इस घटना से अत्यधिक ोष है। इस बात ने घर कर लिया है कि उक्त दुर्लभ ग्रन्थ की तस्करी द्वारा बाहर भेजा जा चुका है। मेरा निवेदन है कि आप जिलाधिकारी, फैजाबाद को निर्देश दें कि यह उक्त दुर्लभ ग्रन्थ जो अभियुक्त अपने पास होना बताता है, को एन्टीक्वीटीज ऐक्ट, 1972 के अन्तर्गत पंजीकृत कराये तथा राष्ट्रीय महत्व का दुर्लभ ग्रन्थ होने के कारण सरकार उसे उपलब्ध कराये और सदन को सूचित करें।

मान्यवर, आप मंत्री जी को निर्देश दे चुके थे लेकिन आज तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी है। हमेशा कह दिया जाता है कि मामला गम्भीर है और सरकार इसे प्राप्त करेगी। मान्यवर, मेरी प्रार्थना है कि ऐटीक्विटीज ऐक्ट में इसे पंजीकृत करायें और सदन की सूचित करें।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी कृपया इस पर विशेष ध्यान दें।

श्री जय शंकर पांडेय—

मान्यवर, इस पर आप निर्देश दें। आपने पहले भी इस पर ध्यान देने को कहा था लेकिन अब तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी है।

श्री उपाध्यक्ष—

कार्यवाही हो रही है। आप कृपया बैठिए।

देवरिया–रुद्रपुर सड़क के निर्माण में लाखों रुपये के गोलमाल के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

देवरिया–रुद्रपुर सड़क के निर्माण में लाखों रुपये के गोलमाल का मामला जनता द्वारा प्रकाश में लाया गया। सरकार ने सतर्कता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से जांच करायी। प्राप्त सूचना के अनुसार सतर्कता विभाग ने अपनी जांच आख्या सरकार को पेश कर दिया और सड़क निर्माण में गोल माल को पुष्ट किया है। सतर्कता विभाग ने कई अवर, सहायक व अधिशा ी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति किया है तथा सा0नि0विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को भी दोषी करार दिया है। परन्तु खेद है कि उच्च अधिकारियों के दबाव व प्रभाव के कारण यह मामला दबाया जा रहा है। यदि इस मामले को दबा दिया गया तो भ्रष्टाचारियों का बोल बाला हो जायगा। गम्भीर कार्यवाही तो दूर रही स्थानान्तरण आदेशों का भी कार्यान्वियन नहीं किया जा रहा है। इससे सरकार की छवि बिगड़ रही है।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को सदन व सरकार के संज्ञान में लाकर प्रमाणित भ्रष्टाचार के विरुद्ध शीघ्र गम्भीर कार्यवाही किए जाने की मांग करता हूं

मान्यवर, मेरा एक प्रश्न है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आगे नहीं लिखा जायेगा ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, मेरे कहने के कोई मायने नहीं रह जाते हैं । एक सत्र आज समाप्त हो रहा है और अगला सत्र बहुत देर में आयेगा । सतर्कता विभाग ने इस मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता को दोषी पाया है । अगस्त के पूर्व ही रिटायर होने वाले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने नोटिस दिया है, वे जांच करेंगे, कार्यवाही करेंगे, आप कृपया बैठिए।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मैं नहीं बैठूंगा । उनके रिटायर होने के उपरान्त अगर सरकार ने कोई कार्यवाही की तो वह क्या होगी । मान्यवर, मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आपका गलत तरीका है । मैं आपको चेतावनी देता हूं ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

[* * *]

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

मान्यवर, आप हमारा संरक्षण कीजिए । यह सार्वजनिक हित का मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बैठिए ।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)—

श्री रवीन्द्र सिंह जी से मैं कहना चाहता हूं कि वे एक दल के सम्मानित सदस्य हैं और उनका यह व्यवहार अत्यन्त अपमानजनक और आपत्तिजनक है और मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर वे इस तरह का व्यवहार करेंगे तो उनको निष्कासित करना पड़ेगा और वे संयम से काम करें, इस तरह चीतकार करना सदन की गरिमा के खिलाफ है ।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र सिंह—

सरकार भी तो ईमानदारी से काम करे ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है..... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं, क्या आप माननीय मुख्य मंत्री जी के कथन पर कुछ कहना चाहते हैं ?..... (व्यवधान) ।

नोट [* * *] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री रवीन्द्र सिंह—

यह सारी जिम्मेदारी आपकी है, आप हमको दबाते हैं .... (व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इस सदन में अगर अव्यवस्था होती है तो उसे देखने का काम आपका है, आप ही कोई आदेश या निर्देश दे सकते हैं और वह शिरोधार्य होता है। लेकिन माननीय मुख्य मन्त्री जी का जो आचरण इस समय देखा वह ऐसा लगा कि जैसे वे ही अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हों। निर्देश देने का अधिकार आपको है या मुख्य मंत्री जी को है? निष्कासित करने का अधिकार भी आपको ही है। क्या माननीय नेता सदन किसी माननीय सदस्य के लिये यह कह सकते हैं कि मैं उनको निष्कासित कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री जी अपने दल के नेता हैं। इस नाते वे स्वयं तो नहीं, किन्तु जब मैं कार्यवाही करने के लिये कहूंगा तो वे हमारी इजाजत से प्रस्ताव ला सकते हैं। सदन में शांति रखने के लिये माननीय नेता सदन ने कहा, यह नहीं है कि उन्होंने कोई निर्देश दिया हो। जब कभी यहां पर सदन में कोई माननीय सदस्य अनुशासन में नहीं रहते तो हम पहले दल के नेता से अनुरोध करते हैं कि वे अपने दल के माननीय सदस्य को रोकें, उनको अनुशासन में रखें। तो इस नाते ही मुख्य मंत्री जी ने कहा है, उन्होंने कोई निर्देश नहीं दिया है।

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह—

श्रीमन्, यह जनता पार्टी की मीटिंग नहीं है, यह विधान सभा की कार्यवाही चल रही है। वे अपनी विधान मंडल दल की मीटिंग में ऐसा कह सकते हैं, उनको यहां स्वयं इंगित करने का अधिकार नहीं है।

(व्यवधान)

श्री बनारसी दास—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अत्यन्त आश्चर्य है कि माननीय देवबहादुर सिंह इस सदन में शांति स्थापित करने में मदद करने के बजाये बहुत टैक्नीकेलाटीज की ओर जाकर सदन में व्यवधान स्वयं पैदा कर रहे हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय के कक्ष में कई बार मीटिंगें इस पर हुई जिसमें माननीय नेताओं ने यह अनुरोध किया है कि वे अधिष्ठाता और अध्यक्ष की सहायता करें, अपने दलों को मर्यादा के अन्दर रखें। उनको नियंत्रित रखें और यही वजह है कि कई दफा अध्यक्ष को सदन कभी-कभी स्थगित करना पड़ता है और कई मर्तबा आपने भी, आपके पूर्वाधिकारी ने भी कई दफा ऐसी मीटिंग बुलाई हैं। इसमें अपने दल के लोगों को भी जाकर निष्कासित करते हैं, समझाते हैं, तो अपने दल के लोगों के लिये यह कहना कोई अनुचित नहीं है और नियमावली में है, तो प्रस्ताव रखने का अधिकार है। वह तो सदन की मदद के लिये है और यह मेरा कर्तव्य है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मेरा एक निवेदन है, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष—

तिवारी जी, इस संबंध में, न कहें।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, जब कोई बात माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा के विरुद्ध होती है, तो वह जेल में आ जाते हैं और वह हम विधायकों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। मान्यवर, वह प्रस्ताव ला सकते हैं। वह इंगित करने को कह सकते हैं। मान्यवर, इस तरह की रोज घटनायें होती हैं। मान्यवर, आपको हमारी रक्षा करनी होगी। क्या इस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी, नेता सदन होने के नाते जिसको चाहेंगे डाट देंगे, अपमानित करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

अपमानित करने की बात नहीं है।

(श्री रवीन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय रवीन्द्र सिंह, आप बैठें।

श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, जिन सवालों को रवीन्द्र सिंह ने उठाया है.....

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं देता हूं।

(घोर व्यवधान)

(श्री हरिकेवल प्रसाद बिना इजाजत बोलते रहे जो सुनाई नहीं पड़ा।)

श्री उपाध्यक्ष—

यह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा। मैं आपको चेतावनी देता हूं। जो आप कहेंगे वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा, मैं आपको चेतावनी देता हूं।

(व्यवधान)

श्री हरि केवल प्रसाद—

मान्यवर, 42 लाख रुपये के गबन का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये अन्यथा आप कृपया सदन छोड़ दें।

(माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ गये।)

ब्रज की प्राचीन संस्कृति की रक्षा हेतु एक सर्वदल के गठन की मांग के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राधे श्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ब्रज की प्राचीन संस्कृति की रक्षा हेतु, मथुरा जनपद जो योगिराज कृष्ण की जन्मभूमि है, जो ब्रज की प्राचीन संस्कृति से विश्व में विख्यात है, एक समय मथुरा से ही योगिराज कृष्ण ने दानवों का बध किया था और वृज की संस्कृति को विश्व भर में उजागर किया था। आज उसी ब्रज की संस्कृति धूमिल व बुरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो रही है। एक समय जिस पवित्र जमुना में योगिराज कृष्ण ने काली नाग का बध किया था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज उसी जमुना की दुर्गत हो रही है, जल अशुद्ध हो गया है, सारे घाट व तट पर बने प्राचीन मंदिर टूट-फूट चुके हैं, यही हाल बृन्दावन व गोकुल के घाटों व मंदिरों का है। बृज चौरासी कोस की प्राचीन परिक्रमा का रास्ता भी विस्तृत हो रहा है। बृज के मुख्य स्थान मथुरा बृन्दावन, दाऊजी, (बलदेव) गोकुल, महावन (पुरानी गोकुल) गोवर्द्धन, राधाकुंड, नन्दग्राम, बरसाना आदि सभी की दुर्दशा हो रही है। मथुरा नगर की जो परिक्रमा का मार्ग है, वह भी बहुत कंटकीर्ण है, जिसमें लाखों यात्री देश के कोने-कोने से परिक्रमा देते हैं और परिक्रमा में नाना प्रकार के कष्ट झेलते हैं। प्राचीन बनों जैसे भांडीरबन कुदरवान, बिहारबन आदि सभी का बुरा हाल है। बनों के घने पेड़ों को चाहे जो कोई उजाड़ देता है, बृज की गायें जो विश्व भर में किसी समय अपना महत्व रखती थीं, बनों के अभाव में आज भूखी मरती हैं। सारे बृज की पूरी तरह से दुर्दशा है, बृज विकास प्राधिकरण नाम की सरकारी संस्था नागरिकों को और परेशान तथा हर तरह से भ्रष्टाचार करती है तथा सरकारी कोष का बुरी तरह से दुरुपयोग कर रही है।

(व्यवधान)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, कुछ नहीं सुना जा रहा है इतना हल्ला हाउस में है कि लिखने वाले लिखेंगे कैसे ?

श्री उपाध्यक्ष—

शर्मा जी, आप पढ़ चुके ?

श्री राधे श्याम शर्मा—

नहीं, अभी पढ़ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राधे श्याम जी, आप रुक जायें। इतनी शान्ति से हाउस चलाया है और आज अन्तिम दिन है तो क्या यह इच्छा है कि थोड़ा बहुत कुछ होये ? आज हरिकेवल जी गुस्सा हो रहे हैं। अन्तिम दिन है, शान्ति से चलने दें। गुस्सा होने वाली बात नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

अतः मैं उत्तर प्रदेश सरकार से जोरदार शब्दों में कहूंगा कि बृज की प्राचीन संस्कृति की रक्षा हेतु एक सर्व दल उच्च अधिकारियों का बनाया जाय जिसमें आवश्यकता हो तो जन-प्रतिनिधि भी हों जो पूरे बृज का तीन माह में भ्रमण कर बृज संस्कृति की रक्षा व विकास हेतु एक व्यापक रिपोर्ट सरकार को दे और रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार उस पर पूरी तरह से अमल करे जिससे बृज की प्राचीन संस्कृति की रक्षा हो सके।

हमीरपुर जनपद की राजकीय पौधशाला पौथ्या बुजुर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ओंकार नाथ (जिला हमीरपुर)—

महोदय, हमीरपुर जनपद की सबसे बड़ी राजकीय पौधशाला पौथ्या बुजुर्ग में व्याप्त भ्रष्टाचार व अल्प सिंचाई विभाग द्वारा नलकूप कार्य में की गयी धांधली से लाखों कृषकों के प्रति घोर अन्याय के अविलम्बनीय लोकहित के विषय में आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओंकार नाथ]

श्रीमन्, प्रदेश के अति पिछड़े जनपद हमीरपुर में मेरे क्षेत्र की एक राजकीय पौधशाला पौथ्या बुजुर्ग वर्षों से भ्रष्ट अफसरों का चारागाह बनी हुई है। करोड़ों रुपया फूंक दिये जाने के बाद भी बुन्देलखण्ड की यह सबसे बड़ी नर्सरी किसानों की कुछ भी सहायता नहीं कर पाई उल्टे अव्यवस्था गोलमाल व लापरवाही का प्रतीक बनी है। अल्प सिंचाई विभाग हमीरपुर ने 66 हजार रुपये से नलकूप लगाने का वायदा किया दिसम्बर, 76 में संवर्धन ले लिये, नलकूप खुद जाने के बाद भी पम्प खरीदने व लगाने में हजारों का गोलमाल व सौदेबाजी के कारण विलम्ब हो रहा है। जिससे लाखों रुपयों की पौध प्रति वर्ष अकारण सूखती है। कर्मचारियों का रख-रखाव व कारगुजारी अनियंत्रित व मनमानी होने से यह 28 एकड़ की नर्सरी कबाड़ खाना प्रतीत होती है। इसकी उपज का भी कोई हिसाब नहीं है। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, हमीरपुर ने नर्सरी के कार्यालय आदि के निर्माण में भी भारी अनियमितता व गोलमाल किया है और वर्षों से पूर्ण नहीं करा पाये हैं।

अतः आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि प्रभावी जांच कराकर इस नर्सरी का भ्रष्ट अफसरशाही के चंगुल से उद्धार करे, लाखों काश्तकारों की हित रक्षा की जाये नर्सरी से संबंधित सभी निर्माण शीघ्र पूरे कराये जायें व जिले की इस अभिशप्त संस्थान की तबाही के दोषी अधिकारियों को सख्त सजा दी जाये।

मेरा निवेदन है कि इसकी सी0आई0डी0 से जांच करायी जाये बहुत महत्वपूर्ण मसला है।

गाजीपुर जनपद में बाढ़ सहायतार्थ दी गई धनराशि में गड़बड़ी के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, आपके माध्यम से शासन का ध्यान गंगा की विगत बाढ़ के उपरान्त पीड़ितों को जो नकद आर्थिक सहायता दी गयी उसमें भारी गड़बड़ी की ओर आकृष्ट करता हूं। इस गड़बड़ी में जनपद के अधिकारी तथा कर्मचारी सभी सम्मिलित हैं। बाढ़ पीड़ितों को दी गयी धनराशि में से कुछ को तो आधे से कम धनराशि तथा कुछ को तो बिल्कुल सहायता नहीं मिली है तथा इस प्रकार भारी धनराशि अपहृत कर ली गयी है। उदाहरण के लिये मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास खण्ड भदौरा में वितरित धनराशि की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। पोस्ट आफिस में धन जमा करने से पूर्व विदड्राल फार्मों पर हस्ताक्षर करा लिया गया तथा रुपये उतार कर आधे से कम पीड़ितों को तथा ज्यादा अन्य द्वारा हड़प लिया है। यही नहीं फर्जी हस्ताक्षर से भी रुपया उतारा है। इस गोलमाल के षड़यंत्र में स्थानीय पोस्ट मास्टरों को भी अधिकारियों से मिलीभगत है। भदौरा विकास खण्ड में ही आरोप की समान जांच करायी जाये तो भयानक स्थिति प्रकाश में आयेगी। जांच से पूर्व गांव वार सहायता प्राप्त व्यक्तियों की सूची प्रकाशित हो जाये तो सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को जांच कार्य में सहायता करने में सुविधा होगी।

आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर मांग करता हूं कि किसी उच्च अधिकारी से इन घोटाले की जांच का आदेश देने की कृपा करें। जांच प्रक्रिया की सूचना यदि मुझे भी मिल जाये तो मैं भी इस कार्य में योगदान देने के लिये प्रस्तुत रहूंगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बांदा के लघु सिंचाई कर्मचारियों द्वारा कचहरी प्रांगण में अनशन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री सुरेन्द्रपाल (जिला बांदा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मान्यवर, अत्यन्त चिन्ता एवं खेद का विषय है कि बांदा जिले में उच्चस्तरीय राजनैतिक दबावों से ऊबकर बांदा के लघु सिंचाई विभाग के कर्मचारी कचहरी प्रांगण में दिनांक 9-6-79 से क्रमिक अनशन कर रहे हैं। राजनैतिक हस्तक्षेपों के कारण जनप्रिय सहायक अभियन्ता (लघु सिंचाई), बांदा श्री इन्द्र बहादुर खरे का स्थानान्तरण उतरकाशी जनपद के लिये कर दिया गया है। इसी प्रकार की अनेक घटनायें कर्मचारियों के साथ लगातार दो वर्षों से घटित हो रही हैं। कोई सुनवाई न होने से कर्मचारियों ने आज दिनांक 15-6-79 से आमरण अनशन प्रारम्भ कर दिया है। अनशनकारी कर्मचारियों व श्री खरे को नौकरी से निकालने व जेल भेजने की धमकियां अधिकारियों व नेताओं द्वारा दी जा रही हैं। जनपद के सभी राज्य कर्मचारियों और आम जनता में इस अन्याय के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा है। इस भीषण गर्मी के मौसम में अनशनकारियों के जीवन का खतरा है। सरकार द्वारा कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को मान कर समस्या का समाधान करना नितान्त आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष--

बस। इसके आगे न पढ़िये।

श्री सुरेन्द्रपाल--

मान्यवर, यह तो एक ही पेज का है। आपने स्वीकार किया है।

श्री उपाध्यक्ष--

नहीं, नहीं, अब इसको मत पढ़िये।

श्री सुरेन्द्रपाल--

माननीय सिंचाई मंत्री को इंगित कर दें कि वह अनशन दबाने का प्रयास करें।

श्री उपाध्यक्ष--

वह कार्यवाही करेंगे।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

हर्ज क्या है मान्यवर। इंगित कर दिया जाये माननीय मंत्री जी की तरफ। फर्क क्या पड़ता है? (हंसी)

रायबरेली जिले के डलमऊ क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मन्नूलाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान रायबरेली जिले के डलमऊ क्षेत्र में जन प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं पर किये जाने वाले अत्याचार की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर एक पत्रकार श्री रज्जन अवस्थी तथा कई कांग्रेसी व विद्यार्थी कार्यकर्ताओं को बिना कारण गिरफ्तार किया गया है। रायबरेली, डलमऊ, ऊंचाहार के बीच एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मन्नूलाल द्विवेदी—]

शटल (रेलगाड़ी) अंग्रेजी शासनकाल में चला करती थी, सन् 1942 में स्वतंत्रता आन्दोलन के समय इस रेलवे लाइन को उखाड़ दिया गया था। पुनः तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने उस रेलवे लाइन का निर्माण कराकर उस पर शटल चलाने की व्यवस्था करवा दी थी। इधर करीब 6 माह से अधिक हुए इस ट्रेन को पुनः फिर बन्द कर दिया गया है। उसे चलाने हेतु स्थानीय जनता ने 20 मई को धरना दिया था और अधिकारियों के आश्वासन पर आन्दोलन स्थगित कर दिया गया था। अब पता चला है कि इस 9-6-79 को श्री सुरेश दत्त गौड़ व युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्री शिवभजन व फिरोज गांधी डिग्री कालेज के छात्र यूनियन के नेता श्री राज बहादुर सिंह व पत्रकार श्री रज्जन अवस्थी तथा अन्य कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जमानत पर भी नहीं छोड़ा गया है। मान्यवर, आपके माध्यम से हम उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहते हैं कि शान्तिपूर्ण ढंग से अपनी बात कहने के कारण लोगों पर अत्याचार करना उचित नहीं है इस घटना के कारण वहां की जनता में घोर असंतोष एवं रोष का वातावरण व्याप्त है।

मान्यवर, हम चाहते हैं कि इस पर तुरन्त उचित कार्यवाही कराने के आप आदेश दें।

कोआपरेटिव बैंक, लखनऊ में असिसटेंट व असिसटेंट-कम कैशियर के पदों पर भरती हेतु बुलाए गये अभ्यर्थियों में विधि स्नातक अभ्यर्थियों को इन्टरव्यू लेटर इश्यू न किये जाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम नरायन वर्मा (जिला सीतापुर)—

विज्ञापन संख्या 3 सी/78 द्वारा प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लखनऊ में असिस्टेन्ट व असिस्टेन्ट-कम-कैशियर के पदों पर भरती के लिये उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल, लखनऊ द्वारा विज्ञापन जारी किया था जिसमें शैक्षिक योग्यता केवल स्नातक रखी गई थी। उपरोक्त के सन्दर्भ में अब इन्टरव्यू लेटर जारी कर दिये गये हैं और इन्टरव्यू चल रहा है। इन्टरव्यू में केवल कला, विज्ञान व कामर्स के स्नातक ही बुलाये जा रहे हैं और प्रथम श्रेणी के विधि स्नातकों को इन्टरव्यू लेटर नहीं जारी किये जा रहे हैं, उन्हें नहीं बुलाया गया। विधि कक्षा में प्रवेश की योग्यता भी केवल स्नातक ही होती है। शैक्षिक योग्यता विज्ञापन के अनुसार केवल स्नातक थी। इस प्रकार से जबकि शैक्षिक योग्यता केवल स्नातक थी तो फिर सभी तरह के स्नातकों को इन्टरव्यू लेटर जारी किये जाने चाहिये थे। परन्तु सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल ने ऐसा नहीं किया है। ऐसा न करके उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रहा है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर यह अपेक्षा करता हूं कि सरकार उक्त सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल को अविलम्ब यह आदेश दे कि वह सभी प्रकार के स्नातकों को इन्टरव्यू लेटर जारी करें। काल लेटर भेज कर उन उपेक्षित हो रहे युवकों को सेवा करने का अवसर प्रदान करें।

फैजाबाद जनपद में जिला परिषद् द्वारा संचालित अस्पतालों में डाक्टरों की लापरवाही के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, फैजाबाद जनपद में जिला परिषद् द्वारा संचालित चिकित्सालयों, शाहगंज, हैदरगंज तथा मकरही में डाक्टरों की लापरवाही एवं दवाओं के अभाव के कारण क्षेत्रीय जनता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

म असंतोष व्याप्त हो गया है । प्राप्त सूचना के अनुसार हैदरगंज के डाक्टर कभी अस्पताल में नहीं आते तथा इन अस्पतालों में मरीजों को दवायें उपलब्ध नहीं है और सैकड़ों मरीज प्रतिदिन बिना दवा के वापस जाते हैं । इस सन्दर्भ में मैं सरकार से आग्रह करना चहता हूं कि इन जिला परिषदीय चिकित्सालयों का अविलम्ब प्रान्तीयकरण कर दिया जाना चाहिये ।

अस्तु लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि फैजाबाद में जिला परिषदीय चिकित्सालयों में दवाओं की समुचित व्यवस्था व प्रान्तीयकरण करने की व्यवस्था की जाय ।

देवरिया जनपद के जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के विरुद्ध घपले की शिकायत के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन एवं शासन का ध्यान इस सुनिश्चित एवं लोक महत्व की सूचना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

देवरिया जनपद में जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी के भ्रष्टाचार एवं तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण इस जनपद के समस्त हरिजनों, हरिजन छात्रों एवं हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में कायरत अध्यापकों में घोर चिन्ता एवं निराशा व्याप्त है ।

उ0 प्र0 शासन द्वारा हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत अध्यापकों को जिनकी सेवायें तीन वर्ष से अधिक हो गयी हैं, स्थायी करने का आदेश संख्या 1778/1-26-7-88-74, विधि सं0 ई11-4-78, लखनऊ दिनांक 8 अप्रैल, 1978 द्वारा प्रसारित किया गया है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ।

उक्त जनपद के श्री बीजू प्रसाद, श्री महातम प्रसाद, श्री रामाश्रम तथा श्री सर्वजीत प्रसाद को नियमित वेतन न देना तथा नयी नियुक्तियां करना जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी का मुख्य धंधा बन गया है । ज्ञातव्य है कि चेक संख्या वी 2/58-449382, 442382, 449394 तथा 449394, दिनांक 31-3-79 को 296 डब्लू, 2558 तथा 1973-डब्लू की दी गयी परन्तु आधे पैसे न देने के कारण उसी चेक को काटकर 1073, 1073, 1073, और 1073 रु0 की चेक दी गयी है और जिन अध्यापकों ने आधा रुपया देना स्वीकार कर लिया है, उन्हें पूर्ण वेतन का चेक दिया गया है ।

इस अनियमित एवं असंवैधानिक तथा जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी के कुकृत्यों के कारण देवरिया जनपद के समस्त हरिजनों, छात्रों एवं अध्यापकों में घोर चिन्ता व्याप्त है ।

अतः म आपके माध्यम से शासन तथा माननीय हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री से अनुरोध करूंगा कि शीघ्र इस गम्भीर विषय पर सम्मानित सदन में वक्तव्य दें तथा दोषी जिला हरिजन एवं समाज कल्याण अधिकारी को तुरन्त निलम्बित कर सम्पूर्ण मामले की जांच खुफिया विभाग द्वारा कराकर पीड़ित लोगों को राहत देने की कृपा करें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ग्राम करजनियां जिला देवरिया में अग्निकाण्ड के विषय के नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजमंगल तिवारी (जिला देवरिया)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

ग्राम करजनियां टोला खेमीपुर विकास क्षेत्र बनकटा जिला देवरिया में 1-6-79 को अकस्मात आग लग गयी। देखते-देखते 30–35 घर मुसलमानों तथा हरिजनों के जल कर राख हो गये। घरों में रखा सारा अनाज, कपड़ा, जेवर, बिस्तर, चारपाई, चारा इत्यादि जल गये। लाखों रुपये का नुकसान हो गया है। इस ग्रामवासियों की दशा शोचनीय हो गयी है। भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है जिला प्रशासन ने अपने सीमित साधनों से जो भी सहायता पहुंचायी है वह संतोषजनक नहीं है। गांव में हाहाकार मचा हुआ है। ऋणों की वसूली ने परिस्थिति को और भी भयंकर बना दिया है।

अतः मैं चाहूंगा कि आप शासन को आदेशित करें कि उक्त ग्राम के अग्नि-पीड़ितों को उनकी क्षति के अनुसार हर प्रकार की सहायता करें। हर प्रकार की वसूली तत्काल रोक दी जाय। मकान बनाने तथा अन्य सहायता सभी अग्नि-पीड़ितों को तत्काल देने की स्पेशल व्यवस्था की जाय। एक एकड़ भूमि तथा पांच एकड़ भूमि के कानूनी अड़चन का ख्याल न करके सभी को अनुदान देने की कृपा की जाय।

ललितपुर में जनपद में चल रही पिपरवासा पेय जल योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से नियम 301 के अन्तर्गत ललितपुर जनपद में अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ललितपुर जनपद में चल रही पिपरवासा पेयजल योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अधिकारियों द्वारा की जा रही घोर अनियमितताओं के कारण 6–7 वर्ष होने के बावजूद भी लगभग 99 लाख रुपया खर्च होने के उपरान्त 99 परिवारों को पानी उपलब्ध नहीं हुआ।

मान्यवर, इस योजना के अन्तर्गत घोसा में टंकी गिरने से एक मजदूर की मृत्यु हो गयी एवं बन्ट ग्राम की टंकी जो अभी बनाई गई है टपक रही है, जाखलौन ग्राम की टंकी में पानी नहीं चढ़ता पाइप लाइन जो जमीन के अन्दर हलनी चाहिये थी वह अस्त-व्यस्त स्थिति में जमीन के ऊपर डाली है। सम्पूर्ण पठारी क्षेत्र में पानी के अभाव में त्राहि-त्राहि मची है और हजारों पशु पानी के अभाव में मर रहे हैं। यहां का भ्रष्ट अधिशासी अभियन्ता केवल सरकारी जीप लेकर अपने परिवार को बैठाकर इधर-उधर घूमकर वापस लौट जाता है। हजारों रुपयों का टी0ए0 और डी0ए0 शासन से वसूल कर रहा है, सैकड़ों बोरी सीमेन्ट गन्तव्य संस्थान में न जानकर बीच में गायब हो जाती है।

इस प्रकार जनता में भारी रोष एवं असंतोष व्याप्त है। आपसे अनुरोध है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध तुरन्त कड़ी कार्यवाही करवायें। तथा पानी के अभाव में तड़प-तड़फ कर मरने वाले पशुओं एवं जनता के लोगों को राहत हेतु शासन को निर्देश दें कि शीघ्रातिशीघ्र जांच करवाकर जांच रिपोर्ट सदन के पटल पर एक सप्ताह के अन्दर सरकार सदन के संज्ञान में लाये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गोला गोकरन नाथ जिला खीरी में बिजली के संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राघवराम मिश्र (जिला खीरी)—

मान्यवर, गोला गोकरननाथ जिला खीरी में लगभग एक माह से भयंकर बिजली संकट छाया हुआ है। भयंकर गर्मी में वहां के निवासी एवं बाहर से आने वाले हजारों तीर्थ यात्री रात दिन झुलस रहे हैं तथा प्यासों से तड़प रहे हैं। रात्रो में पूर्ण अन्धकार छाये रहने से नगर में धड़ाधड़ चोरियां हो रही हैं।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, यह चोरी की बात कर रहे हैं, उनको क्या मालूम नहीं है कि जनता पार्टी का राज है, उसमें चोरियां तो कोई असाधारण बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

वह कह रहे हैं कि अन्धेरा होने से चोरों को मौका मिलता है।

श्री राघवराम मिश्र—

इस बिजली संकट से वहां के नागरिकों में तीव्र असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त हो गया है। बिजली आपूर्ति कई-कई दिन बिलकुल बन्द रहने तथा कभी-कभी बीस-बीस घण्टे बिजली न आने से और बिजली का सही लोड न मिलने से वहां की गंभीर स्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके विरोध में नगर में पूर्ण हड़ताल रही नागरिकों ने हाइडिल दफ्तर के सामने शान्तिपूर्ण धरना एवं प्रदर्शन भी किया, पर कोई सुनवाई नहीं हुई।

महोदय, गोला गोकरन नाथ एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान होने के साथ-साथ वहां हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी चीनी मिल भी है। उस नगर की आबादी भी लगभग तीस हजार है तथा प्रथम श्रेणी की नगरपालिका है। फिर भी उस नगर में बिजली की कटौती की जाती है जिसका कभी कोई समय निश्चित नहीं रहता तथा इस कटौती के अतिरिक्त भी प्रायः बिजली आपूर्ति बन्द ही रहती है।

अतः विद्युत मंत्री से अनुरोध है कि गोला गोकरन नाथ जैसे प्रसिद्ध नगर में बिजली की कटौती समाप्त की जाय। बिजली का सही लोड देने की व्यवस्था की जाय। वाटर वर्क्स के नलकूप के निकट अतिशीघ्र नया ट्रान्सफारमर लगवाया जाय। जिससे वहां के नागरिक भी अपनी प्यास बुझा सकें तथा सामान्य जीवन जी सकें।

मैनपुरी के ग्राम गढ़ी में श्री महेश चन्द्र शर्मा के घर पड़ी डकैती में सिपाही कोतवाल सिंह के शामिल होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मानपाल सिंह (जिला एटा)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। दिनांक 24/25-5-79 को दरम्यानी रात को करीब दो बजे जनपद मैनपुरी के कस्बा व थाना जसराना के मोहल्ला गढ़ी के श्री महेशचन्द्र शर्मा के मकान में वर्तमान किरायेदार श्री ओम प्रकाश यादव के मकान में थाना जसराना का सिपाही कोतवाल सिंह व उसके साथी अन्य 8-9 बदमाशों ने बन्दूकों से फायर करते हुए डकैती डाली जिसमें श्री ओम प्रकाश के घर लूटने के अलावा दो-तीन अन्य किरायेदारों की

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मानपाल सिंह]

लूट की जिसमें हजारों रुपये के जेवरात व सामान के अलावा श्री ओम प्रकाश के चाचा की लाइसेंसी टोपीदार दुनाली बन्दूक भी डकैत ले गये । बस्ती के अन्य लोग फायर करते हुए आ गये । सबने कोतवाल सिंह सिपाही को पहचाना है । अगर अन्य बाहरी लोग मदद न करते तो और भी घर लुट सकते थे । बदमाशों के लूट करते वक्त फायर करने से ओम प्रकाश व उसके भाई जगदीश को छर्रे लगे जिससे वे बुरी तरह घायल हो गये । श्री ओम प्रकाश की मां तथा विमल कुमार, मकान मालिक के लड़के को भी बुरी तरह पीटा गया । घटना की लिखित रिपोर्ट में कोतवाल सिंह सिपाही का नाम देखकर थाना अध्यक्ष ने रिपोर्ट से सिपाही का नाम निकालने को वादी ओम प्रकाश पर भारी दबाव दिया किन्तु जन आक्रोश के दबाव के कारण डकैती का मुकदमा तो कायम कर लिया मगर नकल भी नहीं दी और न आज तक उस सिपाही व उसके साथियों को गिरफ्तार ही किया गया जिसकी वजह से जनता में तीव्र असंतोष व निराशा है । जनजीवन में असुरक्षा की भावना व्याप्त है । जनता आन्दोलित भी हो सकती है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से तुरन्त उक्त सिपाही व उसके अन्य बदमाश साथियों की अविलम्ब गिरफ्तारी कराने तथा निष्पक्षता हेतु सी0आई0डी0 द्वारा जांच कराने की मांग करता हूं

इलाहाबाद की तहसील हंडिया के अन्तर्गत विद्यावती यादव स्मारक महर्षि कृषि इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा अध्यापक श्री कृष्णपाल सिंह का जबरन इस्तीफा लिखवाने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इलाहाबाद जनपद की तहसील हंडिया के अन्तर्गत विद्यावती यादव स्मारक महर्षि कृषि इण्टर कालेज के प्रधानाचार्य ने उसी विद्यालय के अध्यापक श्री कृष्णपाल सिंह को बुलाकर अपने कमरे में बन्द कर लिया और असामाजिक तत्वों के घेरे में डालकर तरह-तरह से उत्पीड़ित एवं प्रताड़ित करके बन्दूक की नोक पर जबरन उससे त्याग-पत्र लिखा लिया । श्री कृष्णपाल सिंह को अपनी जान बचाने के लिये मजबूरन त्याग-पत्र लिखना पड़ा । त्याग-पत्र लिखवाने के बाद दिनांक 26-4-79 से 28-4-79 तक प्राचार्य ने अपने नियंत्रण में ही रखा ।

मान्यवर, यह घटना शिक्षक समुदाय तथा शिक्षा विभाग के लिये कलंक है । इससे क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे इलाहाबाद तथा पूरे प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ में रोष और असन्तोष व्याप्त है । यदि समय रहते ध्यान न दिया गया तो विस्फोटक स्थिति पैदा हो जाने की संभावना है । ऐसी दशा में मैं भी मांग करता हूं कि तत्काल ध्यान देकर उचित कार्यवाही तत्काल करायी जाय तथा श्री कृष्णपाल सिंह को विद्यालय में नियमित सेवारत रखा जाय ।

कल दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंकने तथा नारे लगाने वाले व्यक्ति श्री मसरूर जाफरी को सपरिश्रम कारावास की सजा का प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष--

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि हम एक न्यायालय के रूप में इस सदन के अवमान के प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं । इस अवसर पर माननीय सदस्यों से गम्भीरता और शालीनता की अपेक्षा है । सदन में कल दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति ने कुछ पर्चे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

फेंके थे और नारे लगाये थे जिससे सदन के कार्य में व्यवधान हुआ। मार्शल ने उसे अपनी अभिरक्षा में ले लिया और उसे सदन के 14 जून, 1979 के निश्चयानुसार जिला कारागार, लखनऊ में विचाराधीन बन्दी के रूप में रखा गया और आज मार्शल उस व्यक्ति को अपनी अभिरक्षा में कारागार से ले आए हैं। चूंकि घटना सदन के सामने हुई थी, अतः सदन इस पर स्वयं निर्णय ले सकता है। मैं मार्शल को आदेश देता हूं कि वे कृपया उक्त व्यक्ति को सदन के समक्ष पस्तुत करें।

(मार्शल द्वारा अभियुक्त को सदन में उपस्थित किया गया)

श्री उपाध्यक्ष--

आप का नाम क्या है और आप कहां के रहने वाले हैं ?

अभियुक्त--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, और माननीय मुख्य मंत्री जी मैं इस उत्तर प्रदेश का एक नागरिक हूं। मैं उस क्षेत्र से आया हूं जिस क्षेत्र में 32 साल से न कोई उद्योग लगा है..

श्री उपाध्यक्ष--

भाषण की जरूरत नहीं है। आप अपना नाम और कहां के रहने वाले हैं यह बतायें ?

अभियुक्त--

मैं उस क्षेत्र से आया हूं जिस क्षेत्र..

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना नाम बतायें।

अभियुक्त--

वहां पर नल कूप नहीं लगे हैं..

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना नाम और कहां के रहने वाले हैं, बतायें ?

अभियुक्त--

मेरा नाम मसरूर जाफरी है। मैं उतरौला जिला गोण्डा के उस क्षेत्र से आया हूं जहां...

श्री उपाध्यक्ष --

आप इस समय एक अदालत के सामने, सदन की अदालत है, उस में खड़े हैं। आप अपना बयान दे रहे हैं। जितना भी आप से पूछा जाय, उतना ही उत्तर दीजिए।

श्री मसरूर जाफरी--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

यह लिखा नहीं जायगा। आप से जो कुछ पूछा जाय आप उस को जवाब दें।

नोटः--[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मसरूर, जाफरी--

मान्यवर मैं उस क्षेत्र से आया हूं जहां पर.....(व्यवधान) शाखायें लगवानी शुरू कर दी । मैं उस क्षेत्रसे आया हूं जहां लोग तड़फ रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष--

यह आप सदन का अपमान कर रहे हैं। आप से जितना पूछा जाय सिर्फ उतने का ही जवाब दें ।

क्या आप ने 14 जून, 1979 को जन सम्पर्क अधिकारी नेता विरोधी दल, विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश की संस्तुति पर डा० मशरत के साथ दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र जारी कराया ?

श्री मसरूर जाफरी--

मुझे कुछ नहीं मालूम एक दर्शक दीर्घा में आया और अपने क्षेत्र की आवाज को पम्पलेट के रूप में सदन के अन्दर फेंका ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह प्रवेश पत्र आपने किस के जरिये लिया ?

श्री मसरूर जाफरी--

मुझे यह मालूम नहीं । एक सज्जन दिये उनका नाम नहीं जानता ।

श्री उपाध्यक्ष --

क्या आप ने उक्त जनसम्पर्क अधिकारी को दर्शक दीर्घा में जाने का अपना उद्देश्य सूचित कर दिया था कि आप वहां जा कर नारा लगायेंगे और वहां से सदन में पर्चा फेंकेंगे?

श्री मसरूर जाफरी--

मैंने सर, जो पर्चा फेंका है वह अपने क्षेत्र की गरीबों और मजदूरों की आवाज ....

श्री उपाध्यक्ष--

मैं पूछ रहा हूं कि आप ने प्रवेश पत्र लिया तो क्या आप ने अपनी उनको मन्शा बता दी थी कि हम नारे लगायेंगे और सदन में पर्चा फेंकेंगे?

श्री मसरूर जाफरी--

इस बारे में आप से कह दूं कि मुझे जिन्होंने भेजा यदि उस साजिश को मान्यवर, आपके सामने और अपने सम्मानित सदस्यों के समक्ष रखूंगा तो आप अचम्भे में पड़ जायेंगे । इस के पीछे क्या साजिश और कैसे बनायी गयी है .....

श्री उपाध्यक्ष--

आप यह बतायें....

श्री मसरूर जाफरी--

आवाज का यहां पर....

श्री उपाध्यक्ष--

कई मरतबा आप को आदेश दे चुका हूं कि जो आप से पूछा जाय आप केवल उसी का उत्तर दें ।

क्या आपने 14 जून, 1979 को सदन की दीर्घा से पर्चे फेंके और नारे लगाये ?

श्री मसरूर जाफरी--

हां, पर्चे फेंके और नारे लगाये ।

श्री उपाध्यक्ष--

उक्त पर्चे छपाने में किन-किन व्यक्तियों ने आपको सहयोग दिया ?

श्री मसरूर जाफरी--

हमारे क्षेत्र के विधायक ने सहयोग दिया ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप जानते हैं कि दर्शक दीर्घा में नारे लगाने और दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चे फेंकने से सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी और सदन का अवमान हुआ?

श्री मसरूर जाफरी--

मान्यवर, मैंने अपमान नहीं किया है । न आप का न सदन का । मैंने अपनी आवाज आप तक पर्चे की शक्ल में पहुंचाई ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप, अपने अपराध को स्वीकार करते हैं ?

श्री मसरूर जाफरी--

मैंने अपराध नहीं किया है। मैंने अपने क्षेत्र की आवाज लोकतंत्र के ढांचे के आधार पर सदन के अन्दर कहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आपको अपने इस आचरण पर पश्चाताप है और आपको इसके लिए खेद है ?

श्री मसरूर जाफरी--

हमको कोई अफसोस नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष--

मसरूर जाफरी को बाहर ले जाया जाय ।

श्री मसरूर जाफरी--

(बाहर जाते हुए) मैं अपील करूंगा कि मेरी प्रेस कान्फ्रेन्स करा दीजिये फिर जो सजा चाहें दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

सदन इस पर विचार करें ।

मुख्य मन्त्री (श्री बनारसी दास)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि श्री मसरूर जाफरी ने 14 जून, 1979 को अपरान्ह 4 बज कर 40 मिनट पर दर्शक दीर्घा से सभा मंडप में पर्चा फेंक कर तथा दर्शक दीर्घा से नारा लगा कर सदन की कार्यवाही में बाधा डाली और इस प्रकार सदन का अवमान किया । अब सदन यह आदेश देता है कि इस अवमान के लिये श्री मसरूर जाफरी, उतरौला, जिला गोंडा को सत्र की शेष कालावधि के लिये सपरिश्रम कारावास का दंड दिया जाय और जिला कारागार, लखनऊ में कारावासित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि श्री मसरूर जाफरी ने 14 जून, 1979 को अपरान्ह 4 बजकर 40 मिनट पर दर्शक दीर्घा से सभा मंडप में पर्चा फेंककर तथा दर्शक दीर्घा से नारा लगा कर सदन की कार्यवाही में बाधा डाली और इस प्रकार सदन का अवमान किया अब सदन यह आदेश देता है कि इस अवमान के लिये श्री मसरूर जाफरी, उतरौला जिला गोंडा को सत्र की शेष कालावधि के लिये सपरिश्रम कारावास का दंड दिया जाय और जिला कारागार, लखनऊ में कारावासित किया जाय ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मेरी बात सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष--

जिस समय माननीय नेता सदन ने प्रस्ताव रखा था तो आपको खड़ा होना चाहिये था । कोई माननीय सदस्य जब खड़े नहीं हुए तो मैंने प्रश्न उपस्थित कर दिया ।

श्री देव बहादुर सिंह--

सत्रावसान एक हफ्ते के बाद होता है । आप तीन दिन का कर दें तीन दिन बहुत है ।

श्री उपाध्यक्ष--

देव बहादुर सिंह जी, इसे मैं फिर से रखता हूं । जिस तरह से सदन में नवयुवक ने व्यवहार किया है इस तरह का व्यवहार शायद ही किसी ने पर्चा फेंक कर किया हो ।

(प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

प्रस्ताव तो पास हो गया लेकिन मेरा निवेदन है कि दर्शक दीर्घा में जो लोग जाते हैं उनकी तलाशी होती है । मेरी समझ में नहीं आता कि पिछली बार वहां पर्चा निकला और अबकी बार भी पर्चा निकला तो यह सुरक्षा का स्टाफ जो रखा गया है यह क्या करता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

कोई चप्पल या जूते में छिपा कर ले आये तो कैसे पता लग सकता है ?

श्री राजराजराज सिंह (जिला खीरी)--

इस प्रकार की बातें जो होती हैं उनके लिये यह व्यवस्था की जाय कि जन सम्पर्क अधिकारी या माननीय विधायक हैं जो इस घटना से सम्बन्धित हों उनको इस विषय में एक चेतावनी दी जाय ताकि आगे वह इस प्रकार की चीज न करें तथा घटना की पुनरावृत्ति हो इसलिये आवश्यक है कि आप ऐसी व्यवस्था करें और चेतावनी दें कि बिना समझे-बूझे किसी व्यक्ति को पास न दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

इसके ऊपर विचार कर लिया जायगा कि पास किसको दिया जाय, किसको न दिया जाय और किसके लिखने के ऊपर पास दिया जाय ।

केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा आकाशवाणी व समाचार-पत्रों के समाचार में कथित सेंसर लगाने पर आपत्ति

*श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मुझे जानकारी मिली है कि केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण विभाग द्वारा एक विशेष प्रकार के समाचार पर आकाश वाणी में सेंसर लगाया जा रहा है और इस तरह के कुछ आदेश भी आये हैं। मान्यवर, मुझे यह भी जानकारी मिली है कि वाणी की समता और प्रकाशन की समता पर रोक लगा दी गई है। यहां तक कि विधान सभा की कार्यवाही में भी जो एक विशेष भाषण होते हैं उनको प्रकाशित न करने तथा आकाशवाणी में उन्हें प्रसारित न करने के निर्देश समय-समय पर दिये जाते हैं। मान्यवर, यह हमें अहसास होता रहा है। मैं इस सम्बन्ध में एक प्रमाण देना चाहता हूं कि इस प्रदेश के वित्त मन्त्री श्रीमधुकर दिघे का एक कार्यक्रम टेलीविजन के जरिये आने वाला था और इसका एलान सार्वजनिक रूप से कर दिया गया था। ठीक समय पर, क्या कारण था कि उनका यह प्रसारण सूचना विभाग द्वारा रोक दिया गया और उसे पूरी तरह से सेन्सर कर दिय गया। मुझे जानकारी मिली है कि इस तरह का एक पत्र उत्तर प्रदेश के वित्त मन्त्री ने केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री को लिखा है। मान्यवर, जब एक मन्त्रि-परिषद के सदस्य के साथ इस तरह का वर्ताव हो रहा है तो हमारा पूरा विश्वास है कि हम जो सदस्य यहां पर बोलते हैं उसमें भी केन्द्रीय सूचना विभाग द्वारा सेन्सर किया जा रहा है। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी मौजूद हैं, उनका भाषण सदन में हो जाय और वे कहें कि उन्होंने कोई ऐसा पत्र श्री लालकृष्ण अडवानी को लिखा है या नहीं, ताकि हमारी शंका का समाधान हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

और ऐसा था, तो वित्त मंत्री को स्वयं सदन में इस बात को उठाना चाहिए था और बयान देना चाहिए था....

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

श्रीमन्, हम लोगों को सुन लें, तो बड़ी कृपा होगी।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)---

मान्यवर, मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है कि ऊपर से क्या आदेश है लेकिन चूंकि एक जिक्र आ गया है और वह एक तथ्य है तो मैं उस सम्बन्ध में कुछ बताने में गुरेज नहीं कर सकता कि 2 जून को एक इन्टरव्यू मिस्टर एस0 एम0 जाफर जो इकानोमिक्स टाइम्स के सम्पादक हैं, ने लिया था और उन्होंने कहा था कि यह सवा आठ बजे टेलीकास्ट होगा। लेकिन पता नहीं किन कारणों से वह टेलीकास्ट नहीं हुआ। इस सिलसिले में मैंने एक पत्र अडवानी साहब को लिखा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)---

इन्टरव्यू किस सम्बन्ध में था?

श्री मधुकर दिघे---

बिक्री कर के बारे में था।

श्री श्यामधर मिश्र---

श्रीमन्, जो बातें माननीय मंत्री जी ने कहीं और जो बातें माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कहीं और अगर मैं उनको ठीक समझ सका कि हमें लगता है कि यहां पर आपात्कालीन स्थिति बिना लगाये ही लग गई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामधर मिश्र]

मैं यह कहना चाहता हूं कि उस सन्दर्भ में कि कानून तो नहीं बना हुआ है लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी, आप स्वयं अध्यक्ष के रूप में, तमाम मंत्रिगण और तमाम विधायकगण इस बात को देख रहे हैं। मैं इस प्रदेश की बात करता हूं देश की नहीं हम लोग 35 दिन से तो यहां बैठे हैं कोई बात विकास के सम्बन्ध में करते हैं तो वह छपती नहीं है और न रेडियो देता और न अखबार देते हैं। मैं कल का पायनियर देख रहा था...

एक सदस्य—

यह क्या व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री उपाध्यक्ष—

सदन की कार्यवाही से सम्बन्धित है।

श्री श्यामधर मिश्र—

आप लोगों की मदद कर रहा हूं। पायोनियर पढ़ता हूं, उसकी बात करता हूं। यह बात करीब-करीब हर अखबार पर लगती है। 10 पेज में 6 पेज एडवरटाईजमेन्ट था एक पन्ना एडीटोरियल, एक पन्ना खेलकूद और दो पन्ने में न्यूज थी उसमें 15 लाईन विधान सभा और विधान परिषद् की प्रोसीडिंग केवल दो-तीन लाईन में थी कि कटौती का प्रस्ताव किसने किया और अनुदान किसने पेश किया। यह सब दो-तीन लाईन में है। तो क्या हमारी यही कार्यवाही है। आज माननीय ऊदल यहां से वाक आऊट कर गये यह बात निश्चय ही अखबार वाले देंगे। लेकिन मैं कितने ही सुझाव दूं, माननीय मुख्य मंत्री जी और दिषे जी जो कुछ कहें यह नहीं छपता। मैं इनकी शिकायत नहीं करता, इनकी भी करता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं करता हूं और करता हूं दोनों बात कह रहे हैं। एक चीज कहें या तो कहिये करता हुं या कहिये नहीं करता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र—

मैं दोनों की शिकायत करता हूं। इनकी शिकायत करता हूं और इनके एडीटर की करता हूं। यह लोग समय से बैठते नहीं और अनुभवी लोग नहीं बैठते वह बाहर भागे जाते हैं, वह बैठना नहीं चाहते। ट्रेनिंग पा रहे लड़के लिखकर देते है और एडीटर लोग काट देते है क्योंकि जगह नहीं है। तो राज्य सरकार विज्ञापन देती है, दो-दो, तीन-तीन पन्ना देती है, सब अखबारों को देती है और फिर तरह-तरह की सुविधायें देती है। फिर प्रदेश के विकास के सम्बन्ध में सूचना जनता तक न जाएं, यह कहां तक उचित है? चाहें आपके पक्ष के सुझाव हों या विरोध पक्ष के हों। किस प्रकार प्रजातंत्र जीवित रहेगा ? मैं तो कहना चाहता हूं कि आपातकालीन स्थिति में आपात कानून के कारण यह प्रजातंत्र जीवित नहीं रहा लेकिन आज पत्रकार जिस प्रकार प्रकाशन कर रहे हैं एक स्तम्भ में आ रहे हैं चाहे रेडियो हो या अखबार एक सेलेक्टिव ढंग से काम कर रहे हैं, आकाशवाणी के लिए भी कह रहा हूं। यह बुनियादी चीज है आपको इस पर अंकुश लगाना होगा और कुछ करना होगा। यहां के लिए हम इनको पास देते हैं, अगर यह कुछ नहीं करते हैं तो इनके पास ले लें कोई जरूरत नहीं है, यह न छापे। मै इन शब्दों के साथ यह बात कहता हूं कि यह श्री शतरुद्र प्रकाश जी ने बात कही यह ठीक है। लेकिन वह कानूनी बात नहीं है, कानूनन वाध्य नहीं है। मेरी मांग तो यह होगी कि कम से कम 1/10वां हिस्सा जरूर हो और कानून बना कर उनको बाध्य किया जाय कि विकास और तरक्की के सम्बन्ध में संसद और विधान मण्डल के प्रकाशनों को जरूर छापें।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री गोविन्द सिंह नेगी के खड़े होने पर) क्या आप भी कोई औचित्य का प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जी हां। जहां तक माननीय श्यामधर मिश्र जी ने अख बारों के सम्बन्ध में कहा उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है क्या वह छापें क्या वह न छापें। लेकिन मेरा आकाशवाणी के सम्बन्ध में कहना है जो बड़ी गम्भीर बात है। उत्तर प्रदेश के अन्दर व्यापारियों का एजिटेशन चला। सरकार की उसके बारे में एक निश्चित राय थी और उस नीति के सम्बन्ध में इस प्रदेश के वित्त मंत्री ने एक इन्टरव्यू दिया है जिसका प्रसारण होना था सवा आठ बजे जो नहीं हुआ कितनी गम्भीर बात है और चूंकि केन्द्र के यह सूचना मंत्री एक ऐसे घटक के आदमी हैं, जो कि व्यापारियों का समर्थन कर रहे थे और चूंकि माननीय वित्त मंत्री का वक्तव्य वाकई व्यापारियों के विरोध में आने वाला था, सेल्सटैक्स के समर्थन में आने वाला था, लिहाजा उन्होंने उस सरकारी वक्तव्य का प्रकाशन नहीं होने दिया, आकाशवाणी ने प्रकाशन नहीं होने दिया। इससे गम्भीर मामला मैं समझता हूं कि आपके प्रकाश में नहीं आया होगा। आपातकालीन स्थिति के दौरान भी सरकारी नीति प्रकाशित होती थी। मेरा निवेदन यह है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी लज्जा की बात है। वित्त मंत्री जी केवल चिट्ठी लिख देते हैं, इस प्रदेश के मुख्य मंत्री को बाकायदा प्रोटेस्ट करना चाहिए था कि इस प्रदेश की सेल्स टैक्स और व्यापारियों के सम्बन्ध में जो नीति है, जानबूझ कर उसका प्रकाशन रोक दिया गया है, सेन्सर लगा दिया गया है। मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि वह कृपा करके इस सम्बन्ध मे अपना दृष्टिकोण यह स्पष्ट रूप से रखें कि क्या वह आगे जाकर भी यह सहन करने जा रहे हैं कि उनकी नीतियों का आकाशवाणी से प्रकाशन न हो, वल्कि उसका सेन्सर हो।

(अनेक सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको सूचना दे दूं। मैंने आज 2 बजे . . . (व्यवधान) क्या आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं ? यह सारे सदन को सूचना है। इस पर जो कार्यवाही की है उसे मैं माननीय सदस्यों को सूचित कर दूं। आज दो बजे मैंने जितने भी पत्रकार बन्धु हैं उन सबको अपने कक्ष में इस सम्बन्ध में बात करने के लिए बुलाया है कि सदस्यगण जो विकास के बारे में क्षेत्रों और जिलों के बारे में कहते हैं उनका प्रकाशन जिस रूप में होना चाहिए, नहीं होता है क्या नाराजगी है। उसमें आकाशवाणी वाले भी होंगे। अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)--

आकाशवाणी सरकारी है अगर इस तरह से आकाशवाणी रोक लगायेगी तो जम्हूरियत बाकी नहीं रहेगी। मैं इसके विरोध में सदन का बाईकाट करता हूं। (व्यवधान)

(श्री फजलुलबारी सदन त्याग कर चले गये)

श्री मोतीराम (जिला कानपुर नगर)--

उनसे बात करने से पहले आप हमें सुन लीजिए जो हम पर बीत रही है।

श्री उपाध्यक्ष--

वह तो एक चर्चा हो जायगी। सब माननीय सदस्य बोलेंगे तो दो घंटे उसके लिए चाहिए, यह बात आयेगी।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

हर सरकार एक संविधान के तहत काम करती है। यदि केन्द्रीय सरकार को एक संविधान के तहत कुछ अधिकार प्राप्त हैं तो प्रान्तीय सरकार को भी प्राप्त हैं। यह अब केवल वित्त मंत्री के कहने की बात नहीं रह गयी है यह तो...

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अब इसकी इजाजत नहीं देता हूं। आप बैठें।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, 1969–70 †

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 1969–70 (ज्ञापन सहित) को संविधान के अनुच्छेद 323 (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन; 1976–77 †

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायत संस्थाओं की लेखा परीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन 1976–77 को सदन के पटल पर रखता हूं।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन; 1975–76 †

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन, 1975–76 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्रीकर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979 ††

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 2013-टी/तीस–4–12पी–79, दिनांक 1 मई, 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 197- ††

परिवहन मंत्री (श्री सत्यप्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 2012-टी/तीस–4–पी–79, दिनांक 1 मई 1979 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1979 को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम 1964 की धारा 32 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापा नहीं गया।

††छापी नहीं गयीं

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) सातवां (संशोधन) नियमावली, 1977 †

परिवहन मंत्री (श्री सत्यप्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 8478-टी/तीस-4-9पी-76, दिनांक 17 जनवरी, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) (सातवां संशोधन) नियमावली, 1977, जो दिनांक 30 मार्च, 1977 को सदन के पटल पर रखी गयी थी जिसके पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि षष्ठ विधान सभा के विघटन के फलस्वरूप पूरी नहीं हो सकी थी, को उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962, की धारा 30 की उपधारा (3) के अनुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया है आपने, तो इसका कारण बता दें । यह 1977 की नियमावली है ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

यह नियमावली, 17 जनवरी, 1977 को प्रकाशित हुई असाधारण गजट में । जैसा मान्यवर, इसमें बतलाया गया है, षष्ट विधान सभा थी, उसका विघटन हो गया था । इस कारण अभी तक रखी नहीं जा सकी ।

श्री उपाध्यक्ष—

विघटित हो गयी, उसके बाद 1977, 1978 और 1979 का छठा महीना चल रहा है । पहले पेश कर सकते थे ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, मुझे एक निवेदन करना है । इस नियमावली के सन्दर्भ में मुझे यह निवेदन करना है, आज यह सदन उठ रहा है । आज यह सदन के पटल पर माननीय मंत्री नियमावली रख रहे हैं । माननीय सदस्यों को हक है कि जो नियमावली है उसमें संशोधन भेजें । मैं जानना चाहता हूं कि अब अगर इस नियमावली में कोई संशोधन दिया जाय. . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

वह आप दे सकते हैं । यह मैंने पहले ही कह दिया कि विलम्ब से नहीं लाना चाहिये ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

गजट में प्रकाशित हुई थी, आपत्तियां मांगी थीं ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

आपत्तियां मांगी गयी थीं वह सही है । यह भी सही है कि इस नियमावली के अन्दर, सदन के पटल पर रखने के बाद 15 दिन के अन्दर कोई सदस्य इसमें संशोधन दे सकते हैं । आज इसके बाद अगर कोई संशोधन दिया जाय तो कोई भी संशोधन सत्रावसान होने के कारण व्यपगत हो जायगा और दोबारा फिर उसके लिए नोटिस देने की आवश्यकता पड़ेगी । मैं जानना चाहता हूं कि आज अगर कोई नोटिस दी जाय तो क्या अगले उपवेशन के लिए वह नोटिस लागू की जायगी ? इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप उसका नोटिस भेज देंगे उसके बाद सत्रावसान होगा तब फिर निर्णय ले लिया जायगा ।

---

†छापी नहीं गयी

श्री कल्पानाथ सिंह--

इस नियमावली को सदन में रखने का अर्थ क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह आ जाने पर निर्णय लिया जायगा।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय

मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना....

श्री कल्पनाथ सिंह--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, मैंने जो अभी एतराज किया उसके उत्तर में अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि इसे आपको पहले उठाना चाहिए था। आपकी आज्ञा हो तो जो नियमावली रखी जा रही है इस पर मैं अपनी आपत्ति प्रकट करता हूं। अगर आपकी आज्ञा हो तो। आप देखें यह जो नियमावली रखने जा रहे हैं, यह भी 1977 की है दूसरी को भी देख लें वह 1976 की है, सभी 3-3 और 4-4 वर्ष पुरानी हैं और 79 के भी 6 महीने बीत चुके हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि इतना विलम्ब करके इस नियमावली को रखने की इजाजत क्यों दे रहे हैं। अगर माननीय सदस्यों को संशोधन की गुन्जाइश नहीं रहेगी और 3-4 साल बाद नियमावली सदन के पटल पर रखी जायेगी तो प्रतिनिहित विधायन के अन्तर्गत जो अधिकार सरकार को दिए जाते हैं उनका दुरूपयोग हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री कल्पनाथ सिंह ने इसी तरह की आपत्ति उठायी थी उस पर अध्यक्षपीठ से निर्देश हुए थे/सदन के पटल पर रखते समय श्री कल्पनाथ सिंह ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था जिस पर अध्यक्ष ने कहा था कि जब मंत्री पटल पर कोई नियमावली विलम्ब से रखे तो बिलम्ब किए जाने के कारण को स्पष्ट करते हुए एक विवरण भी उन्हें उसी के साथ देना चाहिए। माननीय अध्यक्ष ने ग्राम्य विकास मंत्री से यह अपेक्षा की कि वे इस सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करें कि यह नियमावली इतनी देर से सदन के पटल पर क्यों रखी जा रही है और कहा कि इसके बारे में वे जानकारी प्राप्त करके सूचना दें और भविष्य में जो नियमावली सदन के पटल पर रखी जाये जिसमें बहुत विलम्ब हो तो उसका कारण भी बता दिया करें। तो आप ने यह नियमावली प्रस्तुत कर दी है। आप अपने विभाग से पूछें कि इसको सदन में शीघ्र क्यों नहीं लाये। इतनी देर क्यों की गयी इसकी जानकारी सदन को दें। अभी जो मैंने अध्यक्ष की व्यवस्था पढ़ी है उसका पालन किया जाना चाहिए। सभी मंत्रीगण इसको नोट कर लें।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सप्तम संशोधन) नियमावली, 1976†

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग 4 की अधिसूचना संख्या 8454-टी/तीस 430 पी-76, दिनांक 29 दिसम्बर, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सप्तम संशोधन) नियमावली, 1976 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा 3 के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गई।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अष्टम संशोधन) नियमावली, 1977†

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 5 39-टी/तीस-4 44 पी-68 दिनांक 25 मार्च, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (अष्टम-संशोधन) नियमावली, 1977 की मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट 1939 की धारा 133 की उप-धारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (दशम संशोधन) नियमावली, 1977†

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

मैं आपकी आज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 1607-टी/तीस-4-7-पी 70 के0 अधि0-4-1939 नियमा0/40 संशो0 (दशम) 77, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (दशम संशोधन) नियमावली, 1977 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1977†

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 2445-टी/ तीस-4-30-पी0-76-की0 अधि0-4-1939-नियमा 1940 संशो0 (11)-77, दिनांक 20 जून, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1977 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (बारहवां संशोधन) नियमावली, 1977†

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचन संख्या 2610-टी/तीस-4-65-के0 एम0-75 के0 अधि0-4-1939 नियमा0-1940 संशो0 (12)-77, दिनांक 23 जून, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (बारहवां संशोधन) नियमावली, 1977 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 1977†

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 2688-टी/तीस-4-50-पी-68, के0अधि0-4-1939-नियमा0 1940-संशोधन (13)-77, दिनांक 24 जून, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 1977 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 1977

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 2730-टी/तीस-4-82 के0एम0-75, दिनांक 27 जून, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 1977 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पंद्रहवां संशोधन) नियमावली, 1977 †

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 306-टी/तीस-4-8(9)पी-72, दिनांक 2 जुलाई, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (पन्द्रहवां संशोधन) नियमावली, 1977 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 1977†

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से परिवहन अनुभाग-4 की अधिसूचना संख्या 3047-टी/तीस-4-166-के0एम0-76, दिनांक 4 जुलाई, 1977 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश मोटर वेहिकिल्स (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 1977 को मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

किच्छा शुगर कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे 1977††

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से किच्छा शुगर कम्पनी, लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे 1977 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे 1977††

कृषि मंत्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखे, 1977 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उप धारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

††छापे नहीं गये।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1978–79) का प्रथम प्रतिवेदन)†

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1978–79) का प्रथम प्रतिवेदन, जो भारत के नियंत्रक–महालेखा परीक्षक की अग्रिम रिपोर्ट 1972–73 पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1978–79) का द्वितीय प्रतिवेदन†

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश सप्तम विधान सभा की लोक लेखा समिति (1978–79) का द्वितीय प्रतिवेदन जो नवीन सेवा पर अग्राधिकृति से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

मुख्य मंत्री श्री बनारसी दास तथा स्वास्थ्य एवं आबकारी मंत्री, श्री रमा शंकर कौशिक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

विशेषाधिकार की एक सूचना माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी की आयी थी जिस पर मैं अपना निर्णय दे रहा हूं.....

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

कृपया एक मिनट सुन लें...

श्री उपाध्यक्ष—

मैं अब निर्णय दे रहा हूं। आप तो कह चुके हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं तो पहली बार यह मामला लाया हूं (हंसी)। श्रीमन्, मैंने अपनी नोटिस के साथ एक संलग्नक भी नत्थी किया था जिसमें मैंने महामहिम राज्यपाल महोदय को लिखे गये पत्र की प्रति नत्थी की थी। मैंने उसमें उनसे यह जानकारी चाही थी कि उन्हें लोकायुक्त का वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन प्राप्त हुआ या नहीं और क्या उन्होंने सेक्शन 12 के उप सेक्शन 6-7 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री जी को निर्देश दिया है कि वे उसे दोनों सदन के पटल पर रखें या नहीं। मान्यवर, उनका पत्र जो 5 जून का मुझे मिला वह भी मैंने संलग्नक2 के रूप में नत्थी किया है जिसमें उन्होंने मुझे सूचित किया है कि लोकायुक्त का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन शासन को उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है। हमारा निवेदन है कि सेक्शन 12 के सब-सेक्शन 5, 6 व 7 को भी देख लें। सब-सेक्शन 7 में मन्डेटरी है कि राज्यपाल उसे दोनों सदनों के पटल पर रखवायेंगे। माननीय कौशिक जी ने जवाब दिया था कि वह गोपनीय है। मेरा निवेदन है कि चाहे स्पेशल प्रतिवेदन हो चाहे एनुअल प्रतिवेदन हो वे गोपनीय नहीं हो सकते। उनको सदन के पटल पर अवश्य रखना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

इसको तो हमने देख लिया है।

---

†छापा नहीं गया।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने मंत्रीगणों को आदेश दें कि वे कम से कम जब सदन में आया करें तो ऐक्ट को पढ़ तो लिया करें कि कौन-सी चीज मेन्डेटरी है और कौन-सी नहीं है। ऐसा जवाब देकर वे यहां सदन में सत्तारूढ़ दल को एक हास्यास्पद स्थिति में लाकर रख देते हैं। अगर प्रतिवेदन आ गया है तो उसको रख देना चाहिये, विदिन रीजनेबिल टाइम। जो सदन का प्रिविलेज है वह उसे मिलना चाहिये। फैसला तो जो भी आपका होगा वह शिरोधार्य होगा लेकिन आप ऐसा निर्देश दें शासन को ताकि भविष्य में इस तरह का उत्तर न आया करे।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)--

मुझे अत्यन्त खेद है कि श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी विशेषाधिकार का आधार लेकर केवल इस तरह की बातें यहां रखते हैं जिसमें न तो कोई तत्व है और न ही उसका कोई आधार है। इसी अधिनियम की धारा 10 में स्पष्ट लिखा है कि जो इस प्रकार के अन्वेषण होंगे वे गोपनीय होंगे उसके बारे में आपने कहा था। फिर उसमें यह भी सूचित किया गया है कि इस अधिनियम की धारा 5 में यदि कोई परिवाद प्राप्त होता है और वह अन्वेषण प्राधिकृत अधिकारी जिसका मतलब मुख्य मंत्री के पास प्राप्त होना होता है और वह उस पर कार्यवाही करके लोक आयुक्त को सूचित कर देते हैं। यदि उनका समाधान हो जाय तो वह वहीं समाप्त हो जाता है। यदि समाधान न हो तो लोक आयुक्त फिर उसकी अपनी विशेष रिपोर्ट राज्यपाल के पास भेजेंगे। तो इसमें स्पष्ट है जो अल्प सूचित प्रश्न उन्होंने किया था इसमें राज्यपाल के पास कोई विशेष रिपोर्ट नहीं आयी। राज्यपाल का पत्र अगर माननीय तिवारी जी पढ़ लिये होते तो स्पष्ट हो जाता। उसमें दो प्रश्न थे। उसमें लिखा है कि--मुझे सूचित करना है कि लोक आयुक्त का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन शासन को उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया है। तो यह नियम 12(5) के अनुसार आपने जो उक्त बातें लिखी थीं विशेष रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट, अगर माननीय तिवारी इसको पढ़ लेते तो वार्षिक रिपोर्ट का प्रश्न केवल रह जाता। धारा 12(7) में मैंने आपको लिखा भी है कि विशेष प्रतिवेदन तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल उसकी एक प्रतिलिपि स्पष्टीकरण हेतु राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखेंगे। तो इसमें यह तो लिखा नहीं है कि कितने बजे, किस तारीख को रखेंगे। कोई तारीख इसमें निश्चित नहीं है। यह कहां शासन ने कहा है कि हम इस प्रतिवेदन को नही रखेंगे? प्रतिवेदन, यह 14 महीने का प्रतिवेदन 31 दिसम्बर तक का, यह प्राप्त हुआ, उसके बाद इसको मंत्रिपरिषद् के सामने जाना होता है। मेरा तो आपसे अनुरोध यह है कि इस प्रकार से माननीय तिवारी जो सदन का सदुपयोग होना चाहिए उस समय का इस रोष के मार्फत अतिक्रमण करते हैं और श्रीमन्, यह तो आपका अधिकार है। प्रायः करके शायद ही सदन में कोई ऐसा दिन हो, जब माननीय तिवारी जी इसी तरह के प्रश्न न लाते हों। इसी से आपको अन्दाजा लगाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बहुत पुराना है। (व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

रीजनेबुल टाइम क्या होगा?

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठिये।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी सदस्य विधान सभा ने 12 जून 1979 को माननीय मुख्य मन्त्री श्री बनारसी दास तथा माननीय स्वास्थ्य एवं आबकारी मंत्री श्री रमाशंकर कौशिक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन के अवमान की सूचना दी थी जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम 1975 की धारा 12 की उपधारा (7) का उल्लंघन करके शासन ने अभी तक लोकायुक्त का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन राज्य विधान मण्डल के सदनों पर नहीं रखवाया है और 7 जून, 1979 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में माननीय स्वास्थ्य एवं आबकारी मंत्री श्री रमाशंकर कौशिक ने सरकार के इस इरादे को स्पष्ट कर दिया है कि वह उसे गोपनीय रखेगी और सदन के पटल पर नहीं रखेगी।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मंत्री तथा माननीय स्वास्थ्य एवं आबकारी मंत्री से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी माननीय मुख्य मंत्री ने अपने 14 जून, 1979 के पत्र में सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 42, 1975) की धारा 12 की उपधारा (7) में यह प्राविधान है, उक्त धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन विशेष प्रतिवेदन या उपधारा (6) के अधीन वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्यपाल उसकी एक प्रतिलिपि स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवायेंगे। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त द्वारा इस सम्बंध में एक वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिस पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है और उसे यथाशीघ्र जैसा कि अधिनियम के उपबन्धों में अपेक्षित है सदन के पटल पर रखवाया जायेगा। उक्त धारा 12 की उपधारा (7) में कोई समय सम्बन्धी सीमा नहीं निर्धारित है जिसके अन्दर शासन द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन को स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित रखवाया गया। प्रतिवेदन को सदन के पटल पर न रखे जाने की शासन की कोई मंशा नहीं है। वार्षिक प्रतिवेदन के अतिरिक्त लोकायुक्त द्वारा कोई प्रतिवेदन शासन को नहीं प्राप्त हुआ है।

जहां तक श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी की सूचना में उल्लिखित दिनांक 7 जून, 1979 को पूछे गये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के दौरान अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का सम्बन्ध है, उसके आधार पर माननीय सदस्य द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जाना कि शासन उक्त प्रतिवेदन को पटल पर नहीं रखेगा, इसी सदन में दिनांक 13 जून, 1979 को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये बयान तथा उनके उक्त लिखित स्पष्टीकरण को देखते हुए उचित नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री ने अपने लिखित स्पष्टीकरण में यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 की धारा 10 (2) के अनुसार लोकायुक्त का प्रत्येक अन्वेषण असार्वजनिक होगा और विशेषत: परिवादी तथा अन्वेषण से प्रभावित लोक सेवक का परिचय अन्वेषण के पूर्व, दौरान या पश्चात् जनता या प्रेस के समक्ष नहीं प्रकट किया जायगा। उनका कहना है कि जब तक कि किसी परिवाद के सम्बन्ध में लोकायुक्त द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (5) के अधीन कोई विशेष प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष नहीं प्रस्तुत किया जाता तब तक उसको सदन के पटल पर रखे जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। प्रश्नगत मामले में धारा 12(3) के अनुसार लोकायुक्त का समाधान सक्षम प्राधिकारी (मुख्य मंत्री) द्वारा कृत अथवा प्रस्तावित कार्यवाही से हो जाने के कारण किसी विशेष प्रतिवेदन दिये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हुआ। अतएव माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा उक्त प्रश्न के उत्तर में जो बातें कही गयी, वह अपनी जगह पर सही है।

[श्री उपाध्यक्ष]

माननीय स्वास्थ्य एवं आबकारी मंत्री ने अपने 14 जून, 1979 के पत्र में यह कहा है कि माननीय मुख्य मंत्री ने जो स्थिति स्पष्ट की है, वह उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में भी लागू होती है। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने सदन को गलत सूचना देकर गुमराह करने का लेशमात्र भी प्रयास नहीं किया है।

वैसे भी किसी अधिनियम के उपबन्धों की अवहेलना करने से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं होता। आसाम और नागालैंड के रजिस्ट्रार तथा मुख्य न्यायाधिपति द्वारा आसाम राजकीय भाषा अधिनियम, 1960 के उपबन्धों का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में एक विशेषाधिकार का प्रश्न आसाम विधान सभा में उठाया गया था किन्तु अध्यक्ष ने इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दी। (प्रिविलेजेज डाइजेस्ट अप्रैल, 1968, खण्ड 13, अंक 1, पृष्ठ 19)।

अतः मैं श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी द्वारा माननीय मुख्य मंत्री एवं माननीय स्वास्थ्य एवं आबकारी मंत्री के विरुद्ध अभिसूचित प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना या सदन के अवमान के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

सांस्कृतिक कार्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष--

श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा ने सांस्कृतिक कार्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि माननीय सांस्कृतिक कार्य मंत्री ने 8 जून, 1979 की कार्यसूची की नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 11का उत्तर देते हुए सदन को गुमराह किया। उन्होंने पूरक प्रश्नों के उत्तर में बताया कि शिकायतकर्ताओं को शिकायतें जानने हेतु बुलाने का प्रयास किया गया। दूसरे पूरक प्रश्न के उत्तर में बताया कि भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीपुरुदधीच को 1978 में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से पी0 एच0 डी0 की उपाधि प्राप्त हुई। माननीय सदस्य का कहना है कि उक्त दोनों कथन बिल्कुल असत्य हैं। माननीय सदस्य ने सूचना में यह भी कहा है कि उक्त प्रधानाचार्य अपने नाम के साथ 1978 से पूर्व भी 'डाक्टर' की उपाधि का इस्तेमाल करते आये हैं। इसकी पुष्टि में माननीय श्री राम आसरे वर्मा ने अपनी सूचना के साथ 4 नत्थियां एक प्रति में संलग्न की हैं। माननीय सदस्य ने इस बात को भी चुनोती दी है कि उक्त प्रधानाचार्य को विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त हुई है, किन्तु माननीय सदस्य ने अपनी सूचना के साथ ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह सिद्ध हो सके कि शिकायतकर्ताओं को बुलाने का प्रयास नहीं किया गया था उक्त प्रधानाचार्य को 1978 में विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन से पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त नहीं हुई। माननीय श्री राम आसरे वर्मा ने ऐसा भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह ज्ञात हो सके कि माननीय सांस्कृतिक कार्य मंत्री ने जानबूझकर गलत बयानी की और सदन को गुमराह किया।

नियम 64 की अपेक्षा के अनुसार संलग्नकों की दो-दो प्रतियां न भेजने के कारण और इस कारण कि सूचना के साथ माननीय सदस्य ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि माननीय सांस्कृतिक कार्य मंत्री ने जानबूझकर सदन में गलत बयानी की और सदन को गुमराह किया, मैं श्री राम आसरे वर्मा द्वारा दी गयी सूचना को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

गोरखपुर कोषागार में बन्द किया गया सोना और आभूषण के स्थान पर लोहा और नट बोल्ट पाये जाने के संबंध में अग्रेतर वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

उपर्युक्त विषय के संबंध में मन जो वक्तव्य दिनांक 14–6–79 को दिया था उसके बाद जिलाधिकारी तथा कोषाधिकारी गोरखपुर से इस मामले से संबंधित अतिरिक्त सूचना लिखित रूप से प्राप्त हुई, जिसके अनुसार निम्नलिखित स्थिति सामने आई है:—

वित्तीय नियमावली खण्ड–5, भाग–1 के पैरा 36 की व्यवस्था के अधीन सेन्ट्रल एक्साइज डिपार्टमेन्ट के बक्से गोरखपुर कोषागार के डबल लाक में दिनांक 13–10–1974 से रखे हुए थे और उपर्युक्त नियमावली के पैरा 38 (ए) की व्यवस्था के अनुसार सेन्ट्रल एक्साइज डिपार्टमेन्ट के अधिकारी अपना ताला लगाते हैं जिसकी चाभी उन्हीं के पास रहती है। बक्से के अन्दर के सामान की कोई भी जिम्मेदारी कोषागार कर्मचारियों की नहीं होती। सुपरिन्टेन्डेन्ट सेन्ट्रल एक्साइज, गोरखपुर ने अपने पत्र संख्या पांच (19) 34–पी0एण्ड टी0/79/8013 दिनांक 11–6–1979 द्वारा सूचित किया है कि यह मामला पड़रौना के श्री गोपी कृष्ण से दिनांक 7–10–77 को पकड़े गये सोने और सोने के आभूषण, जो दो सील्ड पैकेट में रखे गये थे, से संबंधित है। सुपरिन्टेन्डेन्ट ने इन दो पैकेटों को कोषागार के डबल लाक में रखे अपने बक्स में दिनांक 10–10–1977 को रखा। इस मामले पर डिप्टी कलेक्टर, सेन्ट्रल एक्साइज इलाहाबाद ने निर्णय लिया और संबंधित पार्टी पर रु0 15,000 की पैनाल्टी और फाइन लगाया और तत्पश्चात् इन दोनों पैकटों को सुपरिन्टेन्डेन्ट, सेन्ट्रल एक्साइज ने दिनांक 4–6–79 को कोषागार के डबल लाक मे रखे अपने बक्से में से निकाला। जब इन दोनों पैकटों को श्री गोपी कृष्ण, अन्य गवाह और सेन्ट्रल एक्साइज के अधिकारियों के सामने सेन्ट्रल एक्साइज आफिस में खोला गया तो उसमें सोने और सोने के आभूषण के स्थान पर नट बोल्ट, आयरन स्क्रू, लाक, साइकिल पार्ट्स, कीलें, कब्जे, बिजली तथा स्कूटर के पुर्जे तथा अखबार के कागज पाये गये। सेन्ट्रल एक्साइज अधिकारियों ने दिनांक 6–6–79 को धारा 409/420 आई0 पी0 सी0 के अधीन रिपोर्ट संख्या 657 के अधीन पुलिस में केस दर्ज कराया है। सेन्ट्रल एक्साइज डिपार्टमेन्ट द्वारा विभागीय जांच भी जारी है।

जिलाधिकारी, गोरखपुर के पत्र वाहक द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार अधीक्षक (निवारक) सेन्ट्रल एक्साइज द्वारा कराये गये एफ0आई0आर0 से यह विदित होता है कि एक पैकेट दिनांक 4–6–79 को ही खोला गया तथा दूसरा पैकेट दिनांक 5–6–79 को खोला गया। उक्त कार्यवाही सेन्ट्रल एक्साइज गोरखपुर के कार्यालय में ही हुई। बाद में इन पैकेटों को पुन: सील करके कोषागार में रखे बक्से में रख दिया गया। इसी रिपोर्ट से यह भी विदित होता है कि दिनांक 13–12–77 को श्री नाथू राम, इन्सपेक्टर द्वारा वह सील जिसके द्वारा उक्त दोनों पैकेट सील किये गये थे, गायब होने की रिपोर्ट कैन्ट थाने में लिखाई गई थी।

उक्त रिपोर्ट के बाद अधीक्षक (निवारक) सेन्ट्रल एक्साइज, गोरखपुर ने यह सावधानी नहीं बरती कि सील गायब होने के उपरान्त कोषागार के डबल लाक में रखे गये पैकेटों को सत्यापन कर पुन: उन्हें सील कर रखवा देते और ना ही इस संबंध में किसी प्रकार की सूचना वरिष्ठ कोषाधिकारी अथवा जिलाधिकारी को ही दी गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर के पत्रांक क्यू0 9/79, दिनांक 13–6–79 जो जिलाधिकारी के पत्र संख्या 707, दिनांक 12–6–79 के क्रम में प्रेषित किया गया है, में यह उल्लिखित है कि मुकदमे की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है जो प्रारम्भिक स्थिति में है।

[श्री मधुकर दिघे]

सेन्ट्रल एक्साइज के जिन अधिकारियों ने अक्टूबर, 1977 से बक्से को खोला, बन्द किया उनके नाम निम्नलिखित हैं:--

1--श्री ए0 सी0 सिन्हा, अधीक्षक एक्साइज प्रिवेन्टिव।

2--श्री के0 सी0 शर्मा, अधीक्षक एक्साइज प्रिवेन्टिव।

3--श्री एच0 एम0 सिंह, अधीक्षक एक्साइज प्रिवेन्टिव।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत गंभीर मामला है। वक्तव्य इस पर दो दिन हुआ। तो मान्यवर, अगर आपकी इजाजत हो तो 2-4 स्पष्टीकरण माननीय सदस्य हासिल कर लें, जो कुछ भ्रांतियां हैं वह साफ हो जायेंगी। अगर आप इजाजत दे दें तो।

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें स्पष्टीकरण वैसे तो नहीं होता है। लेकिन आपके यहां का गंभीर मामला है। आप दो एक स्पष्टीकरण कर सकते हैं, केवल आप।

श्री कल्पनाथ सिंह--

में एक ही सवाल को दो हिस्सों में करके पूछना चाहता हूं। पहला तो यह कि क्या डबुल लाक में रखे जाने के बाद कोषाधिकारी की जिम्मेदारी नहीं है? उस नियमावली जिसका हवाला दिया गया है, कोषाधिकारी की जिम्मेदारी डबुल लाक में रखने के नाते कितनी दूर तक है? दूसरा सवाल यह है कि डबुल लाक की चाभी उसके पास है। अगर कोषाधिकारी डबुल लाक को खोलकर ताला बदल दे तो इसकी जिम्मेदारी उसकी कैसे नहीं रहेगी? दूसरी बात यह है कि कितने रुपये का सोना और जेवरात बंद थे जो सोने से लोहा हो गये?

श्री मधुकर दिघे--

मान्यवर, यह तो माननीय सदस्य को वक्तव्य पढ़ने से ही मालूम हो जाना चाहिये कि डबुल लाककी जिम्मेदारी कोषाधिकारी की कितनी है। अगर एक्साइज डिपार्टमेन्ट ने जब बक्स खोला और माल लेकर गये तो उस वक्त अगर रिपोर्ट किया होता कि ताला टूटा हुआ है, या बक्स जब हमने खोला तो सील टूटी हुई थी, तो इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है। माल उठाकर ले गये और ले जाने के बाद 2 दफे खोला और बन्द किया। जब दूसरी दफे खोला तब पता चला कि इतना माल बदला हुआ है। नट बोल्ट हैं। इक्साइज विभाग सेन्ट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। केवल कोषाधिकारी की जिम्मेदारी इतनी है कि जो बक्सा रखा हुआ है उस बक्से का ताला और सील जिस तरह से सुपुर्द की गयी है वैसे रहे। बाहर का ताला तो डबुल लाक है, ठीक रहा। इस प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं है। दूसरी चीज, यह ज्ञात नहीं हो सका है कि कितने रुपये का सोना और आभूषण थे जिसके बदले लोहा लंगड़ पाया गया।

जिला सहकारी बैंक प्रतापगढ़ में उत्पन्न वैधानिक संकट तथा बैंक के अध्यक्ष द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग के संबंध में वक्तव्य

सहकारिता मन्त्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

जिला सहकारी बैंक लि0, प्रतापगढ़ में 13 निर्वाचित संचालक तथा 2 राज्य सरकार के नामांकित संचालक हैं।

प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों की प्रथम बैठक दिनांक 1-10-78 को निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में हुई और इसी बैठक में सभापति पद पर श्री लक्ष्मण सिंह एवं उप सभापति पद पर श्री राजा राम शुक्ल चुने गये थे।

प्रबन्ध कमेटी की बैठकें निम्न तिथियों में सम्पन्न हुई हैं:--

3-10-78, 3-11-78, 21-11-78, 22-1-79, 2-2-79 तथा 24-3-79 इसके अतिरिक्त एक अन्य बैठक गत 17 मई को भी सम्पन्न हुई जिसमें प्रबंध कमेटी के 4 सदस्यों की अनर्हता पर विचार किया गया ।

संचालक मण्डल के 5 सदस्यों ने नियम 114 के अन्तर्गत दिनांक 30-3-79 को बोर्ड की मीटिंग बुलाने के लिये सचिव को पत्र लिखा जिस पर सचिव ने अध्यक्ष से बैठक बुलाये जाने की अनुमति मांगी। अध्यक्ष ने मीटिंग बुलाने की आवश्यकता नहीं समझी और बैठक नहीं बुलाई गयी। इस विषय में चार संचालकों ने 12-5-79 को जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को प्रबन्ध कमेटी की बैठक बुलाने के लिये एक प्रार्थना-पत्र दिया था, जो उनके विचाराधीन है ।

4-5-79 तथा 5-5-79 के विधायकों एवं संचालक मंडल के सदस्यों के बैंक में अधिकारों एवं धन के दुरुपयोग सम्बन्धी शिकायत की पूरी जांच मंडलीय उप निबन्धक, फैजाबाद द्वारा कराई जा रही है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

दिनांक 17-5-79 को संचालक मंडल की बैठक हुई थी जिसमें प्रबन्ध कमेटी के चार सदस्यों की अनर्हता पर निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के समक्ष चार संचालकों के हटाए जाने का मामला विचाराधीन है ।

जिला सहकारी बैंक लि०, प्रतापगढ़ का कारोबार ठप्प नहीं है। बैंक की वसूली वर्तमान समय में 46 प्रतिशत है। अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋणों का वितरण बैंक की शाखाओं पर हो रहा है ।

कथित अवैधानिक नियुक्तियों तथा बैंक के साधनों के दुरुपयोग के आरोपों की जांच भी उप निबन्धक, फैजाबाद द्वारा कराई जा रही है ।

प्रबन्धक कमेटी की सदस्यता से जिन 4 सदस्यों को हटाया गया है उनके रिक्त स्थान की पूर्ति अभी तक नहीं की गई है। प्रबन्ध कमेटी के उक्त प्रस्ताव से प्रभावित संचालक नियमानुसार मध्यस्थ निर्णय करा सकते हैं ।

श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)--

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं स्पष्टीकरण की इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री विद्या शंकर--

[×××]

श्री उपाध्यक्ष---

यह नहीं लिखा जायेगा। आप बैठें।

यह कार्यवाही का अंश नहीं होगा। आप बैठ जायं।

4 वक्तव्य रह गये हैं, यदि माननीय सदस्य उचित समझें तो इनको न पढ़वाया जाय क्योंकि वह बंट गये हैं ।

(व्यवधान)

नोट:-[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

एक सदस्य—

जिला सहकारी बैंक, प्रतापग में बड़ी अनियमितता हुई है।

श्री उपाध्यक्ष—

यह अनुचित है, वक्तव्य आ गया है। आप बैठें।

श्री विद्या शंकर—

जो नोटिस दी गयी है मैं उसको पटल पर रखना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इसको रखने की इजाजत नहीं देता हूं।

मुख्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जो माननीय सदस्य इसमें उत्तेजित है तो मैं कहना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में यह शिकायत मेरे संज्ञान में भी आयी है और सहकारिता मंत्री जी इसको देख रहे हैं। जांच के आदेश के अलावा मैंने आश्वस्त भी किया है। प्रारम्भ में मुझे यह लगता है सदस्यों को मैंने उनके नोटिस भी दिये, लगता है कि वहां के प्रधान ने और सचिव ने भी इसमें अनियमित कार्यवाही की है और अधिकारियों की अवश्य इसमें असावधानी है। 15 सदस्यों में से 4 सदस्यों को बिना नोटिस के पृथक करके मीटिंग बुलाना बिलकुल अन्याय-पूर्ण है। कल जब मेरे नोटिस में आया तो मैंने इस संबंध में तुरन्त ही जानकारी प्राप्त की।

बांदा जनपद के अतर्रा कस्बे में दो नवयुवकों द्वारा आमरण अनशन किये जाने के संबंध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

बांदा जनपद के अतर्रा कस्बे में बालिकाओं का एक राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने की मांग को लेकर दिनांक 12 मई, 1979 से गर्ल्स स्कूल अतर्रा के समक्ष श्री चन्द्रशेखर गुप्त के नेतृत्व में युवा जनता कार्यकर्ताओं के एक जत्थे ने क्रमिक अनशन प्रारम्भ किया। यह क्रमिक अनशन दिनांक 5 जून, 1979 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में परिवर्तित हो गया और सर्वश्री चन्द्र शेखर गुप्त व ईश्वर प्रसाद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गये। यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल दिनांक 8 जून, 1979 को जिलाधिकारी बांदा की मध्यस्थता के फलस्वरूप समाप्त हो गयी।

गत वर्ष तथा इस वर्ष अतर्रा में बालिकाओं का एक राजकीय उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय खोले जाने के संबंध में जनता के प्रतिनिधियों से मांग-पत्र प्राप्त हुए हैं जिनको शिक्षा विभाग ने शिक्षा निदेशक को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया है। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलने के पूर्व निम्नलिखित बातों पर विशेष रूप से विचार किया जाता है

(इस समय 1 बजकर 57 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री बाबूराम शुक्ल पीठासीन हुए।)

(1) भवन/भूमि की उपलब्धता।

(2) छात्र/छात्राओं की प्रवेश हेतु सम्भावित संख्या।

(3) 10 कि0मी0 की परिधि में हाईस्कूल/इन्टर कालेज का न होना।

(4) स्थान का आवागमन के साधनों से सम्बन्ध होना।

(5) क्षेत्र का असेवित होना, जहां विशेषतया निर्बल वर्ग के अधिकांश लोग निवास करते हों।

शिक्षा निदेशक की संस्तुति प्राप्त होने पर तथा उक्त बिन्दुओं पर एवं वित्तीय उपलब्ध साधनों पर विचार करने के पश्चात इस संबंध में शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय लिया जायगा।

बस्ती जनपद के बभनान कस्बे के निवासी सरदार जसबीर सिंह के गोन्डा के हफीजुल्ला आदि द्वारा उनके दाढ़ी मूंछ तथा सर के बाल कटवा देने से सरदारों में उत्पन्न क्षोभ एवं असंतोष के संबंध में वक्तव्य

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)---

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हफीजुल्ला खां निवासी महराजगंज ग्रांट पूरे दहला, थाना छपिया गोण्डा ने एक विधवा से ग्राम दहला में कुछ जमीन लिखा ली थी। इस जमीन के संबंध में श्री भगवान दास, साकिन दहला और श्री हफीजुल्ला के बीच दीवानी का मुकदमा चल रहा है। श्री सुकरुल्ला, श्री भगवान दास की मदद कर रहे हैं और इस मामले में श्री चरण सिंह और उनके पुत्र श्री जसबीर सिंह भी श्री भगवान दास के साथ हैं। श्री जसबीर सिंह जनपद बस्ती के कस्बा बभनान में रहते हैं और कभी-कभी अपने पिता श्री चरण सिंह के यहां ग्राम दहला में आते हैं। विवाद हफीजुल्ला और सुकरुल्ला के बीच है।

श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री चरण सिंह, साकिन दहला, थाना छपिया, जनपद गोण्डा ने जनपद बस्ती में दिनांक 25-5-79 को 21-15 बजे लिखित सूचना दी, जिसमें श्री हफीजुल्ला एवं अन्य दो व्यक्ति को नामजद करते हुए यह बताया था कि दिनांक 24-5-79 को दहला से जब वह बभनान जा रहे थे तो सहुनहा गांव जो थाना छपिया में पड़ता है, के पास करीब 10 बजे दिन में वहां ग्राम दहला के हफीजुल्ला एवं अन्य व्यक्तियों ने उन्हें घेर लिया उनकी साइकिल पकड़ ली और उन्हें मारा। हफीजुल्ला सहित पांच व्यक्तियों ने उनको पकड़कर एक गांव में जिसका नाम वे नहीं जानते थे ले गये। वहां पर सर और दाढ़ी के बाल काट दिये, इत्यादि। यह लिखित सूचना थाना पैकोलिया से थाना छपिया भेजी गयी जहां दिनांक 26-5-79 को मुकदमा अपराध संख्या-103-ए धारा 147/323/295-ए/384 भा० द० वि० पंजीकृत हुआ।

श्री हफीजुल्ला पुत्र श्री मंजूर अली खां, साकिन महराजगंज, गांव पूरे दहला, थाना छपिया ने भी एक लिखित दिनांक 24-5-79 को 12-30 बजे थाना छपिया में दी, जिस पर अपराध संख्या-103 धारा 395/397 कायम हुआ।

दोनों मुकदमों की तफतीश थानाध्यक्ष छपिया द्वारा तत्परता से की जा रही है। श्री जसबीर सिंह की लिखित रिपोर्ट पर हफीजुल्ला की गिरफ्तारी हो चुकी है।

श्री जसबीर सिंह को मारने और बाल-मूछ काटने की घटना के कारण स्थानीय सिक्खों में कुछ अन्दरूनी क्षोभ हुआ था किन्तु पुलिस द्वारा समुचित कार्यवाही किये जाने के कारण वे संतुष्ट हैं। स्थानीय पुलिस ने तत्परता के साथ कार्यवाही की है एवं गिरफ्तारी के कारण इस विषय को लेकर किसी प्रकार का कोई तनाव जनपद गोण्डा में नहीं है। यह स्पष्ट है कि यह मामला दो सम्प्रदायों के बीच झगड़े का नहीं है और न कोई साम्प्रदायिक तनाव पहले था और न इस समय है। सम्पूर्ण घटना स्थानीय है।

शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने हेतु पी०ए०सी० ग्राम दहला और उसके आस-पास गश्त हेतु भेजी गयी थी और दिनांक 31-5-79 से 8-6-79 तक रहीं। कोई तनाव अथवा प्रतिक्रिया विदित नहीं हुई और स्थिति सामान्य रही।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

अधिष्ठाता जी, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। यह एक सम्प्रदाय के साथ ज्यादती की बात है। इसलिये जरा मेरी सुन लीजिये, मैं स्पष्टीकरण नहीं चाहता। मैं एक आज्ञाकारी सदस्य हूं, अगर आप आज्ञा दें तो मैं बोलूं।

[श्री अजीत सिंह सेठी]

अधिष्ठाता जी, जो मुख्य मंत्री जी की ओर से वक्तव्य पेश हुआ; बड़े दुःख की वजह है कि इन्होंने यह कहा कि वहां के सिक्ख संतुष्ट हैं और वहां शांति है। मेरे पास आज भी टेलीग्राम और लेटर्स आए हैं वहां की सिक्ख यूथ फेडरेशन के। उनका कहना है कि गुंडों द्वारा जसबीर सिंह को रात के 7 बजे तक मारा पीटा गया और मुंह काला करके और बाल काटकर बाजार में घुमाया गया था। पुलिस द्वारा उसको कोई सहायता नहीं दी गई। कालेज के लड़कों ने उसको मदद देनी चाही थी अपने बच्चों को मदद देनी चाहिए थी लेकिन उनको पुलिस की मदद नहीं मिली। न रात में मिली न दिन में मिली। सवेरे वायरलैस करके पुलिस 9 बजकर 15 मिनट पर रात में उस लड़के को लेकर जाती है। गुन्डा तत्वों ने सिक्ख सम्प्रदाय के व्यक्तियों के प्रति एक अपराध किया है। एक जुल्म उन पर हुआ है। मुख्य मंत्री जी ने अभी कोई आश्वासन नहीं दिया, उनके बच्चों के, उनके प्रोटेक्शन के सिलसिले में कोई सहायता नहीं दी। मैं इसके प्रोटेस्ट में हाउस से वाक आउट करता हूं।

(श्री अजीत सिंह सेठी सदन त्याग कर चले गये।)

गोपालपुर फार्म, जनपद मिर्जापुर की भूमि की नीलामी में अनियमितताओं के संबंध में वक्तव्य

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, जनपद मिर्जापुर में स्थित गोपालपुर संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि0 का निबन्धन दिनांक 19 जनवरी, 1951 को हुआ था। वर्ष 1951-52 से समिति ने कार्य प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में समिति मे उत्तर प्रदेश एवं बिहार के केवल 13 सदस्य थे तत्पश्चात् समय-समय पर सदस्यों ने अपने भाग का कुछ अंश अन्य व्यक्तियों को बतौर सह-खातेदार या बिक्री द्वारा दे दिया और उन्हें समिति का सदस्य बना लिया। इस समय कुल 119 सदस्य हैं जिसमें से भूमिग्राही सदस्य 104 हैं। इनमें से 30 सदस्य बिहार राज्य एवं 6 सदस्य नेपाल के निवासी हैं। सहकारी फार्म का कुल क्षेत्रफल लगभग 5,000 एकड़ है।

दिनांक 11-9-1973 को हुई वार्षिक निकाय की बैठक में निम्न प्रबन्ध समिति का गठन किया गया था:—

(1) श्री राम नारायण सिंह, अध्यक्ष, कमच्छा, चौमुहानी, वाराणसी।
(2) श्री देवेन्द्र नाथ द्विवेदी, उपाध्यक्ष, रामपुर, वाराणसी।
(3) श्री मान्डवी प्रसाद सिंह, सचिव, बिन्द भवन, कमच्छा, वाराणसी।
(4) श्री माता प्रसाद सिंह, कोषाध्यक्ष, ग्राम मरूई, पी0 लखनी, वाराणसी।
(5) श्री लोकपति त्रिपाठी, संचालक, औरंगाबाद, वाराणसी।
(6) श्री तेज सिंह, गोपालपुर फार्म, मिर्जापुर।
(7) श्री प्यारे लाल ग्रा0 सुलामपुर, रोहनिया, वाराणसी।

वर्ष 1973 के पश्चात् प्रबन्ध समिति का कोई चुनाव नहीं हुआ। समिति का आडिट पिछली बार वर्ष 1974 में हुआ था। इसके पश्चात् आडिट नहीं हुआ। तबसे प्रतिवर्ष नई बैलैन्सशीट भी नहीं तैयार की गई। उपलब्ध संतुलन पत्र के अनुसार समिति की संकलित हानि 40,986.00 रुपये दिखाई गई है। समिति के अभिलेख समिति के पदाधिकारियों द्वारा विभागीय अधिकारियों तथा सम्प्रेक्षण (आडिट) अधिकारियों को नहीं दिखाये जाने के कारण समिति का निरीक्षण तथा सम्प्रेक्षण 1974 के बाद नहीं हो सका है।

समिति पर राजकीय देय का मुबलिग 1,50,745.36 बकाया है। इसके अतिरिक्त सहकारिता विभाग का 10,329 रुपया देय है। इसके अतिरिक्त इस पर व्याज भी देय है। समिति की आर्थिक स्थिति असंतोषजनक है तथा आर्थिक व्यवस्था भी ठीक नहीं है। वित्तीय अनियमितताएं भी प्रकाश में आई हैं। समिति का प्रबन्ध ठीक नहीं है और समिति अपने लक्ष्य की पूर्ति में असफल रही है।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत दी गई विशिष्ट सूचना का प्रश्न है समिति पर राजकीय देय मुबलिग 1,50,745.36 पैसे बकाया है। इसकी वसूली न हो सकने के कारण जिलाधिकारी, मिर्जापुर ने गोपालपुर फार्म की भू-सम्पत्ति को कुर्क कर लिया और नीलामी के लिये तिथि 24 व 25 मई, 1979 निश्चित की थी। घोषणा-पत्र में दी गई शर्त के अनुसार नीलामी की कार्यवाही ग्राम गोपालपुर में नायब तहसीलदार (विक्रयअधिकारी) की उपस्थिति में की गई। नीलामी में जिन व्यक्तियों ने बोली बोली है उनमें अनेक नाम कोठारी परिवार के हैं। चूंकि कम बोली प्राप्त हुई अतः नीलामी का अन्तिमकरण नहीं किया गया और जिलाधिकारी द्वारा पुनः नीलामी की जाने की घोषणा दिनांक 1 जून, 1979 को कर दी गई है।

दिनांक 24–25 मई, 1979 को जनपद मिर्जापुर में की गई नीलामी कार्यवाही के विषय में राजस्व विभाग से पूरी सूचना एकत्र की जा रही है और उनसे अगली नीलामी रोकने का अनुरोध कर दिया गया है। जहां तक सहकारिता विभाग का संबंध है, गोपालपुर संयुक्त कृषि सहकारी समिति लि0 के कार्य-कलापों के विषय में विस्तृत जांच वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कराये जाने के आदेश मैंने कर दिये हैं।

दिनांक 5 जून, 1979 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 के अनुपूरक प्रश्न के संबंध में शोधन वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशनाथ सिंह)—

अध्यक्ष महोदय, दिनांक 5 जून, 1979 को सर्वश्री पुरुषोत्तम कौशिक तथा गुरु प्रसाद शास्त्री सदस्यगण, विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 8 के सम्बन्ध में श्री देव बहादुर सिंह, सदस्य विधान सभा ने अनुपूरक प्रश्न में पूछा था कि "विवेचना में किसके नाम की जानकारी हुई है? यदि हुई है, तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?"

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि "अभी तक विवेचना में केवल एक नाम ओम प्रकाश सिंह सामने आया है यह 19-5 को आया तथा 20-5 को उनकी गिरफ्तारी हो गई।"

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका पता बाद में चला। सही उत्तर इस प्रकार है: श्री ओम प्रकाश सिंह की गिरफ्तारी 19 मई को की गई और दिनांक 20 मई, 1979 को उसे जेल भेजा गया।" मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है

(मूल प्रश्न तथा उत्तर के लिए देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 438 पर)

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (तृतीय) विधेयक, 1978 की वापसी का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (तृतीय) विधेयक, 1978 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 7 दिसम्बर, 1978 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (तृतीय) विधेयक, 1978, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा में दिनांक 7 दिसम्बर, 1978 को पुरःस्थापित किया गया था, को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश भूमिहीन (भूमि का आवंटन) विधेयक, 1979 †

श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच)—

मैं सदस्य, विधान सभा उत्तर प्रदेश भूमिहीन (भूमि का आवंटन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि श्री बाबूलाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा को उत्तर प्रदेश भूमिहीन (भूमि का आवंटन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री बाबूलाल वर्मा—

मैं, सदस्य, विधान सभा, उत्तर प्रदेश भूमिहीन (भूमि का आवंटन) विधेयक, 1979 को पुरःस्थापित करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता—

आज कोई कार्य-स्थगन प्रस्ताव नहीं है।

प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978

*श्री जगदीश (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रांतीय लघुवाद न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 पर विचार किया जाय। मैंने इस विधेयक के जरिये निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किया है :

"उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथासंशोधित प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 25 के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय।

"25 जिला जज किसी वाद से सम्बन्धित कार्यवाहियों की नियमितता अथवा किसी वाद में दी गयी डिक्री या दिये गये आदेश की शुद्धता, वैधता और औचित्य के बारे में समाधान करने के लिये या तो स्वतः अथवा ऐसी डिक्री या आदेश के दिनांक के 30 दिन के भीतर क्षुब्ध पक्ष द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्र पर उस वाद से सम्बद्ध अभिलेख मंगा सकता है और उसके सम्बन्ध में ऐसे आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे।"

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

† दिनांक 17 मई, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

मान्यवर, इस संशोधन की मंशा केवल वादकारियों को न्याय दिलाने की है और मैं समझता हूं कि सारा सदन इसका समर्थन करेगा और माननीय मंत्री जी भी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, इस संशोधन का समर्थन या विरोध करने के पूर्व इसकी पूरी पृष्ठभूमि को समझना होगा। मान्यवर,आज यह संशोधन आया है और इसके पहले प्रोविन्शियल स्माल काज कोर्ट्स ऐक्ट के तहत सेक्शन 25 में दिया गया सारा अधिकार हाईकोर्ट में निहित था। और इसीलिए चूंकि हाईकोर्ट के अन्दर अपीलों और रिवीजनों की संख्या बढ़ती जा रही थी, काफी पैंडिग कैसेज हो रहे थे इसलिये सन् 1949 में भारत सरकार ने न्यायाधीश श्री एस0 आर0 दास की अध्यक्षता में एक कमेटी बैठायी थी इस चीज की जांच करने और प्रतिवेदन देने के लिये कि हाई कोर्ट में अपील और रिवीजन के दायरे के अधिकारों पर कैसे प्रतिबन्ध लगाकर उनकी संख्या को कम किया जाय और हाईकोर्ट्स में जो पैंडिग अपीलों और रिवीजनों का अम्बार लगा रहता है उसे कैसे कम किया जाय और वादकारियों को कैसे पूरी तरह से न्याय मिल सके। इस कमेटी ने इन सारी बातों पर विचार करके यह सुझाव दिया था कि लघुवाद न्यायालयों के मामलों में उच्च न्यायालयों को धारा 25 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों को जिला जजों को ट्रांसफर कर दिया जाय। कानून की दृष्टि से पहले अपील और रिवीजन का डिफ्रेन्स समझ लेना चाहिये। अपील जब किसी न्यायालय के सामने जाती है तो अदालत को इस बात का अधिकार होता है कि कानूनी मामलों के साथ-साथ तथ्यों का भी अवलोकन करें और तब फैसला दें। लेकिन रिवीजन में जो रिवीजन की अदालत होती है उसे फैक्ट्स में इन्टर-फियर करने का अधिकार नहीं होता है। रिवीजन कोर्ट्स को जो अधिकार होता है वह सीमित होता है वह केवल जूरिस्डिक्शन के प्वाइन्ट पर अपना फैसला देती है। सन् 49 में जब पहली बार यह कमेटी बनी थी तो उसके आधार पर सेक्शन 25 के अन्तर्गत जो अधिकार उच्च न्यायालय को थे, वे जिला जजों को दे दिये गये। उसके बाद भी रुकावट आई। और इस प्रकार से इस ऐक्ट में पहला संशोधन 1957 में और दूसरा संशोधन 1966 में हुआ। जो काम करते-करते कठिनाई आई उसको देखते हुए संशोधन लाये गये।

मौजूदा सेक्शन 25 के तहत अगर कोई मामला जिला जज के सामने जाता है तो वह यह देखता है कि जो निचली अदालत है उसका क्षेत्राधिकार था फैसला देने का या नहीं लेकिन अगर तथ्यों के आधार पर वह यह महसूस करता है कि फैसला गलत हुआ है, इन सारी बातों को महसूस करने के बाद भी जिला जज को यह अधिकार नहीं है कि वह अपना फैसला दे सके। उसका नतीजा यह होता है कि कई सारे मामले जिला जज की अदालतों के रिमान्ड होकर फिर निचली अदालतों में जाते हैं। इस तरह से मान्यवर, लिटिगेशन बढ़ता रहता है और वादकारी को समय से इन्साफ नहीं मिल पाता है, लम्बे अर्से तक मुकदमे बाजी होती है और उसका फायदा धनाढ्य लोग सम्मानित जो ह, वह लेते हैं और उसका इस्तेमाल दूसरे के अधिकारों को हनन करने में करते हैं। इसलिए मान्यवर, जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया कि इस संशोधन पर विचार करते समय उस पृष्ठ भूमि को सामने रखना होगा जिस तरह से सेक्शन 25 में अधिकार हाई कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट जजेज को दिये गये। सेक्शन 25 में रिवीजन जाती थी उसके पहल अपील की स्टेज क्रास करके तब रिवीजन की हालत में वह हाई कोर्ट के सामने जाती थी लेकिन यहां अब सीधे डिस्ट्रिक्ट जज के सामने रिवीजन की स्टेज में जाता है और डिस्ट्रिक्ट जज चूंकि मामला रिविजन का होता है वह फैक्ट्स में कोई गलती हुई होती है, या फैक्ट्स के विपरीत कोई फैसला हुआ रहता है या जैसा मैंने कहा जो लीगल प्रोसीजर है उसे फौलो नहीं किया जाता है यह सारी फाइंडिग के बावजूद कि लीगेलिटी नहीं बरती गई, या फैसला लीगल नहीं है, यह फैसला तथ्यों के विपरीत है यह सारी फाइंडिग देने के बाद डिस्ट्रिक्ट जज को अधिकार नहीं होता कि वह उस फैसले को निरस्त कर अपने हिसाब से जजमेन्ट दे सके।

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

तो यह जो संशोधन इसमें है उसमें केवल इस बात की व्यवस्था की गई है कि पुराने सेक्शन 25 को हटा कर उसकी जगह पर यह नया सेक्शन जोड़ दिया जाय जिसके जरिये जिला जज को यह अधिकार दिया गया है कि अगर वह समझता है कि किसी मामले में अनियमितता हुई है या किसी बात में गलत आदेश दिये गये हैं या वह विधि के औचित्य के बारे में समाधान करना चाहता है तो वह फाइल स्वत: समन कर सकता है या कोई पक्ष क्षुब्ध है और वह रिविजन में जाता है तो उसकी प्रार्थना पर सारे अभिलेख मंगा करके स्वयं तथ्यों की विवेचना करके अपनी अदालत में फैसला दे सकता है। इस संशोधन के द्वारा यह प्राविधान किया गया है। यह बड़ा मामुली सा संशोधन है। अगर सरकार ने इसे स्वीकार किया तो इससे लिटिगेशन कम होंगे और लोगों को ज्यादा इन्साफ मिलेगा। जो आज डिस्ट्रिक्ट जज के सामने एक मजबूरी है यह समझते हुए कि फैसला गलत है, तथ्यों के विपरीत है, इल्लीगल है लेकिन चूंकि केवल उसे जूरिसडिक्शन के प्वाइन्ट पर इन्टरफियर करने का अधिकार है और मजबूरी में रिमाण्ड करता है उस कमी को इस संशोधन के जरिए दूर करने का प्रयास किया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें बहस की गुंजाइश नहीं है। जसा माननीय जगदीश मिश्र न कहा इस संशोधन को माननीय मंत्री जी को मानने में कोई असुविधा या कठिनाई नहीं होनी चाहिये। इसलिए मैं समझता हूं कि इसे सर्वसम्मति से यह सदन स्वीकार करें।

श्री विक्रमा राय (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, जैसा कि तिवारी जी ने अभी रिवीजन के तहत जो जजेज को पावर प्राप्त हैं उस पर विस्तार से प्रकाश डाला था। जिस समय यह कानून बनाया गया था उस समय समाज की परिस्थितियां इस तरह की नहीं थी। किसी भी शहर में कुछ लिमिटेड लोग थे जो किराए के मकानों में रहते थे। आज करीब-करीब हर शहर में, कम से कम कवाल टाऊंस में लाखों लोग ऐसे हैं जो किराये के मकानों में रहते हैं और बहुत से लोग इसे व्यवसाय समझ कर मकान बनवाते हैं कि उसको किराये में उठाना है। लेकिन ज्यों-ज्यों शहरों का विकास हो रहा है, आप देखेंगे कि दो-चार साल के अन्दर जहां पहले एक मकान 40, 50 रु0 में उपलब्ध होता था वह दो साल बाद जब जिले या नगर का विकास होता है चाहे औद्योगिक हो या प्रशासनिक तो वहां मकानों का किराया बहुत अधिक बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर इधर गोरखपुर व आजमगढ़ को जो वहां छोटा-मोटा उद्योग मिला—केवल गोरखपुर में एक फर्टीलाइजर फैक्टरी लगी तो वहां का किराया एक दम से दो तीन गुना बढ़ गया। 100 रु0 के मकान का किराया ढाई तीन सौ रुपया हो गया। अब वहां दो-ढाई सौ से कम में मकान नहीं मिलता है। इसलिए जो चालाक लोग हैं, वे जो कानून की पेचीदगियों को समझते हैं, वह सत्र न्यायालय में उसका उपयोग करके, अपने गरीब किरायेदारों के इन्ट्रेस्ट के विरुद्ध अपने पक्ष में फैसला करा लेते हैं। एक्जीक्यूटिव में रहने वाले लोगों का एक सामाजिक और आर्थिक स्टेट्स होता हैं, वह धनी और समाज में ऊंचा स्थान रखने वाले लोगों से प्रभावित हो जाते हैं और तदनुसार फैसला देते हैं। जज के यहां जो रिवीजन होता है, वह केवल उसकी इल्लीगेलिटी पर विचार कर सकता है तो अधीनस्थ न्यायालय ने कोई इल्लीगेलिटी किया है या नहीं और जो फैक्ट्स है, उसका विचार करने का उसे कोई अधिकार नहीं है। अत: मैं आपके माध्यम से न्याय मंत्री जी से चाहूंगा कि आज की बदली हुई परिस्थिति में साधारण आदमी को भी न्याय मिल सके, यह अधिकार जजों को भी दिया जाय, ताकि उसे न्याय आसानी से प्राप्त हो सके।

*न्याय मंत्री (श्री श्रीचन्द्र)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय विधायकों ने कहा है संशोधन के बाबत, उसमें मुझे यह कहना है कि जो रिवीजन लघुवाद न्यायालय में होते हैं, जो केसेज लघुवाद न्यायालय में होते हैं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनके पास समरी प्रोसीडिंग होती है। समरी तरीके से वह मुकदमें का फैसला करते हैं। जब रिवीजन होता है, वह इस बात में होता है कि कहीं कोई इल्लीगेलिटी तो नहीं है। यदि वह है, तो उसके कारण ही रिवीजन दायर किया जाता है और यदि उस रिवीजन में औचित्य का प्रश्न आता है, तब उस वक्त रिवीजन में पूरे फैक्ट्स भी, जिस तरह अपील में दिये जाते हैं, दिये जायेंगे और जब पूरे फैक्ट्स का रिवीजन में यह अधिकार दिया जायगा, तो उसका स्वरूप, जिस तरह अपील की होती है, उसी तरह से हो जायगा। और जब यह चीज की जाएगी, तो एक तो वहां मुकदमों की संख्या बहुत ज्यादा हो जायेगी और जिस उद्देश्य से यह रखा गया था, वह भी पूरा नहीं होगा। इसका मकसद यह था कि समरी प्रोसीडिंग के जो बयान अदालतों में दिये जाते हैं, उसको सूक्ष्म रूप से दर्ज करना। इस सम्बन्ध में कुछ किराये और बेदखली के मुकदमें होते हैं, जो जिला जज के अधिकार में होते हैं। वह 5 हजार से अधिक मूल्य के वादों को लेते हैं। सिविल जज को 5 हजार से ऊपर के वादों को लेने का अधिकार है। मुंसिफ को एक हजार के वादों के निस्तारण करने का अधिकार है। साथ ही उच्च न्यायालय मुंसिफों को दो हजार तक के मूल्य के वादों को सुनने का अधिकार दे सकते हैं। इसी तरह से मनी स्यूट्स होते हैं। सिविल जज 2 हजार के मूल्य के मुकदमें सुनने का अधिकारी है और मुंसिफों को 5 सौ रुपये के और उच्च न्यायालय के अधिकार को प्राप्त होने पर उन्हें 1 हजार मूल्य के भी मनी स्यूट्स ट्राई करने का अधिकार होता है। जब जज के यहां कोई सुनवाई होती है उसका रिवीजन का प्राविजन उच्च न्यायालय में भी दिया गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पूरे फैक्टर देखने के बाद रिवीजन में दे दिया जाय तो मुकदमों में वृद्धि होगी साथ-साथ सेक्शन 25 में दिया गया है, जजेज का रिवीजन उच्च न्यायालय में किया जा सकता है और निगरानी का प्राविजन उसमें रखा गया है। मैं यह समझता हूं कि इस संशोधन से कोई लाभ नहीं हो सकता। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस लें।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

मान्यवर, अगर आप अनुमति दे दें तो एक स्पष्टीकरण माननीय मंत्री से कर लूं। क्या यह सही नहीं है कि लघुवाद न्यायालय से जितने भी इस तरह से किरायेदारी के मुकदमे होते हैं उनमें अपील का प्राविजन नहीं है, केवल रिवीजन का प्राविधान है? क्या यह सही नहीं है कि रिवीजन में फैक्ट्स के ऊपर डिस्ट्रिक्ट जज को इन्टरफियर करने का अधिकार नहीं है। तो अपील की सुविधायें रिवीजन से नहीं मिल सकतीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय मंत्री अपीलेट अदालत की कोई आपारचुनिटी लिटिगेंट्स को प्रोवाइड करने की कृपा करेंगे? उसके बारे में क्या व्यवस्था है बतायेंगे?

श्री श्रीचन्द्र—

जैसा विधायक महोदय ने कहा है कि रिवीजन में लीगेलिटी को ही देखा जाता है। जो लघुवाद न्यायालय है, इनमें जो केसेज सुने जाते हैं, वह समरी तरीके से सुने जाते हैं। यह इस लिए किया गया कि वादों में काफी टाइम लगता था और बहुत से केसेज पेंडिंग रहते थे। इसलिए इसका समरी प्रोसीड्योर रखा गया। यह जितने भी रिवीजन हैं इनमें लीगेलिटी देखी जाती है। इसमें फैक्ट्स की बात रखी जायगी तो न्याय की दृष्टि से यह अपील मानी जाय रिवीजन नहीं माना जायगा।

श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी—

एक बात मैं और जानना चाहता हूं कि आप की आज्ञा से। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर संशोधन स्वीकार हो गया तो मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो जायगी। क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि अगर डिस्ट्रिक्ट जज को अपीलेट कोर्ट का अधिकार दिया गया तो मुकदमों की संख्या में कैसे वृद्धि होगी, इस पर प्रकाश डालेंगे?

श्री श्रीचन्द्र—

मान्यवर, इसमें अगर रिवीजन के साथ औचित्य का प्रश्न रख दिया जाय तो फैसला होने में विलम्ब होगा। पूरे फैक्ट्स में जाने की वजह से मुकदमें जल्दी निस्तारण नहीं होंगे।

श्री जगदीश मिश्र—

मान्यवर, मैंने तो, जैसा त्रिपाठी जी और राय साहब ने कहा छोटे-छोटे कस्बों में मकानों की हालत को देख कर, किरायेदार और मालिकों की दिक्कत को देखकर, बड़े-बड़े शहरों में और छोटे-छोटे कस्बों में दिक्कत को देख कर मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं शासक दल का हूं। जैसा कि मंत्री जी ने कहा है कि मुकदमें बढ़ जायेंगे, कैसे बढ़ेंगे? रिवीजन होगा तब भी उतने रहेंगे और अपील होगी तो भी उतने जायेंगे। बढ़ते तो किसी मामले में नहीं। लघु न्यायालय में समरी प्रोसीजर दिये हुए हैं। हम चाहते हैं कि जो सरसरी तौर पर लघु न्यायालय में लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है, उसका अधिकार मात्र आप दूसरे जज को दे दें कि वह सारे फैक्ट्स पर विचार करें और फैसला दे, जैसा कि मैंने अपने उद्देश्यों में कहा है कि मकान मालिक और किरायेदारों का झगड़ा लघुवाद न्यायालय तय करता है। प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (ऐक्ट 9, 1887) की धारा 25 के अन्तर्गत लघुवाद न्याय लय द्वारा पारित आदेश एवं डिक्रियों के विरुद्ध केवल पुनरीक्षण हो सकता है और वह जिला जज के यहां होता है। मकान मालिक और किरायेदार के बीच में राज्य में सबसे अधिक मुकदमे दीवानी में चल रहे हैं और शहरों में आवास का मसला काफी गंभीर है। लघुवाद न्यायालय जो आदेश या डिक्री देता है उसके विरुद्ध जैसा ऊपर कहा गया है केवल पुनरीक्षण का प्राविधान है और उसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। पुनरीक्षण में केवल क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि देखी जा सकती है। बहुत ऐसे मामले होते हैं जिनमें लघुवाद न्यायालय द्वारा पारित आदेश व डिक्री तथ्य और कानून के विपरीत होती है परन्तु इसकी कोई अपील नहीं की जा सकती। इस कारण जिला जज, जो पुनरीक्षण न्यायालय है तथ्य और वैधता सम्बन्धी त्रुटियां नहीं देख सकता। इन प्राविधानों से लघुवाद न्यायालय का फैसला लगभग अन्तिम हो जाता है इस त्रुटि को दूर करने के लिए यह संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि जिला जज न केवल यह देखे कि लघुवाद न्यायालय द्वारा किए गये कोई आदेश या दी गयी कोई डिक्री विधि के अनुकूल है अपितु यह भी देखे कि जो कार्यवाहियां हुई हैं वे नियमित हैं और डिक्री या आदेश पारित हुये हों वे सही, वैध और उचित भी हैं। तदनुसार यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी ख्याल से मैंने इसको रखा है और मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इसको स्वीकार करें।

श्री श्रीचन्द्र—

मान्यवर, मैंने पहले भी निवेदन कर दिया है कि रिवीजन की जो बात है उसमें इस तरह की बात लाने से मुकदमों की संख्या बढ़ेगी और विलम्ब भी होगा क्योंकि वे फैक्ट्स में जायेगी। समरी प्रोसीजर में जो एवीडेन्स आती है, उसको देख लिया जाता है। सिर्फ ला का कोई पाइंट हो तो उस पर रिवीजन हो सकता है। इससे मुकदमों की संख्या में वृद्धि होगी। इसीलिए मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य इसको वापस ले लेंगे।

श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़—)

मान्यवर, अगर रिवीजन की पावर दे दी जायेगी, तो मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो जावेगी। जितने मुकदमें रिवीजन कोर्ट में होंगे उतने ही तो अपेलेट कोर्ट में जायेंगे। मंत्री जी ने कहा कि अपील की पावर देने से मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो जायेगी। यह चीज मेरी समझ में नहीं आयी।

श्री श्रीचन्द्र—

इसमें संख्या के अलावा समय भी लगेगा और विलम्ब भी होगा मुकदमों का निर्णय होने में।

श्री जगदीश—

अब मंत्री जी ने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इसको वापस लेने की अनुमति दें।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक 1978 को वापस लेने की अनुमति दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता---

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

(माननीय सदस्य के अनुपस्थित होने पर मद संख्या 38 ली गई।)

उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 1979

न्याय मंत्री (श्री श्रीचन्द्र)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 1979 जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, फौजदारी के बहुत से छोटे-छोटे मामले होते हैं जो बहुत अधिक संख्या में हैं और जिन पर निर्णय नहीं हो पाते हैं और उनका जो सुनने का प्रोसीजर है, उसमें भी बहुत सी कठिनाइयां होती हैं और लोगों को बहुत सी परेशानी होती है। उनमें जुर्माना तक दे देने के बाद भी बहुत तारीखें पड़ती हैं जिनके कारण साधारण जनता को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है और बाद में निर्णय में जुर्माना देना पड़ता है। इस तरह से बहुत से अपराधों के वादों की संख्या बढ़ी हुई है। अतः उनको निपटाने के लिये इसमें कुछ संशोधन किए गए हैं और यह विधेयक भी विधान परिषद् द्वारा पास हो चुका है। जैसे कि मोटर विहिकिल्स ऐक्ट में कुछ धाराओं में संशोधन कर दिये गये हैं, कि जो मुकदमें चार्ज शीट पेश करने से पहले या चार्जशीट के बाद जो मुकदमें पेश होंगे उनमें यदि अभियुक्त पर जुर्माना होगा तो कम्पौंउडिंग फीस के लिये तय किया गया है और उसके बाद अगर अपराधी ने रुपया जमा कर दिया चार्जशीट पेश होने से पहले या उसके बाद तो उसको बरी कर दिया जायगा और साथ ही साथ अगर वह कस्टडी में हो तो उसको मुक्त कर दिया जायगा। कुछ धारायें मोटर विहिकिल्स ऐक्ट में जो संगीन टाइप की हैं, उनको छोड़कर उसमें 121 (अ) (1), को छोड़दिया गया है और धारा 116, 117, 118, और 132 को छोड़कर सभी में यह प्राविधान कर दिया गया है। उसी तरह से यह मजदूरी अधिनियम में भी संशोधन कर दिया गया है। जिसने पहली बार जुर्म किया हो और जिसमें सजा जुर्माने की हो तो उसके लिये यह कर दिया गया है कि वह चार्जशीट पेश होने से पहले और चार्जशीट के बाद भी कम्पौंडिंग फी उस पर चार्ज की जा सकती है जिसमें सिर्फ जुर्माना ही हो। इस अधिनियम में भी यह संशोधन कर दिया गया है।

कारखाना अधिनियम में भी इसी प्रकार की बात कर दी गयी है। पहली बार ओफेन्स हो और दंड जुर्माने का हो तो चार्जशीट से पहले और उसके बाद में उसको कम्पाउन्ड कर दिया जायेगा। इसी तरह से पुलिस अधिनियम में भी यही प्रोसीजर रख दिया गया है कि वह चार्ज शीट से पहले और उसके बाद में भी जो जुर्माना हो सकता है उसको कम्पौउन्ड कर दिया जायगा और उसको कम्पौउन्ड फीस मान ली जायेगी और उसके साथ पब्लिक गेम्बलिंग ऐक्ट में भी जो जुर्माने तक की जो सजा होगी, उसमें भी यह प्रोसीजर कर दिया गया है कि चार्ज शीट से पहले और चार्ज शीट के बाद में उससे कम्पौन्डिंग फीस चार्ज कर ली जायगी।

इसी तरह से उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम में भी संशोधन कर दिये गये हैं। दूकान दार से संबंधित दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम में भी इसी तरह से सुविधा प्रदान कर दी गयी है। अगर कोई एरेस्ट होगी तो उसे मुक्त कर दिया जायेगा। जो

[श्री श्रीचन्द्र]

हल्के नेचर के सूट्स होंगे जिनकी संख्या बहुत काफी होगी, उनको भी कम करने के लिये संशोधन किया गया है। मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट और गैंबिलिंग ऐक्ट में भी संशोधन कर सुविधा दी गयी है। पुलिस अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 107 व 109 के अधीन जो कार्यवाही हो रही है तथा जो मुकदमें उसके अन्तर्गत पेन्डिंग हैं और जो ढाई साल पुराने हो गये हैं अर्थात् 1 जनवरी, 1977 से पूर्व के हैं उनको एबेट मान लिया जायेगा। ऐसे मुकदमों की संख्या करीब ढाई लाख की होगी। इसी तरह और छोटे-छोटे मुकदमों में जिनमें अदालतों का समय नष्ट होता है और जनता का पैसा भी काफी खर्च होता है उससे संबंधित कानून में संशोधन कर राहत दी गयी है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें और अपने सुझाव दें। उत्तर मैं बाद को दूंगा।

*श्री देवकुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दन्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 1979, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, आज मैं इसको देख कर हैरत में हूं क्योंकि प्रदेश में आज उत्तरोत्तर अपराधों में वृद्धि हो रही है और सामाजिक जीवन दिन पर दिन खतरे में पड़ता जा रहा है और किसी की भी जानमाल की हिफाजत नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में इस प्रदेश के लाखों अपराधों में छूट देकर करोड़ों जनता की जिन्दगी से खिलवाड़ करना कहां तक उचित है ?

राज्य का जब जन्म होता है तो उसका पहला दायित्व होता है विदेशियों के हमले से रक्षा करना, दूसरा दायित्व होता है समाज के अन्दर नागरिकों के जानमाल की हिफाजत करना और इसी दायित्व को निभाने के लिये जनता सरकार को टैक्स देती है। यह सही है कि न्यायालयों में लाखों की तादाद में जो मुकदमें विचाराधीन हैं उनके संबंध में यहां चर्चा होती रही है। पिछले वर्ष माननीय न्याय मंत्री ने अपने बजट भाषण में उल्लेख किया था कि इस प्रदेश में लगभग 5 लाख मुकदमें हाईकोर्ट से लेकर नीचे तक की अदालतों में विचाराधीन हैं।

लेकिन इन मुकदमों के समाप्त करने का उपाय यह नहीं है जो इस अधिनियम के जरिये माननीय मंत्री जी निकालना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि अदालतों का विस्तार किया जाये, नये-नये मजिस्ट्रेट और न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाय। सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाया जाय। लेकिन मान्यवर, यह सब कुछ न करके यह विधेयक माननीय मंत्री जी पेश कर रहे हैं। जो अपराधी है उनको इसलिए छोड़ दिया जाय कि वह मुकदमा ढाई साल के अन्दर निर्णीत नहीं कर सके। जिस समाज में अपराधों को रोकने का प्रभावशाली दण्ड नहीं दिया जाता है अपराध वहां लाभदायक उद्योग बन जाते हैं।

माननीय मंत्री जी ने कुछ कम्पाउन्डेबुल अफेंसेज की चर्चा की। उन्होंने कहा कि उनसे कम्पाउंडिंग फीस ले ली जायगी और उनको बरी कर दिया जायगा। आप बहुत से टैक्स लगाते है, क्या आप अपराध की भी इंडस्ट्री खोल कर अपराध बढ़ाना चाहते है और इतनी गैर जिम्मेदारी के साथ यह कहते हैं कि अदालतों का काम कम हो जायगा। लेकिन लोगों की जिन्दगी साफ हो जायगी। इसलिए मान्यवर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं। जिस प्रकार से यह विधेयक लाया गया है और जो सदन के सामने माननीय मंत्री जी ने उनका उल्लेख किया है, यह बहुत चिन्ताजनक बात है। कुछ ऐसे कार्य हैं, सामाजिक अपराध हैं, जिनकी गम्भीरता को माननीय मंत्री जी नहीं महसूस करते हैं। जुआ खेलने के अधिनियम का भी उल्लेख किया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया। अब जुआ खेलना कितना बड़ा सामाजिक अपराध है। महाभारत से लेकर न जाने कितने लोग बरबाद हो गये और ऐसे 160 धारा को भी आप छूट दे रहे हैं। गुन्डे और असामाजिक तत्वों को पुलिस ने कितने जमाने में बन्द किया और बन्द करती है। इस प्रकार से इस अधिनियम को लाने और अपराधियों को अपराध करने के लिये सहूलियत देंगे, जैसा कि मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया कि आपकी खर्च में कमी हो सकती है, अदालतों में सहूलियत हो सकती है। आपकी अदालतों से फाइलें हट जायंगी, लेकिन ऐसे आदमियों में सामाजिक असुरक्षा की भावना पैदा होगी।जो नये-नये अपराधी पैदा हो रहे हैं वह सब जानते हैं कि किस अपराध में कितनी सजा है। ट्रेन्स में गोलियां चलती हैं, दिन दहाड़े खुली सड़कों पर लूट होती है। इस राजधानी में न जाने कितने लोगों की लूट होती है। तो आप यह चाहते हैं कि अपराधों की बढ़ोत्तरी हो जाय और वह आपको फीस देकर थाने से ही छूट जाय। इस तरह से अपराधियों के मन में इस प्रकार की भावना और प्रवृत्ति पैदा होगी। ऐसे अपराधों में पुलिस किसी को पकड़ लायेगी और भारी तादाद में भ्रष्टाचार फैलाकर मनमाने ढंग से छोड़ देगी, तो इस तरह से जो भी परिणाम निकलेंगे,वह हमारे देश के लिए बहुत ही भयानक होंगे।

इसमें आप कई अधिनियमों को एक तरफ से संशोधित कर रहे हैं। न्यूनतम मजदूरी भी इसमें, यहां की जनता को मजदूरी दिलाने के लिए भी मुकदमें चलते हैं। कितने लाख मजदूरों की मजदूरी मारी जायेगी। एक तरफ गरीबों, हरिजनों की सुरक्षा की बात करते हैं लकिन इस अधिनियम के जरिये कितने लाख लोगों का हित हो जायेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता लेकिन मैं पूरी शक्ति के साथ इस विधेयक का विरोध करता हूं और आग्रह करता हूं कि सदन इसको पारित न करके प्रवर समिति को सुपुर्द करे और मंत्री जी विचार करें कि इसे पेश करना चाहिये या नहीं। मुझे उम्मीद है इसे सदन पारित नहीं करेगा।

*श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय न्याय मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है, देव कुमार जी ने संशोधन रखा कि यह प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाये, मै दो शब्द कहना चाहता हूं। उद्देश्य और कारण देखें, क्यों आवश्यकता पड़ी इसको लाने की--राज्य के छोटे-मोटे अपराधों से संबंधित फौजदारी के लम्बित मुकदमों की बहुलता के कारण न्यायालयों का बहुत अधिक समय इन छोटे-मोटे मामलों के निपटारे में लग जाता है, फलस्वरूप गम्भीर अपराधों के मामलों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः यह उचित समझा गया कि कतिपय छोटे-मोटे अपराधों के मामलों को, चाहे न्यायालय में जाने के पूर्व या पश्चात्, अर्थ दण्ड देकर शमन करने का प्राविधान कर दिया जाय और कुछ ऐसे मोटे-मोटे अपराधों के मामलों जो 2 वर्षों से अधिक अवधि से लम्बित चले आ रहे हैं उन्हें विधिक प्राविधान करके उप शमित कर दिया जाये।

यह संशोधन विधेयक हमको पुनः असभ्य समाज में ले जा रहा है। जब जंगल का कानून था देश और प्रदेश में। बिना न्यायालय, बिना गवाह, बिना अधिवक्ता को सुने पैसा लेकर दण्ड के रूप में कम्पाउन्ड कर दिया जायेगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात कहते हैं जिससे न्याय शत प्रतिशत उपलब्ध हो। अपराधी दण्डित हो चाहे अर्थ दण्ड देकर या जेल जाकर लेकिन जो वादी है उसके साथ भी न्याय हो सके, यह तभी होगा जब उसकी सुनवायी होगी। न्यायालय में जाकर पैसा देकर वह अबेट हो सकता है तो पुलिस वाले किसी को भी पकड़ेंगे और पैसा जमा कर देंगे यह नहीं देखेंगे कि कितने लोगों को गलत भेजा। न्यायालय बढ़ाये जायें, यह चर्चा इस सदन में हुई। अधिवक्ताओं, मुंसिफों की संख्या बढ़ायी जाये जिससे 6 माह या एक साल के अधिक किसी केस के निर्णय में न लगे। आज जो छोटे-छोटे मामले हैं उनको बिना अदालत में गये दण्ड स्वरूप पैसा लेकर समाप्त कर दिया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देव बहादुर सिंह]

ठीक वही स्थिति माननीय मंत्री जी यह विधेयक लाकर स्थापित करना चाहते हैं। इसलिये श्री देव कुमार जी ने जो संशोधन रखा है, इसके गुण दोष पर विचार कर लें। इस विधेयक को पारित करने के पश्चात् हमारे समक्ष व्यवस्था बढ़ेगी या अव्यवस्था बढ़ेगी? अपराध को हम बढ़ायगे या कम करेंगे? यह मुख्य विषय है। माननीय मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि वह इस संशोधन को मान लें उसके बाद प्रवर समिति में विचार करेंगे। जिस उद्देश्य से यह संशोधन विधेयक इस सदन में लाया गया है उसकी पूर्ति नहीं होगी, अपराध बढ़ेंगे। 10 रु0 देकर 20 रु0 देकर अपराधी छूट जायेंगे। मैं यह चाहता हूं कि जो संशोधन है देव कुमार जी का उसके प्रवर समिति में जाने की बात, वह मान लें तब उसके गुण और दोष के आधार निर्णय लेंगे।

*श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव (जिला गोरखपुर)—

माननीय न्याय मंत्री जी ने यह जो विधेयक प्रस्तुत किया है, वह वास्तव में स्वागत योग्य है। इस विधेयक से निश्चित रूप से जो विवाद न्यायालयों में लम्बित चल रहे हैं उनकी संख्या कम होगी। माननीय देव कुमार जी ने जो यह शंका उठाई है कि जो अपराधों को शमन करने का उद्देश्य है, उनको अवेट करने का प्राविधान अगर कर दिया जायेगा तो अपराध कम नहीं होंगे, बढ़ जायेंगे। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इससे पहले भी बहुत से ऐसे अधिनियम है जिनमें कम्पाउंडिंग की व्यवस्था रखी गयी। जैसा कि स्वयं आई0 पी0 सी0 में जो कि अपराध का एक मुख्य अधिनियम है उसमें विभिन्न प्रकार के अपराध परिभाषित किये गये हैं उसमें भी बहुत से अपराध ऐसे हैं जिनमें शमन करने का प्राविधान है। यहां तक कि 250 रुपये तक के मूल्य की चोरी का अपराध भी शमन योग्य रखा गया है। इसलिये जो शमन का प्राविधान रखा जा रहा है इससे वास्तव में लोगों को राहत मिलेगी और जो विवाद न्यायालयों में लम्बित हैं वह भी कम होंगे। लेकिन माननीय मंत्री जी का ध्यान इस विधेयक की त्रुटियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें कुछ और भी छोटे-छोटे ऐसे अधिनियम हैं जिनकी ओर ध्यान नहीं दिया गया हैं, उनको भी माननीय मंत्री जी ध्यान में रखें। जैसे कि एक अधिनियम है बांट और माप अधिनियम। इस अधिनियम के अन्तर्गत बहुत से मुकदमें ऐसे भी न्यायालयों में भेजे जाते है। जैसे कोई सब्जी बेचने वाला है, फल आदि बेंचने वाला है, इस तरह का कोई बाजार में आया और अगर उसका बांट और माप पुराना है, उसने नई मोहर नहीं लगवाया हैं तो उसका चालान होता है। यह ऐसा अधिनियम है जिसमें इन सब चीजों को मिलाना चाहिये था। इसी प्रकार से आबकारी अधिनियम है जिसमें छोटे-छोटे मुकदमें न्यायालयों में आते हैं और मुकदमों में 50 और 100 रुपये जुर्माना होता है और अपराधी घर चला जाता है। ऐसे मामलों में कम्पाउंडिंग की व्यवस्था होनी चाहिये। आबकारी विभाग के ऐसे मामलों की भी कम्पाउंडिंग होनी चाहिये।

एक और अधिनियम श्रीमन्, जो आई0पी0सी0 है उसके अंदर 147 आई0पी0सी0 की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बहुत से ऐसे मुकदमें 147 आई0पी0सी0 के न्यायालयों में लंबित चल रहे हैं। जहां इस्तगासा है और पुलिस द्वारा दाखिल किये गये हैं। ऐसे मुकदमों में सुलहनामा दाखिल नहीं हो पाता क्योंकि 147 की धारा शमनयोग्य नहीं है। मैं मंत्री जी स निवेदन करूंगा कि आई0पी0सी0 की 147 धारा को शमन योग्य बनाया जाय तो बहुत से मुकदमें कम हो जायेंगे। मैं इस विधेयक के उद्देश्य और कारण के पैरा 3 के (ख) की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। "सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के अधीन अपराध (सार्वजनिक जुआ घर और सट्टा से संबंधित अपराधों को छोडकर)", यह रखा गया है मगर जो उपशमित किये जाने का प्राविधान है उसमें देखेंगे कि विधेयक की धारा 9, (क) (दो) "सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के, जो उक्त अधिनियम की धारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

3 के अधीन दंडनीय अपराध या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन दंडनीय पंद्यम के संबंध में अपराध हो।") मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी धारा 13 को शामिल नहीं किया जाना चाहिये था। धारा 13 जो है, वह बहुत मामूली किस्म का अपराध है। धारा 13 में अधिकतम 250 रुपये और न्यूयतम 50 मे 0 के जुर्माने का प्राविधान है। इसलिये धारा 13 को हटा दिया जाय और धारा 4 जो जुआ घर से संबंधित है उसमें प्राविधान है कि द्यूतघर में पाया जाय, जुआ खेलने के मंतव्य से तो उसको दंडित किये जाने का प्राविधान है। तो धारा 13 के स्थान पर अगर धारा 4 को रखा जाता तो अधिक उचित होता। इसी प्रकार से धारा 14 (क) के अनुसार अपराध शमन योग्य बनाया जा रहा है, मैं विनम्रता से निवेदन करूंगा कि यह उचित नहीं होगा क्योंकि धारा 3 और धारा 4 यह दोनों धाराये गैंबलिंग ऐक्ट की ऐसी है कि जिसमें गेमिंग हाउस के बारे में प्राविधान किया गया है। गेमिंग हाउस के बारे में मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि एसे बहुत से जुआ घर बड़े शहरों में चलते हैं जहां पर लाखों का वारा-न्यारा होता है। तो धारा 3 और 4 को अगर शमन योग्य बना देंगे। तो इससे वास्तव में जैसा देवकुमार जी ने कहा वैसा हो सकता है। इसलिये धारा 3 और 4 कतई शमन योग्य नहीं बनायी जानी चाहिय।

अन्त में एक शब्द और कहना चाहता हूं। इस विधेयक की धारा 9 में जो दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107 या धारा 109 का जो अबेट करने का प्राविधान किया गया है वह अनावश्यक है। जाब्ता फौजदारी में इस बात का प्राविधान है कि अगर 107 या 109 के अन्दर 6 महीने के अंदर फैसला नहीं हो गया तो अपने आप वह समाप्त हो जायेंगे। इसलिये इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी कि इसमें प्राविधान रखा जाता। अन्त में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 1 जनवरी, 1977 के पहले के मुकदमों को अबट करने का प्राविधान रखा गया है लेकिन 1 जनवरी, 77 के बाद जो मुकदमें दाखिल हैं उसमें भी उतना समय हो रहा है तो उनका क्या होगा। इसलिये बजाय कोई तारीख रखने के एक या दो साल रखना चाहिए था। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री जी मैंने जो सुझाव दिये हैं उनकी ओर ध्यान देंगे।

*श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहांपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि माननीय न्याय मंत्री जी जो यह संशोधन लाये हैं उसका मुख्य मकसद यह है कि मुकदमों की बहुल्यता हो रही है, समय कम है, इसलिए मुकदमें इस तरह समाप्त कर दिये जायें। श्री देवकुमार जी ने जो मुकदमों के सिलसिले में कहा है उसके विपरीत मुझे कहना है कि जिन मुल्जिमों को छोड़ने की बात कह रहे है उन पर आपने दंड निर्धारित कर दिया है या वह केसेस अबेट हो जायेंगे लेकिन दंड पाने के पहले अदालत के अन्दर जो व्यक्ति अपने को कह सकता था कि मैं बेकसूर हूं, वह यह कर छूट सकते थे, लेकिन मान्यवर, आप जानते होंगे कि दफा 107/117, दफा 109 दफा 160 में सारे मुकदमें पुलिस विभाग इसलिये रखाता है कि मुल्जिमो को गलत पकड़ कर भी बन्द किया जा सके। तो ऐसे लोगों को जब गलत बन्द करते हं इस संशोधन के द्वारा उन लोगो को आप अधर में छोड़ देते हैं और वह जीवन भर के लिए दोषी करार हो जायेंगे या वह अबेट हो जायेंगे या वह दंडित कर दिये जायेंगे। मान्यवर, मेरा कहना है कि सिर्फ एक तारीख लगा दिया—1 जनवरी, 1977 और 1 जनवरी के बाद कोई मुकदमा है तो उसमें मुल्जिम को अधिकार है कि अदालत में सबूत दे, अपने को निर्दोष साबित कर सके। लेकिन 1 जनवरी, 1977 के पहले का यदि मुल्जिम है तो वह हमेशा जीवन भर के लिए दोषी बन जायेगा। इसलिए एक तारीख विशेष लगाकर प्राविधान बनाना उचित नही है। यदि मुकदमें बहुत हैं और आपके पास अदालतें कम हैं तो समरी प्रोसीडिंग्स का प्रोसीजर अपनायें जिसमें गवाहों की आवश्यकता नही होती है। आप एक योजनाबद्ध तरीके से कम से कम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्यपाल सिंह यादव---]

समय में निर्णय करने का संशोधन आपको लाना चाहिए था न कि किसी को सफाई का मौका न देने का प्राविधान करना था। मान्यवर, सी0आर0पी0सी के अन्तर्गत दिया गया है कि किसी मुल्जिम को 6 महीने से अधिक हो जायेगा और सहादत के 6 महीने हो जायेंगे और प्रासीक्यूशन की तरफ से अगर सहादत नहीं लायी जाती है तो वह मुकदमा स्वत: समाप्त हो जायेगा। इस लिये मैं समझता हूं कि इसमें भी कुछ समय की अवधि दी जानी चाहिए या किसी मुल्जिम का मुकदमा एक या दो साल पुराना हो जाता है तो वह मुकदमा स्वत: समाप्त समझा जायेगा, इसलिये आपको 1 जनवरी, 1977 तारीख नहीं देना चाहिए था। यह देकर आपकी जो मंशा है कि केसेस की बहुल्यता कम हो जाय तो वह मंशा आपकी पूरी नहीं हो पायेगी। इसलिये एक या दो साल की अवधि लगाते तो कम मुकदमें होतें लेकिन इससे मुल्जिम को निर्दोष साबित करने का मौका न देने का प्राविधान जागरुक न्याय मंत्री जी को नही करना चाहिए था और इसक बजाय आप को करना चाहिए था समरी प्रोसीडिंग संक्षेप में निर्णय करने का तरीका जिससे कि जल्दी से जल्दी निर्णय करने के विषय में कदम उठाये जा सके। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)--

न्याय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। माननीय देवकुमार जी को याद दिलाना चाहता हूं कि तस्करी का कोई कानून नहीं है। करोड़ों का सामान तस्कर लाते हैं, उनकी वजह से देश की अर्थ व्यवस्था तहस नहस हो रही है लेकिन आज तक कोई तस्कर नही पकड़ा गया, कोई मुकदमा इस देश में उस के खिलाफ नहीं चल पाया। हमारे प्रदेश में पुलिस एक पखवाड़ा मनाती है कि अपराध नही होंगे, अपराध बंद करेंगे। उस पखवाड़े में 109, 107, 160 में माइनर आफेन्सेज में बड़ी संख्या में निर्दोष लोगों को बंद कर देंगे। एस0पी0 का निर्देश होता है कि अमुक धारा में पिछले साल के पखवाड़े में जो बंद किये गये थे उनसे अधिक संख्या होनी चाहिए। होता यह है कि ऐसी स्थिति में पुलिस भी निर्दोष लोगों को, रास्ते चलते लोगों को, बंद कर देती है। उनका कोई अपराध नहीं होता दो, तीन साल मुकदमा लड़ने पर उनकी जेब खाली हो जाती है और वे अपराधी न होते हुए भी अपराध की तरफ उनकी दृष्टि जाती है कि इस मुकदमें के खर्च को कहां से वहन करें जरूर कुछ न कुछ करना चाहिये जिससे कि मुकदमें से बचा जा सके।

माननीय मंत्री जी जो विधेयक लाये हैं इसके जरिये जो ढाई लाख मुकदमें हमारे अदालतों में पड़े हैं जिनका कोई निपटारा नहीं हो रहा था रोजाना तारीख लगती थी लोग अदालत में आते और शाम घर जाते थे, जिस कारण काफी धन लगता था उनकी सारी अर्थ-व्यवस्था तहस नहस हो रही थी। इनको कम्पाउन्डेवल कर के एक स्थिति पैदा हो जायेगी जिससे ये मुकदमें खत्म हो जायेंगे और जो हानियस आफेन्सेज थे जिन मुकदमों का डिसपोजल नहीं हो पाता था, उनकी तरफ हमारे न्यायाधीशों का और पुलिस इन्सपेक्टरों का ध्यान जायगा। हमारे पुलिस इन्सपेक्टरों का ध्यान इन ढाई लाख मुकदमों की पैरवी में जाया करता था उनसे ध्यान हटकर अब उनका ध्यान जो हीनियस आफेन्सेज हैं, उनकी तरफ जायगा। इस प्रदेश में बड़ी राहत पुलिस को मिलेगी, अदालतों को मिलेगी, शांति व्यवस्था की तरफ ध्यान जायगा, अपराधों को रोकने के लिये पुलिस को समय मिलेगा और इससे नई जागृति आयेगी।

मैं माननीय देवकुमार जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में एक पेन्सिल चोरी करने पर, रास्ते में तू-तू, मैं-मैं करने पर मुकदमा दो साल, ढाई साल तक चलता रहे तो उसकी जेब खाली हो जाती है और एक तस्कर बम्बई से हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़े, तहस-नहस करे या एक बड़ा व्यापारी हो जो केवल तस्करी का काम करता हो उसका कोई अपराध, कोई जुर्म ही न हो, उसके खिलाफ मुकदमा ही न चले। एक आदमी सिर्फ इसलिए सजा पाये कि उसकी पुलिस वाले से कोई रंजिश थी।

इस दृष्टि से माननीय मंत्री जी जो यह बिल लाये हैं सामाजिक बुराइयां कम करने, पुलिस में भार कम करने और पुलिस का ध्यान हीनिस आफेयन्सेज की तफतीश की ओर दिलाने के लिए इससे सही माने में बुराइयों पर रोक लगेगी और अमन चैन की तरफ लोगों का ध्यान जायेगा। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री देव कुमार—

मान्यवर, मैं उन माननीय सदस्यों का बहुत अभारी हूं जिन्होंने इस संशोधन पर अपने मूल्यवान सुझाव दिये। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यह विधेयक जिस रूप में माननीय मंत्री द्वारा लाया गया वह पूर्ण नहीं है और इसी रूप में इसका पारित किया जाना प्रदेश की जनता के हित में नहीं होगा। मुझे माननीय वर्मा जी के इस वक्तव्य पर बड़ी हैरत हुई की मुकदमों के राइट आफ करने से अमन चैन बढ़ेगा। यह हकीकत है कि जनता ने बहुत बड़ी तादात में आपको चुना है और जो भी विधेयक आप चाहेंगे पारित करा लेंगे लेकिन आप से भी ज्यादा सशक्त तादात में कुछ लोग चुनकर आये थे और उन्होंने किसीकी सुनना पसन्द नही किया उससे देश में जो स्थिति पैदा हुई उसका नतीजा आप जानते हैं और उसी का परिणाम है कि आज आप वहां बैठे हैं। जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, न्याय के संबंध में कहा जाता था—जस्टिस हरीड जस्टिस इज बरीड। न्याय करने वाले ने जल्दी से सुनवाई कर ली तो जस्टिस को दफना दिया गया है। अब तो वह भी होने वाला नही है।

एक प्राविधान की तरफ माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं। अब आप थानों मे मुकदमा निपटा देंगे। इससे निश्चित रूप से थानों में भ्रष्टाचार की बाढ़ जायेगी और उसमें यहां के नौजवान नागरिक डूब जायेंगे और इसके बाद निश्चित रूप से आप इन प्राविधानों को बदलने के लिए मजबूर होंगे। माननीय सत्यपाल ने एक समस्या की ओर इंगित किया है। ऐसे भी मुकदमें होते हैं जिनको पुलिस अपनी कारगुजारी से बना देती है तमाम होनहार नौजवान छात्रों से पुलिस नाराज हो जाती है और उनको किसी न किसी दशा में रख देती है जैसे दफा 13 में जो मारेल टर्पिट्यूड में आता है। वह अनैतिक अपराध है। अगर किसी अनैतिक अपराध में कोई दंडित हो जाय तो उसको सरकारी नौकरी नही मिलेगी और वह किसी चुनाव में चाहे वह गांव सभा का हो या असेम्बली का हो, उसमें खड़ा नही हो सकता है और आप उसको जुर्माना करके दन्डित कर देंगे। अदालत के समक्ष जाने के पश्चात् अगर किसी व्यक्ति को निर्दोष साबित करने का हुक अगर आप ले लेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे उसका जीवन खतरे में पड़ जायेगा। अतः मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के हित में, समाज के हित में, जिस रूप में यह विधेयक आया है उसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और फिर आप अगस्त में बैठने वाले हैं, 2–3 महीने में कोई मजबूरी नही आने वाली है। मैं समझता हूं कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने के लिए इस विधेयक को प्रवर समिति में भेज दें। जो आपकी मंशा है उससे मैं सहमत हूं कि अदालतों में बहुत बड़ी तादात में मुकदमें पड़े रहते हैं लेकिन उनको राइट आफ कर देने से अपराध कम नहीं हो जायेंगे, मैं समझता हूं कि वे बढ़ेंगे। इस तरह से इनको समाप्त करके अपराधों को रोकने का तरीका ठीक नहीं है। इसलिए मैं मंत्री जी से पूरी तरह से निवेदन करूंगा कि वे जनहित में इस संशोधन को स्वीकार करें और इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करें ताकि पूर्णरूप से संशोधित रूप यहां पर आये और तब वह जनहित में पारित किया जाये। मैं पुनः मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वे इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

श्री श्रीचन्द—

मान्यवर, मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि जो मुकदमें साधारण प्रकृति के हैं जिनमें जुर्माना किया जाता है और वह भी तब कम्पाउन्ड होंगे जब कोई व्यक्ति अपने को निर्दोष समझे तब वह मुकदमा लड़ सकता है। दूसरे एक माननीय सदस्य ने कहा कि जितनी भी कम्पाउन्डिग फीस ली जायेगी और वह अपराधी भी घोषित कर दिये जायेंगे तो इस संबंध में

[श्री श्रीचन्द्र]

कहना चाहता हूं कि अगर वह विधेयक को देखे तो उसमें यह है कि जो चार्ज शीट दाखिल होने से पहले या बाद में

(इस समय 3 बजकर 28 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

जो कंपाउन्डिग फीस चार्ज की जायगी वह इक्विटल मानी जायगी। इस तरह से 107 और 109 के जो केसेज पैंडिग हैं उनका भी निपटारा हो जायगा। साथ ही साथ यह भी है कि कम्पाउन्ड होना अनिवार्य नहीं है। यदि फैक्ट्स गम्भीर हों तो वह मुकदमा भी चलाया जा सकता है जिसमें सजा और फाइन दोनों हों। जैसा हमारे मोटर हवीकिल्स ऐक्ट की धारा 116 में है, खतरनाक गाड़ी चलाने में जुर्म भी है और सजा भी है इसी तरह से 117 में है कि नशे में गाड़ी चलाने में 3 महीने की सजा और जुर्माना दोनों हैं। इसमें सीरियस नेचर के मुकदमें नहीं लिये गये हैं छोटे मुकदमों को ही किया जाता है। उन मुकदमों के सिलसिले में है। मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने संशोधनों को वापस ले लें।

श्री उपाध्यक्ष--

(श्री देव कुमार से) क्या आप अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री देव कुमार--

मैं माननीय मंत्री जी की राय से सहमत नहीं हूं इसलिए वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन (संशोधन) विधेयक, 1979, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो तीन माह के अंदर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 1979, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 9, खंड 1 प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 1979

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

कतिपय अपराधों का शमन और कतिपय दंड विचारण का उपशमन करने का उपबन्ध करने के उद्देश्य से मोटर यान अधिनियम, 1939, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, कारखाना अधिनियम, 1948, पुलिस अधिनियम, 1861 और सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 का (उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में) और उत्तर प्रदेश नगरमहापालिका अधिनियम, 1959 और उत्तर प्रदेश दूकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 का अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और विस्तार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 4 सन् 1939 में नई धारा 131—ख का बढ़ाया जाना

2—मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 131-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्—

अपराधों का शमन

"131—ख (1) इस अध्याय (धारा 116, 117, 118-क, 123 और 123-क को छोड़कर) के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन, चाहे अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, किसी ऐसे आफिसर द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त करे, अपराध के लिए नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा।

(2) जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(i) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।"

अधिनियम संख्या 11 सन् 1948 में नई धारा 22—गग का बढ़ाया जाना

3—न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 में, धारा 22-ग के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

अपराधों का शमन

"22-गग—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का, जो केवल जुर्माने से दण्डनीय हो और जो पहली बार किया गया हो, शमन, चाहे अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, किसी ऐसे आफिसर द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त करे, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अपराध के लिये नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा और जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(i) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।"

अधिनियम संख्या 63 सन् 1948 में नई धारा 106–क का बढ़ाया जाना

4––कारखाना अधिनियम, 1948 के अध्याय 10 में, धारा 106 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्––

"106-क––इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का जो केवल जुर्माने से दण्डनीय हो और जो पहली बार किया गया हो शमन, चाहे अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अपराध के लिये नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम, जिसे वह उचित समझे वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमन––

(i) अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।"

अधिनियम संख्या 5 सन् 1861 की धारा 34-ए के स्थान पर नई धारा का रखा जाना

5––पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 34-ए के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्

धारा 32 और 34 के अधीन अपराधों का शमन

"34–क––धारा 32 या धारा 34 के अधीन दण्डनीय अपराध का शमन जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चाहे अभियोजन में संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात् राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अपराध के लिये नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम, जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा और जहां अपराध का इस प्रकार शमन––

(i) अभियोजन संस्थित करने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।"

अधिनियम संख्या 3 सन् 1867 में नई धारा 14-क का बढ़ाया जाना

6––सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 की धारा 14 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी अर्थात्:––

अपराधों का शमन

"14–क––इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, चाहे अभियोजन संस्थित किये जाने के पूर्व या पश्चात्, किसी ऐसे आफिसर द्वारा जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से सशक्त करे, राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अध्यधीन रहते हुए, अपराध के लिये नियत जुर्माना की अधिकतम रकम से अनधिक शमन फीस की ऐसी रकम जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमन––

(i) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिये अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा;

(ii) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा :

परन्तु इस धारा में निहित किसी बात से ऐसे अपराधी द्वारा, जिसे इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिये कभी सिद्ध-दोष किया गया हो, किए गए किसी अनुवर्ती अपराध का शमन करने का प्राधिकार नहीं होगा।"

7—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 564 में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्—

उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 2 सन् 1959 की धारा 564 का संशोधन

"(ख) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों, उपविधियों या विनियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, चाहे अभियोजन निवेशित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, राज्य सरकार की इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आज्ञा के अधीन रहते हुए, अपराध के लिए नियत अर्थ-दण्ड की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर कर सकता है और जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(i) अभियोजन निवेशित किये जाने के पूर्व किया जाय, वहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायेगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा ;

(ii) अभियोजन निवेशित किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।"

8—उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 की धारा 36 में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26 सन् 1962 की धारा 36 का संशोधन

"(3) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन, अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, मुख्य निरीक्षक द्वारा राज्य सरकार के इस निमित्त किसी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुए, अपराध के लिए नियत अर्थ-दण्ड की अधिकतम धनराशि से अनधिक शमन फीस की ऐसी धनराशि, जिसे वह उचित समझे, वसूल करने पर किया जा सकेगा, और जहां अपराध का इस प्रकार शमन—

(i) अभियोजन संस्थित किए जाने के पूर्व किया जाय, यहां अपराधी ऐसे अपराध के लिए अभियोजित नहीं किया जायगा और यदि अभिरक्षा में हो तो निर्मुक्त कर दिया जायेगा ;

(ii) अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाय, वहां शमन का प्रभाव अपराधी की दोषमुक्ति का होगा।"

9—तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,—

कतिपय विचारण का उपशमन

(1) (क) ऐसे अपराध के लिए जो—

(एक) मोटर यान अधिनियम, 1939 के, या

(दो) सार्वजनिक द्यूत अधिनियम, 1867 के, जो उक्त, अधिनियम की धारा 3 के अधीन दण्डनीय अपराध या उक्त अधिनियम की धारा 13 के अधीन दण्डनीय पंद्यम के सम्बन्ध में अपराध न हो, या

(तीन) पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 34 के, या

(चार) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 160 के अधीन दण्डनीय है, या

(ख) केवल जुर्माना से दण्डनीय किसी अन्य अपराध के लिए, अभियुक्त के विचारण का, या

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 107 या धारा 109 के अधीन किसी कार्यवाही का,

जो किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष 1 जनवरी, 1977 के पूर्व से इस अधिनियम के प्रारम्भ होन के दिनांक पर लम्बित हो, उपशमन हो जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 9, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय न्याय मंत्री जी, आप विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव करें।

श्री श्रीचन्द--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 1979, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री देवकुमार--

मुझे मान्यवर, अफसोस है कि माननीय मंत्री जी ने मेरे और माननीय सदस्यों के आग्रह को स्वीकार नहीं किया और इस विधेयक को वह आज पारित ही कराना चाहते हैं। अभी माननीय वर्मा जी ने अपने वक्तव्य के दौरान इसको तस्करों के साथ जोड़ते हुए कहा तस्करी को रोकने के लिये कोई विधेयक नहीं है। आपातकाल के दौरान हाजी मस्तान जैसे तस्करों का कुछ बड़े लोगों के साथ संबंध था। तो क्या जनता शासन में भी तस्करी के विरुद्ध कोई विधान नहीं आयेगा मैं माननीय वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनकी तस्करों के साथ कोई सांठ-गांठ है क्या ?

श्री रघुवर दयाल वर्मा--

मान्यवर, मेरा तो तस्करों से कोई सांठ-गांठ नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 1979, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

बांदा जिले में कर्वी स्थित पाठा पेयजल योजना द्वारा पानी की पूर्ति न होने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय स्वायत्त शासन मंत्री का बांदा जिले की कर्वी स्थित एशिया की पाठा पेयजल योजना द्वारा पानी की पूर्ति न होने के सम्बन्ध में श्री राम सजीवन तथा श्री श्रीनारायण द्वारा दी गई सूचना पर वक्तव्य।

श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, बांदा के मानिकपुर आदि क्षेत्रों में पानी के अभाव के संबंध में मैंने एक सूचना नियम 301 में दी थी जिस पर माननीय मंत्री जी का वक्तव्य होना था। माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया लेकिन उस वक्तव्य की कोई कापी नहीं मिली। मुझे सचिवालय से एक चिट्ठी मिली कि मंत्री जी से 5 सौ कापियों को मांगा गया था लेकिन कोई प्रति नहीं मिली। मैं इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहता हूं बगैर कापी बांटे मंत्री जी ने वक्तव्य दे दिया जिसमें हमारे पास कोई सूचना नहीं होती है, जिसे हम जनता में दे सकें।

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य दे सकते हैं। इस तरह के पहले भी निर्देश हो चुके हैं, यदि वक्तव्य की कापियां न भी बंटे तब भी दे सकते हैं।

श्री देव कुमार—

श्रीमन्, इसको उपलब्ध कराया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी, आपके पास इसकी प्रतियां हैं या नहीं ?

सिंचाई मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

यह कल की बात कह रहे हैं, आज की नहीं।

माननीय सदस्य द्वारा बांदा जिले में करवी स्थित पाठा पेय जल योजना के बारे में नियम 51 के अन्तर्गत प्रस्ताव के संदर्भ में माननीय सदन को यह सूचित करना है कि पाठा पेय जल योजना बारह सौ वर्ग किलोमीटर के विस्तृत पहाड़ी एवं पथरीली भूमि क्षेत्र में फैली हुई है। उसक अन्तर्गत करीब 600 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन लगाई गई है। इस योजना में यद्यपि 24 घन्टे पानी देने का प्राविधान है तथापि पम्पिंग स्टेशन पर विद्युत् व्यवधान होने पर, पेयजल आपूर्ति में रुकावट आती है। जल संस्थान के अनुरोध पर जल निगम द्वारा जनरेटर लगाने का कार्य किया जा रहा है ताकि विद्युत् व्यवधान होने पर भी जल आपूर्ति अबाधरूप से चलती रहे।

योजना में धन की कमी के कारण द्रुतगामी वाहनों तथा गतिशील दूरभाष एवं संचार व्यवस्था के अभाव के कारण पाइ प लाइ न में व्यवधान उपस्थित होने पर उसे दूर करने में समय लग जाता है। धन की इस कमी की ओर शासन बहुत ही सक्रिय रूप से विचार कर रही है और आशा है कि जल्दी ही कुछ ऐसे कदम उठाये जायेंगे जिससे इस योजना के लिये इतने वित्तीय संसाधन जुट सकें जिससे उसकी कार्य क्षमता अधिक से अधिक हो ताकि उन ग्रामों में पानी पहुंच सके जिनके लिये यह योजना कार्यान्वित की जा रही है।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

इस योजना का निर्माण 1974 में पूर्ण हुआ था। 1978 तक पाठा पेय जल योजना के अन्तर्गत सिर्फ उन्हीं ग्रामों में पेयजल आपूर्ति वर्ष भर की जाती थी जहां निजी जल संयोजना थे ग्रीष्म ऋतु आने पर सभी ग्रामों में अस्थायी जल स्तम्भों द्वारा निःशुल्क पानी दिया जाता था। परन्तु गर्मियों के बाद बन्द कर दिया जाता था। 1978 से ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि सार्वजनिक जल स्तम्भों द्वारा पेय जल आपूर्ति वर्ष भर ऐसे ग्रामों में भी की जाती है जहां कोई निजी जल संयोजन व्यवस्था नहीं है। इस योजना में 250 ग्राम हैं जिसमें से केवल 96 ग्रामों में निजी जल कनेक्शन हैं अभी ग्रामीण क्षेत्र में 10गैलन प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से पेय जल आपूर्ति का प्राविधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत जानवरों के पीने के लिए गर्मियों में जब पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है उस समय यह तोड़ फोड़ भी बहुत अधिक होती है जिसके कारण दूरवर्ती ग्रामों में पानी नही पहुंच पाता है।

चित्रकूट धाम नगरपालिका क्षेत्र तथा मानिकपुर टाउन एरिया क्षेत्र में मीटर युक्त जल संयोजन किये गये हैं तथा उसी के आधार पर जल मूल्य की वसूली की जाती है। उक्त दोनों नगरों में जब दिनांक 1-4-79 से 360-00रुपये प्रति वर्ष के किराये से अधिक के मकानों पर 12-5 प्रतिशत की दर से जल कर वसूल किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में मीटर रहित जल संयोजन है तथा निजी गृह जल संयोजन से 6-00 रुपये प्रतिमाह प्रति जल संयोजन जल मूल्य वसूल किया जाता है। सार्वजनिक जल स्तम्भों से 20-00 रुपये प्रति माह की दर से वसूली की जायेगी लेकिन पाठा पेयजल योजना के अन्तर्गत लगे 287 सार्वजनिक जल स्तम्भों में से मात्र 17 सार्वजनिक जल स्तम्भ शुल्क सहित है शेष 270 जल स्तम्भ निःशुल्क चल रहे हैं।

झांसी मंडलीय जल संस्थान, झांसी नें अपनी 14 वीं बैठक दिनांक 6-11-78 में एक प्रस्ताव पारित करके जल निगम से अनुरोध किया कि पाठा पेयजल योजना का पुनर्गठन इस प्रकार किया जाये कि जनता को समुचित मात्रा में पानी मिल सके।

श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

माननीय मंत्री जी, इस योजना से 251 गांवों को पानी देने का प्राविधान है और उनमें से केवल बताया गया कि केवल 51 गांवों को पानी दिया गया। अब आप बता रहे हैं 96, स्पष्ट तो नहीं है। मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि जितने गांवों को पानी देने का लक्ष्य था उनमें से कितने गांवों में गया एक घंटा साल में, पहुंच गया। उनमें से कितनें गांवों को पानी आज तक दे सके हैं? मेरा साफ आरोप है कि 251 गांवों में से मुश्किल से 40-50 गांवों पानी पा रहे हैं। सारा इलाका त्राहि-त्राहि कर रहा है। आपके विभाग द्वारा लगातार कहा जाता है कि धन की कमी, है बिजली नहीं मिल रही है। इस तरह से वहां बात चल रही है। दूसरा सवाल यह है कि यदि इतने गांवों को पानी नही पहुंचा पाते तो आप तुरन्त क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं जिससे सब गांवों को पानी तड़पते हुए लोगों को मिल सके।

श्री राजेन्द्र सिंह—

जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है कि 600 किलोमीटर लम्बी पाइप लाइन जाती है इतने दूरस्थ क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। जब पानी की कमी होती है, नेचुरल रिसोर्सेज से तो पाइप लाइन तोड़ दीं जाती है, जितनी दूर जाना चाहिए लोग नहीं जाने देते क्योंकि संसाधनों की कमी है पाइप लाइन रिपेअर करने के लिए साधन नहीं हैं इससे कुछ बाधा पड़ती है। इसलिए मैंने कहा जो व्यवस्था थी जिस तरह से पानी जाना चाहिए वह जा नहीं पा रहा है और विद्युत् व्यवधान की बात बतायी। जनरेटर आ गया है। जब यह चीजें पूरी हो जायेंगी तो सुविधा हो जायगी। झांसी मंडलीय जल संस्थान ने पुर्नसर्वेक्षण करवा कर योजना को दूसरी तरह से चलानें के लिए प्रस्ताव किया है। दूसरे वह नलकूप लगाकर हो सकती है इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री रामसजीवन—

उस क्षेत्र में पाठा क्षेत्र में नलकूप सफल नहीं होंगे। भारत सरकार के इंजीनियरों ने यह रिपोर्ट दी है कि यहां नलकूप सफल नही हो सकते। आपने कितने गांवों को पानी दिया है? दूसरे इसके पुनर्गठन की बात है। यह सुझाव और विचार आपका अच्छा है। मैं भी चाहता हूं कि इसके पुनरीक्षण के लिये शीघ्र ही कोई व्यवस्था करेंगे जिससे यह योजना ठीक से चल सके। जब यह योजना बनायी गयी थी तो सब सोच लिया गया था कि कितने किलोमीटर लम्बी लाइन होगी और तोड़फोड़ होगी। अब आप वही बहाना ले रहे हैं। इसके पुनर्गठन के लिए ठोस योजना, जिसमें अधिक धन खर्च कर के पानी दिया सके; कोई योजना शासन के विचाराधीन है?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैंने बताया कि 86 ग्रामों में निजी जल कनेक्शन लगे हुए हैं 250 में अन्त में यह भी कहा कि पाठा पेयजल योजना के अन्तर्गत लगे 287 सार्वजनिक जल स्तम्भों में से मात्र 17 सार्वजनिक जल स्तम्भ शुल्क सहित हैं। शेष 270 जल स्तम्भ निः शुल्क चल रहे हैं। जल स्तम्भ में पानी पहुंचाने की बात है। 360 रुपये प्रतिवर्ष के किराये से अधिक के मकानों पर जल कर की वसूली होती है। लेकिन इसके बाद कहा कि कोई दूसरी योजना विचाराधीन है। ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत विचाराधीन है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नही लिया गया है कि क्या व्यवस्था की जाये कि जिन गांवों में पानी की कमी है।

श्री देव कुमार—

मान्यवर, यह 3 करोड़ की एशिया की सबसे बड़ी पेयजल योजना है जिसका उदघाट न तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था और हम लोगों इस समस्या की तरफ लगातार शासन का ध्यान आकृष्ट किया है। वहां पर लोग गीत गाते हुए स्त्रियां चलती हैं कि चाहे मेरा आदमी मर जाये लेकिन घड़ा न फूटे। मान्यवर, वहां पर ऐसी विषम स्थिति है। इस योजना में इतना घपला है कि मेन्टीनेन्स का पैसा अधिकारी खा जाते हैं। जंगली इलाके से पाइप लाइन जाती है। विभाग ने आपको ब्रीफ कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसा आपने खुद कहा कि 6-11-78 को मंडलीय स्तर पर 14वीं बैठक में एक प्रस्ताव पारित हुआ और उसके पुनर्गठन की मांग की गई लेकिन अभी तक इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया गया है? इसका क्या कारण है। मान्यवर, दूसरा प्रश्न मैं यह करना चाहता हूं कि क्या सरकार के समक्ष कोई ऐसी योजना है कि इसके पुनर्गठन के लिए कोई समिति गठित की जाये और इस समस्या का कोई स्थायी हल निकाला जाय?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मैंने वक्तव्य में कहा कि हमारे माननीय सदस्य श्री राम सजीवन जी यहां उपस्थित है ने नियम 51 के अन्तर्गत सूचना दी है। इसमें उन्होंने माना है कि और वर्षों की भांति इस वर्ष विद्युत् आपूर्ति सुधरी है। तो दिशा सुधार की ओर है यह ठीक है। लेकिन पूर्णरूप से नहीं सुधरी है। श्री बी0 के0 सक्सेना, आई0 ए0 एस0 अधिकारी हैं उनका लेटर है, उन्होंने भी लिखा है। उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिये हैं। उन प्रस्तावों को टेकनिकेलिटी को एक्जामिन किया जा रहा है। लेकिन अभी तक कोई निश्चित रूप से निर्णय लिया जा सका है

श्री देव कुमार—

मान्यवर, मेरा निश्चित सवाल है लेकिन उसका उत्तर माननीय मंत्री जी ने नहीं दिया मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार जो प्रस्ताव दिनांक 6-11-1978 को पारित हुआ था, उसको कार्यान्वित करने के लिए कोई समिति बनाने का विचार कर रही है। मान्यवर;

[श्री देवकुमार—]

एक साल से ज्यादा समय व्यतीत हो गया है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पर कोई निर्णय लिया जायेगा या नहीं ? मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी स्पष्ट उत्तर चाहता हूं । कृपा कर माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर दिलवाने की कृपा करें ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जिस प्रस्ताव की बात माननीय देव कुमार जी ने की है वह झांसी मंडल जल संस्थान का प्रस्ताव है । झांसी के कमिश्नर ने भी पत्र लिखा है इसके बारे में । उन्होंने विस्तृत सुझाव दिये हैं । उनका परीक्षण हो रहा है । जो पेय जल की समस्या है वह बहुत ही गम्भीर है । 600 मीटर लम्बी लाइन जाती है । यह बड़े दुर्गम स्थानों से होकर जाती है । मान्यवर, अंतिम निर्णय करने में समय लगता है । यह अवश्य है कि निर्णय जल्दी ले लिया जायेगा ।

श्री राम सजीवन—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस वक्तव्य को तुरन्त पढ़ लिया, न तो यह इनका विभाग है और न इन्होंने यह योजना देखी है । इससे अच्छा तो यह होता कि मालवीय जी इसका उत्तर देते । इन्होंने इस योजना को देखा भी है और पहले यह विभाग उनका ही था । वे कुछ काम भी कर पाते ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह कोई खास बात नही है । मंत्री जी बहुत कुछ समझते हैं और अगर कुछ समझना चाहते हैं तो उनके यहां पर चले जाइये ।

श्री राम सजीवन—

यह जो पुनर्गठन की बात है । इस योजना में 3 करोड़ पहले लगा है और पुनर्गठन के के बाद दो करोड़ रुपये का और खर्च आयेगा । तब यह योजना सही रूप से चलेगी । तो क्या माननीय मंत्री इतने धन की व्यवस्था कर देंगे कि इसका पुनर्गठन करके गांवों को पानी सुलभ हो सकेगा ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

मान्यवर, वक्तव्य में ही यह बात कही गयी है कि धनाभाव के कारण इस योजना के आपूर्ति में कमी आ रही है । यह भी कह दिया गया है कि शासन इसको गम्भीरता पूर्वक ले रहा है कि वह धन की व्यवस्था करे । पहले भी काफी धन व्यय किया गया है और वह योजना, जो कांग्रेसी शासन में बनी थी, कामयाब नहीं हुयी है । जनता पार्टी की सरकार इस पर जो धन लगायेगी उससे हम आपूर्ति अवश्य कर सकेंगे ।

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, मानिकपुर बांदा से मिला शंकरगढ़ एक स्थान है जो इलाहाबाद जिले में आता है, वहां पर 45 गांव समाओं में पानी का अभाव हो गया है । मैंने 10 मई को नियम 301 में सदन में सूचना दी थी लेकिन अब तक भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यहां तो बांदा की बात चल रही है । आपके यहां कि नहीं है । इसलिए यह प्रश्न नहीं उठता है । अगर आपने भेजा है तो आपको उत्तर मिल जायेगा ।

उन्नाव जिले के युवा जनता के महामन्त्री श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय की हत्या से नगर की जनता में रोष, क्षोभ एवं आतंक के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाश नाथ सिंह)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 10 जून, 1979 को लगभग 9-00 बजे रात्रि बड़े चौराहे थाना कोतवाली, उन्नाव क पास पान की दूकान के निकट श्री राजेन्द्र पाण्डेय पुत्र श्री विन्ध्याचल पाण्डेय निवासी काली सराय थाना कोतवाली उन्नाव को श्री राजपाल निवासी ग्राम बस्था थाना अजगन ने गोली मार दी जिससे श्री पाण्डेय को गम्भीर रूप से चोटें आयी। श्री पाण्डेय को तत्काल जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया वहां से उन्हें मेडिकल कालज कानपुर भजा गया। रात्रि में लगभग 3-15 बजे जब श्री पाण्डेय का आपरेशन हो रहा था तब उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में श्री गंगा प्रसाद जो श्री राजन्द्र पाण्डय क बहनोई क पिता ह, की लिखित रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में मुकदना अपराध संख्या 399/79 धारा 307 भारत दण्ड विधान व 25/27 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया जो श्री पाण्डेय की कानपुर में मृत्यु हो जाने पर धारा 302 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत परिवर्तित किया गया। श्री गंगा प्रसाद द्वारा दी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में राजपाल सिंह तथा सुशील कुमार वर्मा निवासी सवइया थाना बीघापुर जिला उन्नाव को अभियुक्त नामजद किया गया है। पुलिस द्वारा घटना की रात्रि में ही अभियुक्त राजपालसिंह को गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्ज से एक तमन्चा जिसमें एक दगा कारतूस व तीन भरे हुए कारतूस थ बरामद हुआ। दूसरे अभियुक्त सुशील कुमार वर्मा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पूणतया प्रयत्नशील है।

श्री राजेन्द्र पाण्डेय उपभोक्ता भण्डार उन्नाव के अध्यक्ष थे और उन्होंने घटना के कुछ दिन पूर्व राजपाल सिंह व सुशील कुमार वर्मा अभियुक्तों को नौकरी से अलग कर दिया था। श्री पाण्डय की हत्या के अपराध की विवचना प्रचलित है।

श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

मान्यवर, यह उन्नाव का बड़ा चौराहा है। इस पर अभी तक 14 हत्यायें हो चुकी है और इसको खून का चौराहा के नाम से पुकारा जाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस चौराहे पर आगे और हत्या न हों क्या इस के लिए सरकार न कोई निश्चित व्यवस्था कर दी है या नहीं? राजेन्द्र पाण्डेय को 9 बजे रात्रि को गोली लगी और 3.15 पर उसकी मृत्यु हुई, तो उसका क्या डाइंग डिक्लेरशन भी लिया गया है; यदि हां, तो क्या?

श्री कैलाशनाथ सिंह—

यह हत्या एक सा के दौरान प्राप्त सूचना के अनुसार दूसरी है। अगर पहले कोई हत्या हुई हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। इस बात क प्रयास किया जायेगा कि भविष्य में हत्या वहां न हो सके।

श्री बाबू राम शुक्ल—

डाइंग डिक्लेरेशन हुआ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

इसकी रिपोर्ट इ समय नहीं है सूचना चाहिये।

श्री बाबूराम शुक्ल—

क्या मेरी सूचना को सही मान कर माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि राजेन्द्र पांडेय ने उन्नाव के सी0 एम0 ओ0 के विरुद्ध साढ़े 7 लाख के गबन के आरोप लगाये थ जिसकी

[श्री बाबूराम शुक्ल—]

जांच हो रही थी और 6 तारीख को उनकी गवाही थी और वह उस दिन पोस्टपोन हो गयी थी तथा 11 तारीख लगी थी। उसके पहले उन्नाव के एस0 पी0 ने राजेन्द्र पांडेय को बुलाकर यह धमकी दी थी कि अगर तुम गवाही दोगे तो इसका परिणाम बुरा होगा ? क्या इस सूचना के आधार पर मंत्री जी जिसकी सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

जहां तक मैं समझता हूं कि यह एक घटना हो सकती है, पर बीसों मुकदमों में यह अपराधी रहा है। जहां तक सी एम0 ओ0 की शिकायत का सवाल है, वह व्यक्तिगत बात हो सकती है। अगर माननीय सदस्य कहेंगे तो मैं जांच करवा लूंगा पर सी0 आई0 डी0 से जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

राजेन्द्र पांडेय की हत्या के बाद कोई अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचा और पहुंचा तो घटना के कितनी देर के बाद ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

घटना के बाद अधिकारी वहां पर गये और उसी रात्रि को जो पहला अभियुक्त था उसे गिरफ्तार भी किया गया जिसके पास से 3 भरे हुये कारतूस तथा एक दगा हुआ कारतूस मिला।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

कितनी देर के बाद अधिकारी पहुंचा क्योंकि वहां उस समय कोई अधिकारी था ही नहीं उन्नाव जनपद में ?

श्री कैलाश नाथ सिंह—

इसकी सूचना नहीं है कि कितनी देर बाद पहुंचा।

श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी—

क्या माननीय मंत्री जी को इसकी जानकारी है कि राजेन्द्र पांण्डेय इमरजेन्सी के समय मीसा में राजनैतिक बन्दी था ?

(व्यवधान)

श्री कैलाश नाथ सिंह—

यह सूचना नहीं है।

(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही सही तरीके से रिकार्ड न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री फजलुलबारी (जिला गोंडा)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं नियम 303 के सब क्लाज (1) की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं...

मान्यवर, एक व्यवस्था प्रश्न नियम 303 सब-क्लाज (1) अन्तर्गत सुझाव के रूप में उठाना चाहता हूं। नियम 303 के सब क्लाज (1) में यह लिखा है कि सचिव सभा के प्रत्येक उपवेशन की कार्यवाही का सम्पूर्ण और शुद्ध प्रतिवेदन भी तैयार करायेंगें तथा उनको एसे रूप में और ऐसे ढंग से जैसा कि अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर निर्देश दें प्रकाशित करायेगें। यहां हाउस में हम लोग जो कुछ भी बोलते हैं उसका रिकार्ड सही तरीके से होना चाहिये।

मैं एक मर्तबा और भी कह चुका हूं कि जो हम लोग बोलते हैं वह सही रूप से लिखा नहीं जाता । जब हमारे पास वह रिपोर्ट आती है तो उसमें अक्सर यह होता है कि पूरा का पूरा पेज काटकर फिर से लिखा जाय तब सही हो सकता है । कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो रिपोर्टस आपने यहां लगाये हैं, वह अनस्किल्ड और इन फिसियन्ट तो नहीं है ? क्या वजह है ? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनका स्केल तो इतना कम नहीं है कि अच्छे किस्म के रिपोर्टस नहीं आ पाते हैं, जगहें खाली हैं और उनकी पूर्ति नहीं हो रही है और उनकी जगह पर डेलीवेजेज पर लोग लगाये गये हैं, जो कि अनस्किल्ड लोग है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह आपका कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । इसको आप आकर मेरे कक्ष में भी कह सकते थे ।

श्री फजलुल बारी--

सदन की बैठक में सरकार का इतना पैसा खर्च हो रहा है, रिपोर्टिंग जब सही नहीं होगी, तो हम लोगों का भाषण देना ही बेकार है ।

श्री उपाध्यक्ष--

इस तरह का आक्षेप जो है कर्मचारियों के ऊपर, यह उचित नहीं है ।

मुरादाबाद जनपद में व्यापारियों के यहां पकड़े गये नियंत्रित कपड़े के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह)--

दिनांक 31-5-79 को थाना कोतवाली मुरादाबाद में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री वी0 पी0 सिंह, पुलिस इंस्पैक्टर (खाद्य विभाग), लखनऊ ने दर्ज कराई जिसमें यह कहा गया है कि 30 मई, 1979 को उन्होंने मुरादाबाद जिले के कपड़े के व्यापारी श्री मदनलाल के गोदाम से नियंत्रित कपड़े का स्टाक बरामद किया । उक्त रिपोर्ट के अनुसार इस अभियोग में अभी तक निम्नांकित व्यक्ति अभियुक्त है :--

(1) श्री मदनलाल पुत्र ठाकुर दास निवासी सागर सराय, मुरादाबाद ।

(2) श्री गणेश पुत्र श्री नत्थू राम निवासी सागर सराय, मुरादाबाद ।

(3) श्री शब्बीर पुत्र श्री अल्ला बक्श निवासी पीपलसाना, मुरादाबाद ।

(4) श्री साबिर पुत्र श्री सूखा निवासी सिरसी, मुरादाबाद ।

(5) श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री ठाकुर दास निवासी सागर सराय, मुरादाबाद ।

उपरोक्त अभियुक्तों में से श्री मदन लाल फरार बताये गये और शेष सभी अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं । पुलिस इस केस की विवेचना कर रही है ।

उपरोक्त माल की कुछ बिल्टियां उत्तर प्रदेश सहकारी संघ, लखनऊ की मुरादाबाद शाखा द्वारा केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि0 मुराद बाद को दी गई और केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भंडार लि0, मुरादाबाद में इस नियंत्रित कपड़े को निम्नलिखित सहकारी समितियों को दिया जाना बताया है :--

(1) पीपलसाना भोगपुर उपभोक्ता सहकारी भंडार,

(2) सी0 सी0 स्टोर, वार्ड नं0 13, मुरादाबाद,

(3) आई0 एम0 एच0 एस0 टी0 कोआपरेटिव स्टोर, अमरोहा,

(4) डी0 सी0 एफ0 शाप नं0 4 मुरादाबाद ।

[श्री मुलायम सिंह]

अभी तक उपलब्ध सूचना के अनुसार यह नहीं कहा जा सकता है कि इन समितियों के कौन से कर्मचारी अधिकारी दोषी हैं। इसके लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता है जो जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, मुरादाबाद द्वारा कराई जा रही हैं।

वैसे तो मान्यवर, इसमें, बयान से पहले ए0 आर0 के लिए आदेश किये गये थे, लेकिन अब डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए आदेश कर दिया है।

श्री राम बक्श (जिला फर्रुखाबाद)—

मान्यवर, अपराध की गम्भीरता को देखते हुए मैं सहकारिता मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस अपराध की अनुसंधान शाखा से जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जैसा माननीय सदस्य ने बताया वैसे तो ए0 आर0 को जांच दिया था, लेकिन अब यह मुख्यालय के डिप्टी रजिस्ट्रार को जांच दे दी गयी है। इसके बाद भी अगर जांच में कुछ कमी पाई जायगी, तो उसमें बाद में विचार किया जा सकता है।

श्री राम बक्श—

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, इसमें जो केन्द्रीय भंडार, मुरादाबाद है, उसी को सारा कपड़ा दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि जिला सहकारी समिति और उपभोक्ता मिल कर षड़यंत्र किया है। ऐसी स्थिति में मैं प्रार्थना करूंगा कि इसकी जांच अपराध अनुसंधान शाखा से कराने का कष्ट करेंगे ?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, नियम 51 के अन्तर्गत जो हम लोगों ने सूचना दिया था उसमें इस बात की भी शिकायत थी कि पूरे प्रदेश में सस्ते कपड़े की दूकानों पर इस तरह से कालाबाजारी हो रही है, क्या इसको रोकने के लिए माननीय मंत्री जी को विशेष व्यवस्था करने जा रहे हैं ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जो प्रश्न किया था वह मुरादाबाद का था। माननीय सदस्य को कोई जानकारी हो तो मुझे दें, मैं व्यवस्था करूंगा।

उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979

सचिव, विधान सभा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तरी भारत नहर और जल निकास (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1979 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा 13 जून, 1979 को, पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 15 जून, 1979 को वापस प्राप्त हो गया है।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 1979

सचिव विधान सभा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर विधेयक, 1979 को

उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जून, 1979 को पारित किया गया था तथा जो श्री उपाध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 13 जून, 1979 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 15 जून, 1979 को वापस प्राप्त हो गया है।

दि इण्डियन टरपेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी को करोड़ों रुपये की कथित हानि के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)---

मान्यवर, दि इण्डियन टर्पेन्टाइन एण्ड रोजिन कम्पनी लिमिटेड, बरेली एक शासकीय प्रतिष्ठान है तथा अपनी उत्पाद की क्वालिटी के लिए यह भारत ही में नहीं विदेशों में भी इसकी ख्याति है। यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित है उत्तर प्रदेश सरकार का इसमें 57.5 प्रतिशत शेयर है। 10 सदस्यीय संचालक मण्डल द्वारा यह संचालित है जिसमें 7 उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी हैं, 2 पहाड़ के प्रतिनिधि और एक कम्पनी के विदेशी सल हकार हैं। इस प्रतिष्ठान ने मई, 1978 में कैम्फर एण्ड एलाइड प्रोडक्ट कम्पनी के साथ समझौता किया जिससे लगभग 2.75 करोड़ रुपये की हानि होगी। केम्फर एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स से 7 लाख की लम्बी रकम घूस लेकर उनके हक में यह समझौता किया गया है। यह अनुबन्ध जो अप्रैल, 1978 से मार्च, 1983 तक के लिए है इसके अनुसार इस सरकारी प्रतिष्ठान को 20 लाख लीटर तारपीन या अपने उत्पादन का 85 प्रतिशत, इन दोनों में जो ज्यादा हो केम्फर एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स कम्पनी को प्रति वर्ष देना होगा। पहले वर्ष में 2.15 रुपया प्रति लीटर और बाद के वर्षों में 5 पैसा प्रति लीटर की दर से दाम बढ़ाया जायेगा। मान्यवर, केम्फर एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स लिमिटेड की 1978 की खुद की एनुअल रिपोर्ट है इसके पेज 4 के दूसरे पैराग्राफ को आपकी अनुमति से पढ़ना चाहूंगा। इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है।

"इस अवधि में सभी प्रमुख इन पुट्स के दाम बढ़ते गये और हमारे प्रमुख कच्चे माल तारपीन की कीमतें बिलकुल अस्थिर रहीं। 1977 में तारपीन का औसत मूल्य 1.95 रुपये प्रति लीटर था इसके विपरीत 1978 में यह कीमत 2.34 रु0 प्रति लीटर हो गई अर्थात् कीमत औसतन 18 प्रतिशत बढ़ी। आलोच्य वर्ष के पिछले कुछ महीनों में तारपीन का बाजार मूल्य वस्तुतः सर्वाधिक अर्थात् करीब 3 रु0 प्रति लीटर हो गया। रोजिन की प्रोसेसिंग उत्तरोत्तर कम होते जाने से तारपीन की उपलब्धता लगातार कम होती जा रही है। जिसके फलस्वरूप हमें उत्तरोत्तर आयातित अल्फा पायनिन पर निर्भर होना पड़ रहा है। यह अल्फा पायनिन भी विदेश में बहुत कम सुलभ है और इसका मूल्य 1977 के मुकाबले 1978 में 4.3 प्रतिशत बढ़ गया है।

मान्यवर, यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समझौते के बारे में 21 मई, 1978 को कैंफर एण्ड एलाइड प्रोडटक्स कम्पनी के प्रतिनिधियों के साथ तत्कालीन मुख्य मंत्री और वर्तमान उद्योग मंत्री जी की उपस्थिति में वार्ता हुई। लेकिन अनुबन्ध जनवरी, 1979 में हुआ और अनुबन्ध के समय स्वयं कैम्फर कम्पनी की एनुवल रिपोर्ट के अनुसार तारपीन का बाजार मूल्य 3 रु0 प्रति लीटर था फिर यह समझौता 2 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर की दर से बेचने का अनुबन्ध क्यों किया गया? आज तो स्वयं आई0 टी0 आर0 कम्पनी की सूची में तारपीन का भाव 6 रु0 प्रति लीटर है। इस प्रकार से अगर आज के 6 रु0 प्रति लीटर के भाव से 20 लाख लीटर की सप्लाई पर केवल एक वर्ष का हिसाब लगायें तो एक साल में भी लगभग 79 लाख रुपये का घाटा इस सरकारी प्रतिष्ठान का हो रहा है। इतना ही नहीं मान्यवर, बल्कि इसी कैम्फर एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स ने 1978 में जम्मू और कश्मीर सरकार से अपनी जम्मू की रोजिन फैक्ट्री के लिये 3.40 रु0 प्रति लीटर की दर से तारपीन लिया है। फिर हमारी सरकार ने 2 रुपये 15 पैसे की दर से देना क्यों स्वीकार किया जबकि एग्रीमेंट के समय तारपीन का कास्ट आफ प्रोडक्शन खुद आई0 टी0 आर0 सी0 का 3 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर था?

[श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी]

मान्यवर, इस मामले के कुछ तथ्य तो बहुत सी चौकाने वाले हैं। हम राजनैतिक लोग नौकरशाही के भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन यहां तो मामला ही उल्टा है। आपको और सदन को यह जानकर ताज्जुब होगा कि आई0 टी0 आर0 सी0 के प्रबन्ध निदेशक ने 26 दिसम्बर, 1978 को शासन को एक पत्र लिख कर इस समझौते को करने से रोका था और इसे सरकारी प्रतिष्ठान के हितों के प्रतिकूल बताया था लेकिन उद्योग (3) अनुभाग ने 20 जनवरी, 1979 के पत्र द्वारा यह निर्देश दिया कि चूंकि अनुबन्ध का निर्णय मुख्य मंत्री जी के साथ विचार विनियम के पश्चात् लिया गया है, इसका क्रियान्वयन आवश्यक है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अनुबन्ध को निर्धारित किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें। मैं माननीय उद्योग मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि घाटे के इस समझौते को करने के लिये इतना अधिक दबाव डाला गया? क्या 26 दिसम्बर, 1978 और 20 जनवरी, 1979 के दोनों पत्रों को सदन में रखने की हिम्मत माननीय मंत्री जी की है? मान्यवर, इस सदन की पी0 ए0 सी0 कमेटी भी इस मामले की जांच में मौके पर बरेली गयी थी।

एक सदस्य—

मान्यवर, कोरम नहीं है, जरा देख लें।

श्री उपाध्यक्ष—

घण्टी बजाई जाये।

(कोरम के लिये घंटी बजाई गयी)

(घंटी बजते रहने पर)

श्री गेंदा लाल गुप्त (जिला एटा)—

मान्यवर, मैं यहां सरकार की तरफ से कोई है नहीं, इसका जवाब कौन देगा?

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी मौजूद हैं। आप तिवारी जी, बैठ जायं, कोरम पूरा हो जाय, तब बोलिये।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था कि इस सदन की पी0 ए0 सी0 के सदस्यगण मौके पर जांच करने के लिये गये थे। इस कमेटी के कई माननीय सदस्यों ने इस समझौते को भ्रष्टाचार से भरपूर बताया है। मान्यवर, इसके अलावा कैबिनेट के भी बिजनेस रूल्स हैं। उनके अनुसार जहां तक मेरी जानकारी है कि जिन अनुबंधों में 10 हजार रुपये तक के नुकसान की संभावना रहती है उसमें तो मंत्री स्वयं आदेश दे सकता है लेकिन बाकी मामलों में कैबिनेट की सैंक्शन जरूरी है। यह मामला कैबिनेट के सामने न ले जाकर केवल एक उप समिति के सामने क्यों ले जाया गया? जो मंत्री इसका जवाब दें वह सदन के सामने इस बात को भी रखें।

मान्यवर, सामान्यतः आई0 टी0 आर0 सी0 को वन विभाग से लगभग 17 लाख टन लीसा प्रतिवर्ष मिलता था। इस लीसे से आई0 टी0 आर0 सी0 में लगभग 13 हजार टन रोजिन और लगभग 32 लाख लिटर तारपीन बनता था। रोजिन का उपयोग कागज, पेंट, साबुन, रबर, अगरबत्ती, आदि उद्योगों में और तारपीन का उपयोग कैम्फर, पाइन-आयल, सिंथेटिक रोजिन, वार्निश, बूट पालिश आदि बनाने के काम में आता है।

इस अनुबंध के पूर्व इन चीजों को बनाने वाले छोटे-छोटे उद्योगों को आई0 टी0 आर0 सी0 लगभग 7–8 लाख लीटर तारपीन देती थी। लेकिन पिछले लगभग 2 वर्षों से लीसा की सप्लाई काफी कम हो गयी है जिसके परिणाम स्वरूप तारपीन का कुल उत्पादन 20 लाख लीटर रह गया है जो पूरा का पूरा इस अनुबंध के मुताबिक कैम्फर कम्पनी को चला जाता है–और तारपीन पर आधारित प्रदेश के लघु उद्योगों के समाप्त हो जाने का खतरा पैदा हो गया है।

इसके अलावा मान्यवर, आई0 टी0 आर0 सी0 के विकास की 2 करोड़ रुपये की एक योजना थी। इस अनुबंध के परिणामस्वरूप उस योजना के कार्यान्वियन को 1983 तक के लिये रोक दिया गया है। क्योंकि तारपीन का पूरा उत्पादन कैम्फर कम्पनी को चला जायगा और तारपीन पर आधारित नये उत्पादन शुरू करना आई0 टी0 आर0 सी0 के लिये कैम्फर कम्पनी के साथ हुये अनुबंध की समाप्ति के बाद 1983 के बाद ही संभव होगा।

इन सारे तथ्यों की पृष्ठि भूमि में मान्यवर, 7 लाख रुपये घूस लेकर इस समझौते को करने के आरोप की पुष्टि ही होती है। यह एक अपवित्र और भ्रष्टाचार से सराबोर समझौता है जो राष्ट्रीय हितों की बलि देकर व्यक्तिगत लाभ कमाने और एक प्राइवेट कम्पनी को लाभ पहुंचाने के इरादे से किया गया है जिसके अनुसार कैम्फर कम्पनी जिस रेट पर तारपीन आई0 टी0 आर0 सी0 से लेती है उससे अधिक दाम पर खुले बाजार में उसका रेजड्यू बेचती है।

माननीय उद्योग मंत्री जी हैं नहीं। जो भी मंत्री जवाब दें उनसे मेरा अनुरोध है कि इस समझौते को फौरन रद्द कराये और सारे घोटाले की सी0 आई0 डी0 से जांच कराइये। मैंने इन सारे तथ्यों को सदन के सामने रखता है, ताकि जो राष्ट्रीय हितों की कुर्बानी देकर, नापाक समझौता किया गया है, इस षड़यंत्र में जो भागीदार हैं उनको दंड दिया जा सके और उनके काले चेहरे को सदन के सामने उजागर किया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष—

उद्योग मंत्री जी जवाब दें।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

उद्योग मंत्री जी हैं ही नहीं।

परिवहन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, चर्चा अभी चलने दें।

श्री ऊबल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, आप जवाब दिलवायें।

(व्यवधान)

श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

यह सदन का अपमान है।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह अनुचित है, मंत्री जी यहां नहीं हैं, उनको होना चाहिये था।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मंत्रि मंडल की ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिल्टी होती है। इस तरह के प्रश्न जब आते हैं तो सरकार की तरफ से जवाब आता है कि ज्वाइंट रिस्पांसिबिल्टी होती है। इसलिये इसका जवाब दिलवायें या इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मंत्री जी को यहां होना चाहिये था। मालवीय जी, आप जवाब दें।

श्री देवबहादुर सिंह—

मंत्री जी हमारे और आपके कहने से जवाब दे रहे हैं। जबकि तथ्य यह है कि मंत्री जी इसका स्वत: जवाब देने के लिये तैयार नहीं हैं। यह दायित्व उद्योग या वन मंत्री का था, वह जवाब देते या सदन में न आने की सूचना देते। इस प्रकार उन्होंने कार्य में बाधा डाली है। यह नई परम्परा पड़ रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

हमको कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन है कि इस चर्चा को मैंने केवल फारमैलिटी के लिये नहीं उठाया था। इस चर्चा में जो सारी परिस्थितियां हैं वह खुलकर सदन में आयें। मंत्री जी उन परिस्थितियों को बतायें जिसमें यह अनुपयोगी समझौता हुआ है। उद्योग मंत्री यहां नहीं हैं तो यह सदन का अपमान है। इससे इस चर्चा के साथ अन्याय होगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि चूंकि उद्योग मंत्री जी यहां नहीं हैं, इसलिये इस चर्चा को अभी स्थगित करदें और अगले सत्र में लायें चूंकि इसमें राष्ट्रीय हित का मामला सन्निहित है।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैं नियम 54 की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री ऊदल—

मान्यवर, नियम 54 में जो वह कह रहे हैं उस पर मेरी आपत्ति इसलिये है कि सरकार की ज्वाइन्ट रिस्पांसिबिल्टी होती है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठें उनको कहने तो दें।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान नियम 54 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। नियम 54 यह है औपचारिक प्रस्ताव नहीं रखा जायेगा—सदन के सामने न तो कोई औपचारिक प्रस्ताव होगा और न मतदान होगा।

जिस सदस्य ने सूचना दी हो वे संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेंगे और मंत्री संक्षेप में उत्तर देंगे। किसी अन्य सदस्य को भी चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी जा सकेगी। विषय पुर:स्थापित करने वाले सदस्य को उत्तर देने के लिये दूसरी बार बोलने की अनुज्ञा दी जा सकेगी और सम्बद्ध मंत्री के अंतिम कथन होने पर चर्चा समाप्त हो जायेगी। "माननीय सदस्य ने अपना संक्षिप्त वक्तव्य दे दिया है, अब उसके बाद मंत्री जी संक्षिप्त उत्तर देंगे। तो मेरा निवेदन है कि इसके बाद की चीज तब लागू होगी जब मंत्री जी इस संबंध में अपना संक्षिप्त उत्तर देंगे। यदि मंत्री अपना संक्षिप्त उत्तर नहीं देते तो कोई भी चर्चा का प्रश्न इसमें आगे उठता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

वक्तव्य उनको देना पड़ेगा यह सही नहीं है। जो परिवहन मंत्री जी ने नियम 54 की चर्चा की उसमें जिन माननीय सदस्य नें सूचना दी है उनको उस पर संक्षिप्त उत्तर देने का अधिकार है। उसके बाद संबंधित विभाग के माननीय मंत्री उसका संक्षिप्त उत्तर देंगे। उसके बाद अन्य माननीय सदस्यों को मौका होगा कि वे अपनी बात कह सकें। उसके बाद सूचना देने वाले सदस्य फिर दो-चार मिनट उसके बारे में बोल सकेंगे और अन्त में माननीय मंत्री फिर उसका जवाब देंगे। इसलिए मंत्री का जवाब देना जरूरी है और संबंधित मंत्री को यहां रहना चाहिए।

श्री श्यामदत्त पालीवाल—

मान्यवर, यह प्रश्न गम्भीर है और उद्योग मंत्री उपस्थित नहीं हैं और अन्य मंत्री इसके लिये तैयार नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि उद्योग मंत्री जी ने यहां उपस्थित न होकर सदन का अपमान किया है। दूसरी बात यह है कि यह बहुत महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय है और मंत्री जी को भी इसके बारे में पूरा अध्ययन करना चाहिए। इसलिये इस स्थिति में उचित तो यही होगा कि इसे स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री पालीवाल की आपत्ति सही है। अगर माननीय मंत्री बीमार थे या कोई और बात थी तो उनको अध्यक्ष को सूचना देनी चाहिये थी कि किन्हीं कारणों से वे यहां उपस्थित नहीं हो सकेंगे और सूचना काफी पूर्व हमको मिलनी चाहिए थी जिससे हम माननीय सदस्य को सूचना देते और यह चर्चा प्रारम्भ होने के पहले हम उसकी घोषणा कर देते कि इस वजह से हम इस चर्चा को आज स्थगित करते हैं। या अन्य कोई मंत्री इसके बारे में तैयार होकर आए होते तो वे जवाब देते।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, यह प्रश्न वाकई गम्भीर है और शासन और प्रदेश के हित में है। मैं चाहता था कि इस पर चर्चा होती रहे। मैं बहुत जरूरी काम में लग गया था, इस वजह से यहां आने में थोड़ा विलम्ब हुआ जिसके लिए मुझे खेद है। मैं यह समझ रहा था कि यह इतना गम्भीर प्रश्न है और इस पर काफी सदस्य चर्चा करेंगे। इसके दो हिस्से हो सकते हैं। या तो मैं इस पर अभी जवाब दे दूं या जो कुछ माननीय सदस्यगण इस पर बोलें उस पर माननीय उद्योग मंत्री, जिनकी तबियत अचानक खराब हो गई, वे आना चाहते थे लेकिन आ नहीं पाये, वे अगले सत्र में जवाब दे दें। यह तो माननीय सदस्यों की इच्छा पर निर्भर करेगा। मैं एक जरूरी काम से बैठा हुआ था, मुझे वहां एक पर्चा मिला और तुरन्त मैं यहां आया। तब तक मालवीय जी उठ कर खड़े हो गये। मैं हाउस के अन्दर आ गया था।

श्री उपाध्यक्ष—

इसके लिए खेद प्रकट कर दें।

श्री मधुकर दिघे—

मैंने शुरू में कह दिया कि चूंकि क जरूरी काम में लग गया था इसलिए खेद है कि ठीक टाइम से नहीं पहुंच सका। मैं कह चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

जैसी रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने प्रार्थना की है, मैं इसे अगले सत्र के लिए स्थगित करता हूं।

(खाद्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल (जिला आगरा)--

एक व्यवस्था का प्रश्न.....

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे निर्णय के बाद कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री शम्भूनाथ (जिला जौनपुर)--

एक औचित्य का प्रश्न है....

श्री उपाध्यक्ष--

इस संबंध में कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है। मैं इजाजत नहीं देता हूं।

प्रदेश में गेहूं की खरीद व बोरों की अव्यवस्था के सम्बन्ध में वक्तव्य

खाद्य मंत्री (श्री मलिखान सिंह)--

मान्यवर, प्राप्त सूचना के अनुसार....

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, यह वक्तव्य बड़ा आपत्तिजनक है। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं कि बोरों की कमी की वजह से.....

श्री उपाध्यक्ष--

आप को बाद में मौका मिलेगा, आप उन को पढ़ने दीजिए।

मलिखान सिंह--

प्राप्त सूचना के अनुसार इस वर्ष रबी योजना के अन्तर्गत 15 जून, 79 तक 1,47,26,857 मी0 टन गेहूं की खरीद विभिन्न एजेन्सियों द्वारा की गई है जब कि गत वर्ष इसी अवधि में 10,27,927 मी0 टन की खरीद हुई थी। इस संबंध में यह भी ज्ञातव्य है कि पिछले पूरे वर्ष में 11,64,000 मी0 टन की ही गेहूं की खरीद की गई थी। इससे यह सपष्ट है कि गेहूं खरीद का कार्य बराबर प्रगति में है और बोरों की कमी की वजह से गेहूं खरीद में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होने दिया जा रहा है।

प्रदेश में बोरों के संबंध में स्थिति यह है कि अब तक विभिन्न श्रोतों से प्राप्त बोरों की संख्या 154.30 लाख है जिसमें से 142.68 लाख बोरे 15 जून, 1979 तक गेहूं की खरीद में प्रयोग हुये हैं। 11 लाख से अधिक बोरे अवशेष हैं। इसके अतिरिक्त डी0 जी0 एस0 एन0 डी0 (डायरेक्टर जनरल आफ सप्लाईज एण्ड डिस्पोजल) द्वारा कलकत्ता से की गई व्यवस्था के अन्तर्गत 39 लाख बोरे और प्राप्त होना हैं। जिसमें से 11.97 लाख बोरे डिस्पैच हो चुके हैं और रास्ते में हैं। आशा की जाती है कि शेष बोरे भी शीघ्र ही प्राप्त हो जायेंगे। उत्तर प्रदेश सहकारी संघ से गेहूं खरीद हेतु 32 लाख बोरे क्रय किये हैं जिसमें से 10 लाख बोरे प्राप्त हो चुके हैं, 18.50 लाख ट्रांसिट में है तथा शेष 3.50 लाख बोरे भी शीघ्र भेजे जाने की आशा है। भारत सरकार ने बंगला देश से भी बोरों का आयात किया है जिसमें से 51 लाख बोरे इस प्रदेश को आबंटित हुये हैं। इसमें से भी लगभग 22 लाख बोरे 14 जून, 79 को क्विक ट्रांसिट सर्विस से डिस्पैच होने की व्यवस्था की जाने की सूचना है और बकाया 20 लाख बोरे भी शीघ्र ही डिस्पैच कराने की व्यवस्था की गई है।

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि बोरों के अभाव में कृषकों कोगे हूं बेचने में असुविधा न हों यह आदेश भी पारित कर दिये गये हैं कि यदि किसान अपने बोरों में गेहूं बेचना चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं और इसके लिये उन्हें बोरों का मूल्य रु 0 5. 43 प्रति बोरी के हिसाब से भुगतान कर दिया जायगा ।

उपर्युक्त से यह स्पष्ट है कि बोरों की कमी के कारण गेहूं खरीद की प्रगति में कोई कमी नहीं है ।

श्री देव बहादुर सिंह--

जब से यह सत्र चला है मंत्री जी से हमेशा इस विषय पर एक ही बात माननीय सदस्य उठाते रहे गेहूं की खरीद के बारे में कि बोरों की कमी की वजह से तुला हुआ माल क्रय केन्द्रों से दूसरी जगह न ले जाने के कारण तमाम गेहूं की खरीद बन्द है । नियम 51 में दो बार मैंने सूचना दी । मैं किच्छा गया था 27 तारीख को वहां पर ज्ञात हुआ कि 4 केन्द्र 15 दिन से बन्द थे बोरों की कमी की वजह से । वहां स्थिति यह थी कि किसान बैलगाड़ी तथा ट्रैक्टर ट्राली गेहूं से लदे हुए 15 दिन से खड़े थे जिसके नीचे वह अपनी रोटी पकाते थे । मंत्री जी वक्तव्य दे रहे हैं कि बोरों की कमी की वजह से गेहूं की खरीद में व्यवधान नहीं पड़ा और 14 लाख मीटरिक टन की खरीद की गयी । इसका मतलब यह नहीं कि आपका काम अच्छा है । गेहूं इस साल अच्छा पैदा हो गया । हो सकता है कि 20 लाख टन खरीदना पड़ता . . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

अच्छे काम के लिये आपको उन्हें दाद देना चाहिये ।

श्री देव बहादुर सिंह---

उसके लिये कृषि मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं । हम धन्यवाद तब उनको देते जब क्रय केन्द्र पर किसी तरह का व्यवधान न पड़ता । मैंने इसीलिये आपको लिख कर किच्छा के बारे में दिया था । किच्छा के बारे में उत्तर दे दिया कि जांच करवा रहे हैं । वहां से यही सूचना मिली थी कि बोरों की कमी की वजह से क्रय केन्द्रों पर गेहूं की खरीद बन्द है, उसके लिए आपने अविलम्ब कौन सी व्यवस्था की ?

श्री मलिखान सिंह---

मेरी देव बहादुर सिंह जी से समय-समय पर बातचीत होती रहती है । यह देखते हुए सर प्राइज विजिट किया । एक दो जगह बोरों की कमी देखी तो सरकार ने आदेश दे दिया कि किसान अपने बोरे खरीद कर ले आये तो गेहूं के मूल्य के अलावा उसे बोरे के 5 . 43 रु 0 और मिल जायेंगे जिससे वह अपना गेहूं लौटा कर वापस नले जाय । बाकी शुरू में जरूर कमी थी बोरों की लेकिन अब 14 लाख मीटरिक टन गेहूं हमने ज्यादा खरीद लिया, उसके लिये देव बहादुर सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिये था ।

श्री गिरीशचन्द्र तिवारी---(जिला फर्रूखाबाद)---

सारे देश में इस बात की पहले से ही चर्चा थी और केन्द्रीय सरकार चर्चा कर रही थी कि रिकार्ड प्रोडक्शन होगा क्यों कि समय से वर्षा हो रही थी । लेकिन जब खरीदने का समय आया तो बोरों की कमी के कारण सारे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है । किसान से कहा जाता है कि बोरा ले आये लेकिन जब सरकार को ही बोरे नहीं मिल रहे है किसान बोरे कहां से ले आये । सरकार को बोरियां नहीं मिल रही है और वह 10 रुपये बोरी खरीद रहा है . . . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

आप क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं ?

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

मैं चाहता हूं कि फर्रूखाबाद में गेहूं की खरीद की कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे किसानों को राहत मिल सके ?

श्री मलिखान सिंह--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी से मेरी बात हुई है। मैंने उनसे कहा कि 17 तारीख को मैं उनके क्षेत्र में आ रहा हूं। वह मुझे सारी चीजें बता दें, मैं उनका समाधान करा दूंगा।

श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)--

श्रीमन्, यह बिलकुल सत्य है कि बोरियां है और न बोरी रखने के लिये स्थान है। आपकी खरीद मैनपुरी जिले में बन्द हो चुकी है। वहां पर बोरों की जो तिजारत हो रही है और जो तिजारत कर रहे है, उनके नाम मंत्री जी के पास भेज दिये गये हैं। यही स्पष्टीकरण मंत्री जी दें ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर कि गोरखपुर का डी0 एस0 जो कोआपरेटिव विभाग का है वहां पर जो परचेजिंग सेन्टर है, वह दो रुपया बोरी लेता है। जो व्यक्ति दो रुपया देता है उसको बोरियां मिल जाती है इस प्रकार से किसी सेन्टर पर 2 हजार बोरी पड़ी हुई है और किसी पर 1 बोरी भी नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे ?

श्री मलिखान सिंह--

जैसा आपने सूचना दी है, मैं उसकी जांच करा लूंगा अगर कोई ऐसी कमी पायी गई तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।

श्री जयराम (जिला गाजीपुर)--

माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा, वैसे तो व सदस्यों की भावनाओं से अवगत हो गये होंगे किन्तु फिर भी जिन जिलों से ऐसी शिकायतें आपके पास भेजी जांय कि बोरी की कमी की वजह से या बोरों को रखने को भी जगह उन गोदामों में न होने की वजह से अथवा पैसे की कमी की वजह से अगर माननीय मंत्री जी को कोई शिकायत की जायेगी तो वे उस पर विचार करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह--

गोदामों की व्यवस्था भारतीय खाद निगम करता है और रख-रखाव भी वही करता है। हम गेहूं खरीद करके उनको दे देते हैं। कहीं-कहीं गोदामों में जगह नहीं थी। किसी भी किसान को 10 किलोमीटर से ज्यादा गेहूं ले जाना नहीं पड़ेगा। हमने ऐसे सेन्टर्स खोल दिये हैं। साथ ही गोदामों की कमी की वजह से हमने यह भी किया है कि हम खुले में गेहूं स्टोर कर लेंगे लेकिन किसान का पूरा गेहूं ले लेंगे।

श्री अरुण कुमार (जिला जौनपुर)--

अगर ऐसी जानकारी आई है तो किन-किन जिलों से आई है और उस पर शासन ने क्या कार्यवाही की ?

श्री उपाध्यक्ष--

किन-किन जिलों से आई, इसकी जरूरत नहीं है।

श्री मलिखान सिंह--

गल्ला ग्रेड के आधार पर लिया जाता है। उसमें 6 प्रतिशत जौ होगा तो 113 तक हम लेंगे और उससे कम होगा तो एक परसेंट ऊंचा चला जायेगा। कटा हुआ गेहूं होगा तो उस हिसाब से लेंगे। इसके अलावा वहां पर केन्द्रों पर यह भी कह दिया है कि किसानों को वापस करेंगे तो उसका सैम्पल लीजिए और उसका नाम लिखिये और किस कारण से वापस कर कर रहे हैं वह लिखिये जिससे वह किसान यदि शिकायत करें तो हम उसका नाम देखेंगे रजिस्टर में उसका नाम है नहीं है तो जो खरीदने वाला इंचार्ज है उसको दंडित किया जा सके। इसलिए वापस होने का प्रश्न नहीं उठता और जहां-जहा सूचनायें मिली उसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

बोरों की कमी तो हमारे जनपद में नहीं है आपने उसे हल कर दिया। इस समय तीन बातें है एक तो 113 और 115 रु0 लगाने वाली बात है। जिस गहूं को चाहा 115 लगा दिया जिसको चाहा 113 लगा दिया। दूसरी शिकायत यह है कि किसानों के पास कोई सर्टिफाइड कापी तो है नही कि यह किसान है। व्यापारी बड़ी संख्या में किसानों के नाम पर माल ला रहे हैं और वह अधिकारियों से मिल कर 115 रु0 लगवा लेते हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। तीसरी बात यह हो रही है कि किसानों को 7-7 और 8-8 दिन पड़े रहने के बाद जो चैक मिलता है उसको भुनाने में भी दो दिन लग जाते हैं। तो क्या इसके लिए निकट भविष्य में अचानक कुछ केन्द्रों में धावा बोल कर जांच करके इसे हल करायेंगे ?

श्री मलिखान सिंह--

मैं सदन को पहले भी अवगत करा चुका हूं कि मैंने दो जिलों का आकस्मिक निरीक्षण किया जहां-जहां ऐसे लोग मिले उनको दंडित भी किया। हमारी सरकार की एजेंसी जिसमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एस0डी0 एम0 और तहसीलदार तथा बी0 डी0 ओ0 सब घूम रहे हैं आप लोग तो यह कह रहे हैं लेकिन हमारे पास यह शिकायत आने लगी है कि इतने छापे हुए हैं या एफ0 आई0 आर0 में लिखी गई है। आगे चलकर माननीय सदस्य यदि यह प्रश्न करेंगे विधान सभा में कि कितने छापे मारे गये तो मैं बता दूगा रिकार्ड टूट गये, कितने लोग बंद हुए हैं। तो इससे साफ हो रहा है कि जो हमारे कर्मचारी हैं वह तत्परता से भ्रष्टाचार मिटाने का काम कर रहे हैं।

श्री हर गोविंद सिंह (जिला मुरादाबाद)--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो बोरों की कमी दूर करने के लिए 5.43 पैसे किसानों को और देने के लिये कहा है तो क्या कोई ऐसी जगह है जिसे किसानों को बता दिया जो माननीय मंत्री जी को हाथ नहीं आये और किसानों को मिल जाय तो ऐसा कोई साधन बता दें ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसे बताने की क्या जरूरत है। इस प्रश्न में आक्षेप है।

श्री हर गोविन्द सिंह--

इनकी क्षमता नहीं है कि बोरों की व्यवस्था कर पायें (व्यवधान) मैं दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठे, दूसरा प्रश्न आप बाद में कर सकते हैं। अभी मौका मिलेगा।

श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे बस्ती जनपद में बोरों की कमी है ही लेकिन ढुलाई की व्यवस्था न होने के कारण करीब 30 हजार क्विंटल गेहूं, सरकार का खरीदा गेहूं पड़ा हुआ है। अभी 12 तारीख को वारिश हुई है और सारा गेहूं भीगता रहा। उसके साथ-साथ हर क्रय केन्द्र पर लगभग डेढ़ दो सौ क्विंटल गेहूं रखा पड़ा है वह भी भीग रहा है तो उस संबंध में मैं खाद्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उस गेहूं को जो खरीद कर पड़ा हुआ हैं उसको ढोने की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करेंगे। इसके साथ-साथ दो लाख बोरों की व्यवस्था जो हुयी है और जो गेहूं क्रय क्रेंद्रों पर पड़ा हुआ है, उसको भी खरीदकर खाद्य गोदामों में जमा करायेंगे ?

श्री मलिखान सिंह—

गेहूं जो क्रय केन्द्रों में पड़ा हुआ है, उसको तुरन्त ढुलवाने के लिएसभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। हम खरीद को 42 परसेंट तक ले आये हैं, जो गोदामों के अंदर जा चुका है। जहां बोरों की कमी है, उन स्थानों के बारे में आप हमको जाने के पहले लिखकर दें, उसे मैं ठीक करा लूंगा।

श्री राजपति मिश्र (जिला प्रतापगढ़)—

मैंने उस दिन नियम 51 में भी इसे उठाने का प्रयत्न किया था, प्रतापगढ़ में हजारों बोरे गेहूं खुले में पड़ा हुआ है, प्रतापगढ़ आउटर स्टेशन पर कई हजार बोरे गेहूं खुले में पड़ा है, उसे लोग उठाये लिये जा रहे हैं। वहां से ट्रक से ढोकर 9 किलोमीटर दूर ले जाते हैं। जब कि रेलवे स्टेशन से एक किलोमीटर पर वह गोदाम है। तो क्या वह इसका प्रयत्न कर रहे हैं कि जो हजारों बोरा गेहूं बर्बाद जा रहा है वह न जाने पायें ?

श्री मलिखान सिंह—

इस संबंध में आज से चार दिन पूर्व दिन मेरी खाद्य निगम के अधिकारियों से बात हुई थी। उन्होंने कहा बात ठीक है, मेरा ध्यान एक विधायक ने इस ओर आकर्षित किया था और यह रेलवे बैगेन्स की कमी की वजह से हो रहा है, अब हम शीघ्र इसकी व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे वह गेहूं शीघ्रातिशीघ्र लोड होकर वहां से जा सके।

श्री श्यामसुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि जिलाधीश, जालौन ने पिछले 15 दिनों के बीच में दो बार वायरलेस द्वारा शासन को यह सूचना दी है कि हजारों क्वींटल गेहूं जालौन जनपद के केन्द्रों से वापस जा रहा है बौरों के अभाव के कारण और वर्षा से प्रभावित गेहूं के संबंध में शासन द्वारा खरीदे जाने की स्पष्ट आदेश न दिये जाने के कारण ? यदि है तो, इसमें क्या व्यवस्था की जा रही है ? इधर मैंने स्वयं उरई मंडी में क्रयकेन्द्रों का और डी0 सी0डी0 एफ0 और पी0सी0एफ0 के केन्द्रों पर यह पाया है कि जो लौटाया जाता है उसमें न सेम्पुल भरे जाते है और न उनके हस्ताक्षर कराये जाते हैं और न वहां बोरों का हीं पर्याप्त स्टाक है। इस सबके बारे में मैंने शिकायत पुस्तिका में भी लिख दिया है। तो क्या वह उन टिप्पणियों के आधार पर इन कर्मचारियों को दंडित करेंगे और जिलाधिकारियों द्वारा मांगे गये निर्देशों को स्पष्ट भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह हर जिले के बारे में सूचना कैसे दे सकते हैं। पूरे प्रदेश को सामने रखकर जो आम कठिनाई हैं, उनके बारे में आप प्रश्न करें।

श्री मलिखान सिंह---

गुप्ता जी ने मुझसे इस बारे में कहा था, तो मैंने उनसे कहा था कि आप भी सहकारी संस्था के डी0 एम0 रहे हैं, जहां कहीं गड़बड़ी हो मुझे बता दें, मैं ऐक्शन लूंगा और मैं अब भी कह रहा हूं आप लिखकर दे दें, हम तुरन्त कार्यवाही करा लेंगे। आपने यह भी कहा है कि वहां बारिश और ओले से बहुत गेहूं प्रभावित हो गया है। तो हम जो गेहूं आता है, जो ज्यादा प्रभावित हो गया है, जो वाकई सड़ जाय, ऐसा गेहूं नहीं खरीद सकते। लेकिन हमारे गुण निर्देश में, जैसा बुन्देलखंड में अलग से केन्द्रीय सरकार ने आदेश दिया है उसके आधार पर अधिक से अधिक जितना गेहूं आयेगा सब खरीद लेंगे। बोरों की कमी, जैसा उन्होंने कहा, नहीं रखी जायगी। अभी जा कर वहां बोरे भेजवा दिये जायेंगे।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त---

आदेश कब तक दे देंगे ?

(उत्तर के लिये उप मंत्री जी को पुकारा नहीं गया)

श्री संगमलाल (जिला प्रतापगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि पृथीगंज एयर स्ट्रिप पर गेहूं इकट्ठा किया जा रहा है, प्रथ्वीगंज रेलवे स्टेशन से ज्यादा से ज्यादा एक किलोमीटर की दूरी पर है। माननीय राजपति ने कहा कि गेहूं भरा जाता है प्रतापगढ़ स्टेशन पर जहां से दूरी 10 किलोमीटर हो जाती है। क्या माननीय मंत्री जी यह दिक्कत देखकर पृथ्वीगंज में गेहूं न उतार कर प्रतापगढ़ से उतारा जा रहा है, इस समय ढुलाई ज्यादा बढ़ रही है ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसको देखें। जबाव क्या देगें ?

श्री बदन सिंह (जिला आगरा)---

क्रय केन्द्रों के सिलसिले में पूरे प्रदेश के अन्दर इस प्रकार का भ्रष्टाचार फैलाया है, इस सदन के माननीय सदस्यों द्वारा भिन्न-भिन्न नियमों के अन्तर्गत खाद्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया है। मैंने 301 के अन्तर्गत अपने जिले के क्रय केन्द्रों के सम्बन्ध में ध्यान आकृष्ट किया था। मैंने मांग की थी कि वहां के भ्रष्टाचार के लिए आप छापा मारे। माननीय मंत्री ने सदन में बताया कि इतनी सूची आ रही है, बहुत से जगह छापे मारे गये हैं। क्या वह बतायेंगे कि मैंने जो बतलाये थे केन्द्र उन पर किसी केन्द्र पर छापा मारा गया है ? यदि नहीं, तो छापा मारने के लिए कोई प्रयास किया जायगा ?

श्री मलिखान सिंह---

मान्यवर, 301 का प्रश्न किया था उसका जवाब आपके पास पहुंच गया होगा। लेकिन अगर केन्द्र बतायेंगे तो छापा मारने की व्यवस्था की जायगी।

श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)---

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि बदायूं जनपद में बोरों के अभाव के कारण लगभग 40 प्रतिशत गेहूं खरीद केन्द्रों पर नहीं खरीदा जा रहा है ? दूसरा स्पष्टीकरण यह चाहूंगा कि बदायूं जनपद के उझानी सेंटर पांच जून को बन्द रहा कोई तौल नहीं लगी। उस दिन विधान परिषद् के सदस्य के परिवार का एक हजार बोरा गेहूं लिया गया और उसकी मेंथा फैक्टरी पर 334 बोरे एफ0 सी0 आई0 द्वारा छापा मार कर बोरे बरामद हुए। चूंकि वह विधान परिषद् के प्रभावशाली सदस्य हैं, जांच को प्रभावित कर रहे हैं, क्या उस मामले की जांच किसी उच्चतर अधिकारी या गुप्तचर विभाग से करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री मलिखान सिंह—

छापे में, हमारे एस0 डी0 एम0, एफ0 सी0 आई0 केन्द्र पर छापा मार कर जो गेहूं पकड़ा यह बात अपनी जगह पर सही है। यह बात गलत है कि जो कि जांच की है, उसमें कोई विधान परिषद् का सदस्य शामिल है। लेकिन उसमें एफ0 आई0 आर0 हो गयी है दो लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी चार पांच लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। वहां का गेहूं सुपुर्दगी में दे दिया है तीन लोगों को। उसके बाद पुलिस को बोरे वगैरह प्राप्त हुए। पुलिस को दे दिया गया है इनवेस्टीगेंशन के लिए। साथ ही माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं कि उझानी में 91 क्रय केन्द्र हैं। लगभग 31 एफ0 आई0 आर0 हो चुकी हैं हमारे कर्मचारियों के द्वारा जिसमें लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।

श्री धीरेन्द्र सहाय (जिला पीलीभीत)—

मैं जानना चाहूंगा कि जनपद पीलीभीत के जिलाधिकारी ने यह आदेश दिए कि जो लोग अपनी बोरी ले आयेंगे उनका गेहूं ले लिया जायेगा देहात के लोगों ने बोरियां खरीदी और 8 रु0 प्रति बोरी तक खरीदा और जब बोरियां खरीदकर वे गहूं ले गये तो जिलाधिकारी ने कहा कि हमारे पास बोरियां हैं, हम नहीं खरीदेंगे। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के पास बोरियां हैं उनका गेहूं तौल लिया जायगा ?

श्री मलिखान सिंह—

नयी बोरी लेकर जायेंगे तो वह ले लेगें। उनको लौटना नहीं होगा। अगर लौटाते हैं तो आप मुझे बता दें।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क (जिला मुरादाबाद)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिला मुरादाबाद में...

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

मैंने श्री वर्क को बुलाया है। आप बैठे।

श्री शफीकुर्रहमान वर्क—

मान्यवर, जिला मुरादाबाद में 119 परचेजिंग सेन्टर्स है जिसमें 90 बन्द हैं। बोरों की कमी के कारण गेहूं लिया नहीं जा रहा है। इस सिलसिले में शासन को भी जिलाधिकारी ने सूचित किया है लेकिन इसके बावजूद अभी तक वहां पर बोरों का इन्तजाम नहीं किया गया है। जो तरीका वहां की खरीदारी का है अगर यही हाल रहा तो गल्ले की खरीदारी पूरी नहीं हो सकती है। क्या माननीय मंत्री जी इस सिलसिले में पूरी जानकारी प्राप्त करके जो बोरियां की कमी हैं उनको भिजवाने की कृपा करेंगे।

श्री मलिखान सिंह—

भिजवा देंगे।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है उसको पढ़े...

श्री मौजी लाल कुरील (जिला कानपुर)—

एटा में कई जगह पर सील किए गये हैं, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। डी0 एम0 ने सील किया है। वहां पर काफी घपला मिला लेकिन

उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिला एटा में ब्लाक तिरपुरा में जो कार्यालय है उसको सील किया गया था, उसमें क्या कार्यवाही हुई है, उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं हुई।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आपको आज्ञा नहीं दी। श्री देव बहादुर सिंह को मैं बुला चुका हूं।

माननीय सदस्यों की यह जिले और क्षेत्र से सम्बन्धित समस्यायें हैं और उनका उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे पायेंगे। तो बेहतर यह होगा कि सभी लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को लिखकर उनको दे दें और मंत्री जी उनकी जांच करवा लेंगे। अगर इसको रात भर चलाया जाये तब भी पूरा नहीं होगा।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर को पढ़ें। इसमें लिखा है कि 14, 26, 857 टन गेहूं खरीदा गया।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न तो करें।

श्री देव बहादुर सिंह--

अब मैं प्रश्न ही कर रहा हूं। जो सूचना आयी है वह 15 जून तक की आयी है। आज की भी फीगर माननीय मंत्री जी ने मंगा ली हैं। [×××]

श्री उपाध्यक्ष--

धोखा धड़ी शब्द असंसदीय है।

श्री देव बहादुर सिंह--

तो इसमें से कितना गेहूं गोदाम में है और कितना बाहर ह ?

श्री मलिखान सिंह--

परसेंन्ट बता सकता हूं। पहले 60 परसेंट था अब 82 परसेंट अन्दर भेज चुके हैं और सूचना नहीं है।

श्री बेनी प्रसाद माधव (जिला बुलन्दशहर)--

मान्यवर, मैंने दफा 301 में शाहजहांपुर के रोगग्रस्त गेहूं के खरीदने के सम्बन्ध में निवेदन किया था और माननीय खाद्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि आज जो वक्तव्य दूंगा उसमें उसके बारे में स्थिति पर प्रकाश डालूंगा। जब मैंने खाद्य मंत्री से बात की थी तो उन्होंने यह भी कहा था कि मैं माननीय मुख्य मंत्री से बात करके कोई निर्णय करूंगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस रोग ग्रस्त गेहूं के खरीदने के लिए कोई निर्णय लिया है।

श्री मलिखान सिंह--

यह बात सही है कि प्रदेश में जहां-जहां पर पंजाब से बीज आया था और वह बोया गया, उसमें रोग लग गया था। हमारे प्रदेश में तराई एरिया में, शाहजहांपुर में, पीलीभीत और बरेली के कुछ हिस्सों में और मेरठ के एक विकास क्षेत्र में यह प्रभावित हुआ है। इस सम्बन्ध में हमने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि वे बतायें कि यह गेहूं कहीं प्वायजनेस तो नहीं, जहरीला तो नहीं है। कोई भी कृषि का एक्सपर्ट, जिनको हमने बुलाया, यह कहने को तैयार नहीं है कि हम उस निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं कि यह जहरीला है या नहीं क्योंकि

नोट:--[×××] यह अंश उपाध्यक्ष की आज्ञानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

[श्री मलिखान सिंह—]

यह गेहूं 3–4 महीने के बाद सड़ने और इसमें बदबू आने लगेगी, इसको जानवार भी नहीं खा सकेंगे। दूसरी चीज अखबारों में यह छपा है कि पंजाब इस गेहूं को खरीद रहा है। इसकी पुष्टि मैंने वहां के मुख्य सम्पादक से टेलेक्स पर ली हमें मालूम नहीं है कि वह किस व्यवस्था में इसे खरीद रहा है। हमारे सामने प्रश्न यह है कि अगर हम खरीद भी लेते हैं तो कहां इसको ले जायेंगे। इसके अलावा प्रदेश का फाइनेन्स भी इसमें इन्वाल्व होगा। ए0 पी0 सी0 वगैरह की रिपोर्ट आ गयी है। मैं उसे माननीय मुख्य मंत्री के सामने रखूंगा और उसके बाद ही निर्णय हो सकेगा, पहले नहीं।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" (जिला कानपुर)—

कानपुर में पुखरायां में 4 दिन पूर्व एक एफ0 सी0 आई0 का इस्पेक्टर 87 रुपये रिश्वत लेता हुआ सी0 बी0 आई0 द्वारा गिरफ्तार किया गया था लेकिन उसको अभी तक भी निलंबित नहीं किया गया है। तो क्या माननीय मंत्री जी कोई ऐसा व्यवस्था इंवाल्ब करेंगे कि जो ऐसे कर्मचारी हैं जो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आते हैं, उनके विरूद्ध कार्यवाही हो सके ? और क्या माननीय मंत्री सी0बी0आई0 द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को उनके द्वारा निलंबित या स्थानान्तरण करने की कोई औचित्यपूर्ण कार्यवाही कर या प्राधिकृत अपने आपको करेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि इसमें क्या व्यवस्था होगी ?

श्री मलिखान सिंह—

माननीय सदस्य का जो सुझाव है उसको मैंने नोट कर लिया है।

डाक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश"—

मैं जानना चाहता हूं कि वह इन्सपैक्टर अभी तक भी क्यों निलंबित नहीं हो सका या स्थानान्तरित नहीं हो सका ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह आशा नहीं की जा सकती कि मंत्री जी इसका जवाब दे दें, लेकिन अगर उनके पास इसके बारे में कोई सूचना है, तो बता दें।

श्री मलिखान सिंह—

मैंने आज ही रमेश जी से कहा था कि मैंने एफ0 सी0 आई0 के जो अधिकारी हैं, उन्हें टेलीफोन पर सम्पर्क किया था लेकिन वे नहीं मिले। जब उसको गिरफ्तार किया गया है, वह बन्द हुआ है, एफ0 आई0 आर0 लिखी गयी है तो उसे निलंबित क्यों नहीं किया गया है। इसका क्या कारण है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों और जिलों की समस्याओं के बारे में माननीय मंत्री जी को लिखकर दे दें। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूं, माननीय मलिखान सिंह जी को मैंने स्वयं 3–4 जगह के बारे में लिखा, उन्होंने तत्काल एक्शन लिया।

(व्यवधान)

श्री जयराम—

(माननीय मुख्य मंत्री को पुकारे जाने पर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी बात कह लेने दें...

श्री उपाध्यक्ष--

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं। आप बैठिये। आप मेरी बिना इजाजत के बोल रहे हैं यह कुछ लिखा नहीं जायेगा।

(व्यवधान के बीच श्री जयराम जोर-जोर से चिल्लाकर कुछ कहते रहे जो समझ में न आने के कारण ठीक-ठीक लिखा नहीं जा सका।)

श्री जयराम (जिला गाजीपुर)--

हम लोग यहां बैठकर क्या करेंगे ? हम लोगों को अपनी बात कहने का अवसर ही जब आप नहीं देंगे...

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठे या सदन छोड़ें। मैं इस विषय पर 3-4 बार चर्चा का समय दे चुका हूं। अब म इजाजत नहीं दूंगा। मैं अनुरोध करता हूं आप कृपया बैठें (न बैठने पर) मैं आदेश देता हूं आप कृपया बैठें। आप कृपया सदन छोड़ें। श्यामधर जी, आप कृपया उनको रोकें। (व्यवधान)

सदन के अनिश्चित काल के स्थगन का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री बनारसीदास)--

श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन अनिश्चित काल के लिये स्थागित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय नेता सदन, कल कार्यमंत्रणा समिति में जिसमें संसदीय कार्य मंत्री जी भी थे, यह प्रश्न आया था कि अगला सेशन कब से बैठेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि वे निश्चित डेट तो नहीं बता प्रायेगें लेकिन उन्होंने कहा था कि महीने की जानकारी अवश्य दे देंगे, यह बात हुई थी। तो आप अगर कोई अनिश्चिता उसमें न हों तो कृपया बता दें।

श्री बनारसी दास--

सितम्बर के अन्त तक सदन बुला लिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम अनिश्चित काल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 15 मिनट पर अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
15 जून, 1979

नत्थी 'क'

(देखिए नियम 29(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 1 का उत्तर पीछे पृष्ठ 321 पर)

अनशन करने वाले छात्रों को संघर्ष समिति का मांग-पत्र पर की गई कार्यवाही

मांग	वर्तमान स्थिति
1—पिछड़े जाति के छात्रों को हरिजनों की भांति शैक्षिक सुविधायें मुक्त अनावर्ती सहायता अविलम्ब लागू करें।	प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के अनुरूप पिछड़े वर्ग के छात्रों की शैक्षिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय वर्ष 1978—79 के आय-व्ययक में 6,83,70,300 रु0 की धनराशि का प्राविधान कराया गया था और वह धनराशि व्यय हेतु निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रख दी गई थी। चालू वित्तीय वर्ष के लिए भी उक्त की भांति इस प्रयोजन हेतु प्राविधान कराया गया है। निदेशक से इस संबंध में आख्या प्रतीक्षित है।
2—हरिजन एवं पिछड़े जाति के छात्रों को विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू किया जाय। मेरिट में आने वालों को आरक्षण के अन्तर्गत न रखा जाय।	विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 51(2) (क) के अनुसार छात्रों के प्रवेश के संबंध में आरक्षण प्रदान करने की कार्यवाही विश्वविद्यालय द्वारा ही अध्यादेश बनाकर की जा सकती है। अधिनियम के अनुसार केवल अनुसूचित जाति तथा जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए ही आरक्षण दिया जा सकता है? शासन में वह सूचना उपलब्ध नहीं है कि किन-किन विश्वविद्यालयों ने अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। जहां तक पिछड़ी जातियों का प्रश्न है, अधिनियम के अनुसार उनकी प्रवेश हेतु आरक्षण किये जाने को कोई व्यवस्था नहीं की गई है।
3—काका कालेलकर की रिपोर्ट को लागू करो।	काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना प्रतिवेदन वर्ष 1955 में भारत सरकार को प्रस्तुत किया था जिसे भारत सरकार ने अन्ततः स्वीकार नहीं किया। अतः प्रदेशीय सरकार द्वारा उसे स्वीकार किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।
4—कानपुर कृषि विश्वविद्यालय में छात्र वृत्ति को लेकर हुये काण्ड की न्यायिक जांच की जाय।	इस विषय का संबंध मुख्यतः शिक्षा विभाग से है जिनसे आख्या प्रतीक्षित है।

मांग	वर्तमान स्थिति
5—मंत्रि मंडल द्वारा लिये गये निर्णयों को तुरन्त न लागू करने वाले अधिकारियों को सेवा मुक्त किया जाय ।	यह मद स्पष्ट नहीं है । मंत्रि मण्डल द्वारा आये दिन अनेको निर्णय लिये जाते हैं और उनके आधार पर सम्बन्धित विभागों द्वारा अपेक्षित आदेश जारी किये जाते हैं । इस परिपेक्ष में प्रत्यक्षत: मांग कर्त्ताओं का आशय आरक्षण संबंधी निर्णयों के आधार पर जारी किये गये आदेशों को लागू न करने वाले अधिकारियों को सेवा से मुक्त करने से प्रतीत होता है । जो भी आदेश इस संबंध में जारी किये गये हैं उनके कार्यान्वियन को सुनिश्चित करने का इस विभाग द्वारा पूरा-पूरा प्रयास किया जा रहा है । आरक्षण आदेशों को अवहेलना करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्ट अंकित किये जाने की व्यवस्था है ।
6—मेरिट में आने वाले पिछड़ी जाति एवं हरिजन अभ्यर्थियों को सरकारी व अर्ध सरकारी नौकरियों में आरक्षण के कोटे में न रखा जाय ।	यह प्रश्न शासन के विचाराधीन है । वैसे पिछड़े वर्ग के आरक्षण का मामला फिलहाल विवाद-ग्रस्त है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रकाश में ही अन्तिम कार्यवाही किया जाना संभव हो सकेगा ।
7—विश्वविद्यालयों को कार्यकारिणी में व कुलपति पिछड़ी जाति एवं हरिजन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया जाय ।	विश्वविद्यालयों को कार्यकारिणी में सदस्यता उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में दिये गये उपबन्धों के अनुसार होती है । कार्य परिषद् में कुलाधिपति द्वारा शिक्षा क्षेत्र में प्रतिष्ठित 4 व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जाते हैं ।
8—आरक्षण विरोधी विधायकों को जनता पार्टी से निष्कासित किया जाय । जनता पार्टी घोषणा-पत्र के हिसाब से 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाय ।	आरक्षण विरोधी विधायकों को जनता पार्टी से निष्कासित किया जाना शासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है । इस मद का दूसरा अंश स्पष्ट नहीं है । सम्भवत: इसका आशय पिछड़े वर्ग के लिये 33 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था करने से है । संवैधानिक प्रतिबन्धों के कारण फिलहाल पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की गयी है, उससे अधिक आरक्षण करना संभव नहीं है । राज्य सरकार 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण करने के लिए सक्षम नहीं है । प्रदेश में अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के आरक्षण के अतिरिक्त समाज के अन्य कमजोर एवं निर्बल वर्गों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गयी है । इन अन्य वर्गों में समाज के शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति सेना के विकलांग कर्मचारी तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित आदि

मांग	वर्तमान स्थिति
	सम्मिलित हैं। इस पृष्ठभूमि में पिछड़े वर्ग के लिए 33 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था करना संभव नहीं है।
9—हरिजनों का कोटा पूरा करो।	हरिजनों से आशय कदाचित अनुसूचित जातियों/जनजातियों से प्रतीत होता है। इन जातियों का निर्धारित प्रतिनिधित्व सेवाओं में पूरा करने के प्रयोजन से राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अधीन 'कार्यान्वियन कोष्ठक" तथा "प्रवर्तन कोष्ठक" की स्थापना की गयी है जिसका कार्य सहायक अल्पसंख्यक आयुक्त देखते हैं। इस अधिकारी को विभिन्न कार्यालयों में आरक्षण आदेशों को पालन को सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण करने का अधिकार भी दिया गया है। विधान मण्डल की संयुक्त समिति की संस्तुति के आधार पर प्रतिवर्ष इन जातियों के प्रतिनिधित्व के आंकड़े विधान मण्डल के दोनों सदनों में बजट सत्र में एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। इस प्रयोजन हेतु आयुक्त, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, उत्तर प्रदेश के कार्यालय की स्थापना भी अक्तूबर, 1976 में हो गयी है। प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आयुक्त को भारत सरकार के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आयुक्त की भांति प्रदेश में संविधान तथा विभिन्न विधियों/नियमों और आदेशों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए व्यवस्थित विभिन्न संरक्षणों से सम्बन्धित सभी मामलों को जांच का कार्य सौपा गया है। इसके अतिरिक्त वह यह भी देखेंगे कि इन जातियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णयों पर पूरी तौर से अमल होता है या नहीं। आयुक्त अपनी वार्षिक रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करते है। इस तरह इन जातियों का कोटा पूरा करने के लिए शासन द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
10—पिछड़ा वर्ग हेतु अलग से मंत्रालय बनाया जाय।	अभी तक अनुसूचित जातियों, जनजातियों, विमुक्त जातियों तथा पिछड़े वर्ग में सम्मिलित पिछड़ी जातियों के कल्याण से सम्बन्धित सभी कार्य शासन स्तर पर एक ही विभाग में निष्पादित होता है और निदेशालय, मण्डलीय एवं जिला स्तर पर भी यह कार्य सामूहिक रूप से हो रहा है। पिछड़े वर्ग के कल्याण से सम्बन्धित कार्य को देखते हुये फिलहाल शासन स्तर पर अलग विभाग बनाने का कोई औचित्य नहीं है

'नत्थी 'ख'

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 351 पर)

वितरित की गई धनराशि एवं अन्य वस्तुओं का विवरण

नाम तहसील	मद वार वितरित की गई धनराशि खाद्यान्न एवं वस्तु का विवरण	रु0
1	2	3
1 सीतापुर ..	(1) अहेतुक सहायता ..	38,000
	(2) भवन निर्माण अनुदान ..	1,36,500
	(3) विशेष सहायता ..	4,100
	(4) प्रधान मंत्री सहायता कोष ..	2,000
	(5) 60 कम्बल (40 रु0 प्रति कम्बल के मूल्य की दर से)	2,400
	(6) बाढ़ पीड़ितों को निःशुल्क वितरण हेतु भारत सरकार से प्राप्त गेहूं के अन्तर्गत	30 मी0 टन गेहूं
	(7) विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त दुग्ध चूर्ण	1 मी0 टन दुग्ध चूर्ण।
	(8) तकावी ..	2,03,000
2 सिधौली ..	(1) अहेतुक सहायता ..	1, 00
	(2) विशेष सहायता ..	200
	(3) तकाबी ..	3,40,850
3 महमूदाबाद ..	(1) अहेतुक सहायता ..	31,000
	(2) भवन निर्माण अनुदान ..	1,85,500
	(3) विशेष सहायता ..	11,700
	(4) प्रधान मंत्री सहायता कोष ..	8,000
	(5) 140 कम्बल (40 रु0 प्रति कम्बल के मूल्य की दर से)	5,600
	(6) बाढ़-पीड़ितों का निःशुल्क वितरण हेतु भारत सरकार से प्राप्त गेहूं के अन्तर्गत।	170 मी0 टन
	(7) विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त दुग्ध चूर्ण	1 1/2 मी0 टन
	(8) तकाबी ..	3,77,664.90
4 विसवां ..	(1) अहेतुक सहायता .	99,000
	(2) भवन निर्माण अनुदान ..	3,08'000
	(3) विशेष सहायता .	7,800
	(4) प्रधान मंत्री सहायता कोष ..	15,000
	(5) 800 कम्बल (40 रु0 प्रति कम्बल के मूल्य की दर से)	32,000
	(6) बाढ़ पीड़ितों को निःशुल्क वितरण हेतु भारत सरकार से प्राप्त गेहूं के अन्तर्गत।	150 मी0 टन
	(7) विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त दुग्ध चूर्ण	1 1/2 मी0 टन
	(8) तकावी ..	4,52,771.55
5 मिश्रिख ..	(1) अहेतुक सहायता ..	26,000
	(2) तकावी ..	38,710

नत्थी 'ग'

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 393 पर।)

प्रश्न

6—क्या मुख्य मंत्री की जानकारी है कि 23 अप्रैल, 1979 की रात्रि 7.55 बजे बलिया जनपद के चितबड़ा गांव नगर में जनपद के सुप्रसिद्ध व्यवसायी श्री राम राजेन्द्र कुमार के घर में घुसकर लगभग बीस आततायियों ने फर्म के स्वामी की निर्दयता पूर्वक हत्या कर भारी लूट पाट की ? क्या यह सही है कि आततायी परिवार के अन्य सदस्यों की भी हत्या करने के लिए सचेष्ट है ? यदि हां, तो सरकार उच्चस्तरीय गुप्तचर जांच करायेगी ? घटना की प्रथम सूचना रपट सम्बद्ध थाने में दर्ज है।

उत्तर

6—प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23 अप्रैल, 1979 को 20.45 बजे श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल ने थाना नरही (जनपद बलिया) पर सूचना दी कि उसी दिन लगभग 8 बजे रात्रि से व उनके पिता श्री राम अग्रवाल मुनीम के साथ बैठकर हिसाब कर रहे थे, सामने का दरवाजा खुला था कि उसी समय 7–8 आदमी तमन्चा रिवाल्वर चाकू से लैस होकर दरवाजे पर आये। उनमें से 3 आदमी अन्दर घुस गए व शेष दरवाजे पर खड़े हो गये तभी एक व्यक्ति ने चाकू से उनके पिता पर वार किया। इसी बीच वादी पीछे वाले दरवाजे से अपने मकान में भाग गया व शोर किया जो डकैत फायर करने लगे शोर व फायर की आवाज सुन कर कुछ लोग लाठी व बन्दूक लेकर फायर करते हुए आये तो डकैत कैश बाक्स से तीन हजार रुपया लेकर भाग गये। डकैतों के मारने से उनके पिता की मृत्यु हो गई।

उक्त सूचना पर थाना नरही पर एक अभियोग धारा 396 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया और विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना से प्रकाश में आये एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है।

उक्त मामले की उच्चस्तरीय गुप्तचर जांच की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है

बनारसी दास,
मुख्य मंत्री।

पी0 एस0 यू0 पी0–ए0पी0 2 वि0 सभा—18–4–80—(98) 1980–835 (प्रो0)